तृतीय माला, खण्ड ३, अंक २१

शनिवार, १२ मई, १९६२

२२ वैशाख, १८८४ (शक)

Chamber ... 181X03

74
20.7.62

लोक-सभा वाद-विवाद

(पहला सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
सभा का कार्य	१९९५
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में	१९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१९९८–२००१
पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें	१९९८–२००१
अनुदानों की मांगें	१९९५—९८, २००१—४६
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय	१९९५—९८, २००१—३५
श्री द्वा० ना० तिवारी	१९९६—९८
श्री कोल्ला वैंकैया	२००१–०२
श्री वैंकटासुब्बया	२००२–०३
श्री समनामी	२००३–०६
श्री क० ना० तिवारी	२००६—०८
श्री ह० च० सौय	२००८—११
श्री श्रीनारायण दास	२०११—१३
श्री शिवमूर्ति स्वामी	२०१३—१६
श्री राजेश्वर पटेल	२०१६
श्री कृष्ण देव त्रिपाठी	२०१६—१९
श्री मलिक	२०१९
डा० मेलकोटे	२०१९–२०
श्री प० कुन्हन्	२०२०
श्री पाराशर	२०२०–२१
श्री पु० र० पटेल	२०२१–२२
श्री बासप्पा	२०२२
श्री फिरोडिया	२०२२–२३
श्रीमती सरोजिनी महिषी	२०२३–२४
श्री स० कु० डे	२०२४—३५
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय	२०३५—४६
श्री इन्द्रजीत गुप्त	२०३६—३८
श्री नाथ पाई	२०३२—४२

लोक-सभा

वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ३, १९६२/१८८४ (शक)

[१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ३ में अंक २१ से ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
[तृतीय माला, खण्ड ३—अंक २१ से ३०—१२ से २५ मई, १९६२/२२ वैशाख से ४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)]	
अंक २१—शनिवार, १२ मई, १९६२/२२ वैशाख, १८८४ (शक)	
सभा का कार्य	१९९५
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में . .	१९९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें	१९९८-२००१
अनुदानों की मांगें . .	१९९५-९८, २००१-४६
सामुदायिक विकास और सहकार मन्त्रालय .	१९९५-९८, २००१-३५
वैदेशिक कार्य मन्त्रालय . .	२०३५-४६
हुगली पोत चालकों की हड़ताल के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२००४६-४९
दैनिक संक्षेपिका	२०५०
अंक २२—सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ से ६९८, ७०१, ७०२, ७०४ से ७०६, ७०८ से ७११ और ७१३ से ७१६	२०५१-७९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	२०७९-८०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७००, ७०३, ७०७, ७१२ और ७१७ से ७३६.	२०८१-९२
अतारांकित प्रश्न संख्या ११८७ से १२४१, १२४३ और १२४५ से १२८३	२०९२-२१३३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
नागा विद्रोहियों द्वारा पांच सैनिकों का कथित मारा जाना और कई अन्य सैनिकों का घायल किया जाना	२१३३-३४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१३४-३५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में राज्य सभा से सन्देश . .	२१३५-३६
समितियों के लिये निर्वाचन—	
(१) केन्द्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड .	२१३६-३७

(२) राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिये सलाहकार बोर्ड. २१३७-३८

अनुदानों की मांगें . . . २१३८-७६

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय २१३८-७६

आध घंटे की चर्चा के बारे में २१७७

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७८-८४

अंक २३—बुधवार, १६ मई, १९६२/वैशाख २६, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७५२, ७५३ और ७५५ से ७६० २१८५-२२१०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३७, ७३८, ७४७, ७५१, ७५४ और ७६१ से ७८८ . . . २२१०-२५

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४, १२८५, १२८७ से १३३०, १३३४ से १३३७, १३३९ से १३४३, १३४५ से १३५९, १३६१ और १३६२ २२२५-५३

हुगली नदी के पोत चालकों द्वारा काम बन्द कर दिये जाने के बारे में वक्तव्य २२५३-५५

समिति के लिये निर्वाचन २२५५

कॉफी बोर्ड २२५५

अनुदानों की मांगें २२५५-९१

खान और ईंधन मंत्रालय २२५५-९१

दैनिक संक्षेपिका . . . २२९२-९७

अंक २४—गुरुवार, १७ मई, १९६२/२७ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९०, ७९१, ७९४, ७९५, ७९७ से ७९९, ८०१ से ८०४, ८०६, ८११, ८१३ और ८१४ २२९९-२३२३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ २३२४-२५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८९, ७९३, ७९६, ८०५, ८०७, ८०८, ८१०, ८१२ और ८१५ से ८३५ २३२५-३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ से १४७२ और १४७४ से १५०२ २३३९-२४०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में हुए विस्फोट २४०५-१०

सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२४१०–११
समितियों के लिये निर्वाचन .	२४१२–१३
(१) भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति .	२४१२
(२) आयुर्वेदिक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासी निकाय .	२४१२–१३
(३) दिल्ली विकास प्राधिकार सलाहकार परिषद् .	२४१३
अनुदानों की मांगें .	२४१३–५१
इस्पात और भारी उद्योग .	२४१३–५१
दैनिक संक्षेपिका	२४५२–६०

अंक २५—शुक्रवार, १८ मई, १९६२/२८ बैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३५-ए, ८३७ से ८३९, ८४१, ८४२, ८४४, ८४७, ८४८, ८५१ से ८५४, ८५७ से ८६० और ८६३ से ८६६ .	६१–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४३, ८४५, ८४६, ८४९, ८५०, ८५५, ८५६, ८६१, ८६२, ८६७ से ८७२, ८७४ से ८८० और ८८२	२४८६–९५
अतारांकित प्रश्न संख्या १५०३ से १५१३, १५१५ से १५४९ और १५५२ से १६०१	२४९५–२५३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२५३७–३८
एक प्रश्न के उत्तर का स्पष्टीकरण	२५३८–३९
सभा का कार्य .	२५३९
समितियों के लिये निर्वाचन	२५३९–४१
१. राष्ट्रीय छात्र सेना दल की केन्द्रीय सलाहकार समिति	२५३९–४०
२. केन्द्रीय प्राणिशास्त्र सलाहकार बोर्ड	२५४०
३. भारतीय विज्ञान संस्था की परिषद्	२५४०–४१
अनुदानों की मांगें	२५४१–७५
सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय	२५४१–७५
सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	२५७५–८३
एकाधिपत्य की वृद्धि को रोकने के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया	८३–८९
मूलभूत सहकारी कृषि समिति के बारे में संकल्प	२५८९–९०

सरकारी कर्मचारियों के चरित्र और प्राग्वृत्त का सत्यापन के बारे में आधे घंटे की चर्चा २५९०–९३

दैनिक संक्षेपिका २५९४–२६००

अंक २६—सोमवार, २१ मई, १९६२/३१ वैशाख, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८५, ८८७ से ८८९, ८९१, ८९३, ८९७, ८९८, ९०० और ९०१ . . . २६०१–३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८६, ८९०, ८९२, ८९४ ८९६, ८९९, ९०२ से ९१३ और ४५२ २६२६–३५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . २६३५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६०२ से १६५९ २६३५–६१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २६६१

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति . २६६१

हुगली नदी के पोत चालकों के बारे में वक्तव्य २६६१–६२

समितियों में निर्वाचन . २६६२–६३

नारियल जटा बोर्ड

अनुदानों की मांगें २६६३–२७१२

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय २६६३–८३

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २६८३–२७१२

दैनिक संक्षेपिका . . . २७१३–१७

अंक २७—मंगलवार, २२ मई, १९६२/१ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१५ से ९२२, ९२५ से ९२८, ९३० से ९३२, ९३४ से ९३८ और ९४० से ९४४ २७१९–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१४, ९२३, ९२४, ९२९, ९३३, ९३९ और ९४५ से ९४७ . . . २७४५–४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १६६० से १७५९ और १७५८ से १७७९ २७४९–२८०५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . २८०५–०७

१. कुछ चीनियों का भारतीय राज्य क्षेत्र में कथित प्रवेश और उनके द्वारा जोगबानी नगर के फोटो लिये जाना २८०५–०९

२. भारतीय दूतावास को गणराज्य दिवस मनाने के लिये चीन सरकार द्वारा सुविधाओं का न दिया जाना २८०६—०७

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २८०७—०८

अनुदानों की मांगें . . . २८०८—४५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय २८०८—४५

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८४६—५२

अंक २८—बुधवार, २३ मई, १९६२/२ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४८ से ९५३, ९५८ से ९६२, और ९६५ से ९६८ २८५३—७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४ से ९५७, ९६३, ९६४, ९६९ से ९९२ . २८७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८० से १८२६, १८२८ से १८७१, १८७३ से १८८८ . . . २८८८—२९३२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

२२ मई, १९६२ को मियालदह में हुई रेल दुर्घटना २९३२—३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९३४

समिति के लिए निर्वाचन—

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् २९३४—३५

अनुदानों की मांगें . . . . २९३५—८५

परिवहन तथा संचार मंत्रालय . २९३५—४३

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . २९४३—८५

नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास द्वारा भारत विरोधी प्रचार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . २९८५—८८

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २९८९—९५

अंक २९—गुरुवार, २४ मई, १९६२/३ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९३ से १०००, १००२, १००४ से १०१०, १०१२, १०१५, १०१९ और १०२० २९९७—३०२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १०११, १०१३, १०१४, १०१६ से १०१८ और १०२१ से १०३७ . . ३०२६—३६

अतारांकित प्रश्न संख्या १८८९ से १९३८ . . ३०३६—५६

सदस्य का निलम्बन . . ३०५६—५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .

एलिजाबेथविल में हुई रेल दुर्घटना . . . . २०५८—५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३०५९

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३०६०—३१०९

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय . . . . . ३०६०—९७

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . . ३०९७—३१०९

दैनिक संक्षेपिका ३११०—१३

अंक ३०—शुक्रवार, २५ मई, १९६२/४ ज्येष्ठ, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

नारांकित प्रश्न संख्या १०३८ से १०४०, १०४२, १०४३, १०४५, १०४७ से १०५०, १०५२ से १०५६ और १०५८ . . ३११५—३८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ . . . . ३१३८—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४१, १०४४, १०४६, १०५१, १०५७ और १०५९ से १०६६ . . . . . . ३१४०—४७

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३९ से १९४९, १९५१ से १९५६, १९५८ से १९८१ और १९८३ से २०२५ . . . . ३१४७—८७

स्थगन प्रस्ताव तथा अविलम्बनीय महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . . . ३१८८—८९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ३१८९—९१

शिवरामपुरम् में रेलगाड़ी की टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ३१९१—९२

वित्तीय समितियां (१९६१—६२)

"एक समीक्षा"

सभा का कार्य ३१९२

समितियों के लिए निर्वाचन . . . ३१९२—९३

१. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति

२. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति

अनुदानों की मांगें . . . . . . ३१९३—३२२६

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय . ३१९३—३२१०

स्वास्थ्य मंत्रालय . . ३२१०—२६

विधेयक पुरःस्थापित—

(१) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ७ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . . ३२२६–२७

(२) संसद् पुस्तकालय विधेयक **(श्री दी० चं० शर्मा का)** ३२२७

(३) बाल विवाह रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २ और ३ का संशोधन) **(श्री दी० चं० शर्मा का)** . . ३२२७

(४) खान (संशोधन) विधेयक (धारा १२, ६४, ६६, ६७, ७०, ७२-ग और ७३ का संशोधन) **(श्री स० चं० सामन्त का)** ३२२७–२८

(५) अस्पृश्यता (अपराध) संशोधन विधेयक (धारा ३ और ४ का संशोधन) **(श्री सिद्धय्या का)** . ३२२८

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ३४२ और ५६२ का संशोधन) **(श्री म० ला० द्विवेदी का)**—वापिस लिया गया ३२२८—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२२८—३४

सरकारी नौकरी (निवास का आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन) **(श्री जं० ब० सिं० बिष्ट का)**—वापिस लिया गया ३२३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३२३४—३४

विधान परिषदें (रचना) विधेयक **(श्री श्रीनारायण दास का)** ३२३७—४३

परिचालन करने का प्रस्ताव . . ३२३७—४३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३२४४—५०

नोट:— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह † चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LSIII—1098 (Ai)LSD—6-8-62—150.

लोक-सभा

शनिवार, १२ मई, १९६२
२२ वैशाख, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा का कार्य

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : १४ मई, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य निम्न प्रकार से होगा :—

(१) आज की कार्यसूची से बची हुई जो मद विचारार्थ आगे डाली जायेगी ।

(२) निम्नलिखित मन्त्रालयों के अनुदान की मांगों पर चर्चा और मतदान
खान और ईंधन इस्पात और भारी उद्योग सिंचाई तथा विद्युत् और परिवहन तथा संचार

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के लिये जारी किये गये पासों के बारे में

†अध्यक्ष महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने १३ जून १९६२ को होने वाले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथग्रहण समारोह के बारे में पास न मिलने की शिकायत की है ताकि वे अपनी पत्नियों को भी साथ ला सकें । माननीय सदस्यों को पास दे दिये जायेंगे परन्तु उन्हें ध्यान रखना चाहिये कि कक्ष की क्षमता बड़ी सीमित है । माननीय सदस्यों को इस मामले में सहयोग करना चाहिए ताकि यह समारोह ठीक ढंग से हो सके ।

अनुदानों की मांगें (जारी)

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—(जारी)

†अध्यक्ष महोदय : अब हम सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

825 (Ai) LSD—1

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्युनिटी डेवेलपमेंट मन्त्रालय को दाद देता हूं बहुत सुन्दर रिपोर्ट पेश करने के लिये। रिपोर्ट को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि सब कुछ अच्छा है और सुन्दर है। लेकिन मालूम होता है कि ऐक्चुअल फैक्ट्स दूसरे हैं और रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह दूसरा है। मैं मानता हूं कि रिपोर्ट तैयार करने में हासिल की है और रिपोर्ट अच्छी तैयार की है। लेकिन इससे अच्छा होता कि रिपोर्ट वास्तविक स्थिति को देखते हुए होती। खैर-जो कुछ भी हो, रिपोर्टस तो अच्छी मिलती है, वह भले ही फैक्ट्स हों या न हों, पिक्चर रोजी हो या डार्क हो इसमें तो रोजी पिक्चर ही दिखलाई गई है।

कम्युनिटी डेवेलपमेंट का असली मकसद यह है कि विलेज लेवेल पर लीडरशिप पैदा की जाय। विलेजेज की इनडेटेडनेस को दूर करके उनको सेल्फ सपोर्टिंग बनाया जाय। इस रिपोर्ट को पढ़ने से ज्ञात नहीं होता है कि इन उद्देश्यों को कहां तक पूरा किया जा सका है। जहां तक विलेज इनडेटनेस का सवाल है, कहीं भी इस रिपोर्ट में नहीं है कि पहले कितनी इनडेटेडनेस थी और इन दस वर्षों में, जब से कि यह कम्युनिटी डेवेलपमेंट चल रहा है, उन गांवों में कितनी इनडेटेडनेस कम हुई। मेरी समझ में विलेजज की इनडेटेडनेस बढ़ती जा रही है। कुछ सरकारी कर और कुछ महाजनों का कर, और जिस को हम लोग सस्पेन्स एकाउण्ट या हिन्दी में हथफेर कहते हैं उस तरह के रुपये का विलेजर्स के कन्धों पर भार अधिक होता जा रहा है। वह कैसे दूर होगा ? या दूर भी होगा या नहीं। क्या उन को अपना सब कुछ बेच बाच कर कर्जा अदा करना पड़ेगा ? इसमें इसका कोई आभार नहीं मिलता है।

दूसरा सवाल है कि वे कितने सेल्फ सपोर्टिंग हो सके हैं, विलेजर्स कहां तक अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं ? इस का भी कोई आभास नहीं है। पंचायतें हुईं, कोआपरेटिव्ज कायम करने की कोशिश की जा रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके धंधे को चलाने के लिये कोआपरेटिव्ज होती हैं, लेकिन १०० या ५० रु० कर्ज दे देने से उनका काम चल नहीं सकता है। उनके पास साधन नहीं हैं और खर्च अधिक रहता है। उसके लिये क्या उपाय किया जा रहा है, यह भी रिपोर्ट में साफ नहीं है।

गत दस वर्षों में जो कम्युनिटी डेवेलपमेंट चले उन में करोड़ों रुपये खर्च हुए। यहां तक कि इस फाइव इअर प्लेन में भी ३१४ करोड़ रु० का प्राविजन है। कम्युनिटी डेवेलपमेंट की रिपोर्ट के पेज ६ पर हम देख सकते हैं। अगर इस खर्चे को व्यक्तिगत आधार पर हर आदमी को बांट दें तो एक व्यक्ति पर करीब १० या १२ रु० आते हैं। एक फैमिली के ऊपर करीब ६० रु० आता है, अगर पांच आदमियों की फैमिली मानी जाय। आज जो इस विभाग का पैराफर्नेलिया है वह इतना खर्चीला है, इतना टाप हैवी है कि इस रुपये का फायदा लोगों को बहुत कम पहुंचता है। यदि हर फैमिली को ६० रु० वैसे ही दे दिया जाय तो शायद वह अपना भला ज्यादा कर सकते हैं बजाय उसके जो कि गवर्नमेंट कर रही है। एक एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लाक पर १२ लाख रुपये के लगभग खर्च होते हैं। इसमें स्टाफ पर कितना खर्च होता है, मकानों पर कितना खर्च होता है, टी० ए० पर कितना खर्च होता है, और दूसरे मदों पर कितना खर्च होता है, मिडल मेन से होकर लोगों तक जब पैसा जाता है, उसका आप अन्दाजा लगाइये।

सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) इसमें मिडलमैन कहां से आ जाता है ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : मिडल मैन का वर्णन मैं करूं तो शायद आप दंग रह जायेंगे। मिडल मैन वह होते हैं जो किसी रुपये लेने वाले की पैरवी करते हैं। उस पैरवी में कितना खर्च आता है वह शायद आप को मालूम होगा क्योंकि आप गांव के हैं। उन के आने जाने के लिये कितना खर्च देना पड़ता है, इस सबका तखमीना आप लगाइये तो आप को पता चलेगा कि रुपया लेने वाला जितना प्राफिट करता है उससे ज्यादा खर्च पड़ जाता है। इस चीज को मैं मिडल मैन कहता हूं। साथ ही अब आप

देखिये कि माइनर इरिगेशन के काम के लिये कितना दौड़ना पड़ता है। रुपया निकालने में कितनी कठिनाई होती है इसका वर्णन पहले भी हो चुका है। मैं तो केवल इशारा करना चाहता था, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब चाहते थे कि मैं उसे खोल कर कहूं।

इस रिपोर्ट पर मैंने पाया कि पेज २४ पर लिखा हुआ है :

"कि अब तक के प्रशिक्षित किये गये व्यक्तियों की संख्या ३९,००,००० है।"

३९ लाख लोगों को ट्रेनिंग हुई। हमारे यहां करीब साढ़े पांच लाख विलेजज हैं। इस तरह से एक एक विलेज पर ७, ७ आदमियों की ट्रेनिंग का हिसाब पड़ता है। यह लोग कहां गये, किधर गये, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं है। उन पर रुपया खर्च हुआ। स्टेडी एण्ड ओरिएन्टेशन आफ नान आफिशल्स के बारे में यहां लिखा है। लेकिन वे लोग कहां गये ? किस विलेज में हैं। मैं यह जानना चाहता था कि ये लोग कहां गए और उनकी ट्रेनिंग पर जो रुपया खर्च हुआ वह कितना काम आ सका।

दूसरी बात यह है कि जो रुपया खर्च किया गया उसका फिजिकल एचीवमेंट क्या हुआ ? मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर से हमको फिगर मिलते हैं कि माइनर इर्रीगेशन पर इतना रुपया खर्च हुआ वैल्स पर इतना खर्च हुआ। सरकारी अनुमान के अनुसार एक वैल पर पांच एकड़ जमीन पटने, का हिसाब है। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जिस वैल में बोरिंग नहीं होता उससे एक एकड़ भी मुश्किल से पटता है। तो आपके हिसाब से तो एक वैल पर पांच एकड़ के हिसाब से सींचने की बात कह दी जाती है लेकिन वास्तव में कितनी सिंचाई होती है यह न आपकी रिपोर्ट में आता है और न मिनिस्टर साहब की स्पीच में। मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री आफ कम्युनिटी डवलपमेंट इतनी मिली हुई हैं कि इन में से किसी भी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है उससे दूसरी मिनिस्ट्री का भी आभास मिल जाता है।

कोआपरेटिव के बारे में और लोगों ने भी कहा है। हम लोग जब गांव में कोआपरेटिव का काम शुरू करना चाहते हैं तो पैसा खर्च तथा दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं ब पाती। तो ला और प्रोसीज्योर का ऐसा सिम्पलीफिकेशन होना चाहिए कि बिना बहुत दौड़े कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाए। इतना इन्तिजाम आप कर दें तो लोगों का ज्यादा उपकार होगा बनिस्वत ज्यादा रुपया खर्च करने के।

मेरा यह अनुभव है और शायद मिनिस्टर साहब भी जानते होंगे कि सरविस कोआपरेटिव कायम करने में कितनी दिक्कत आती है। जो कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं, मेरा अपना अनुभव है कि उनमें से ५० प्रति शत बेकार हैं, उनके पास साधन नहीं हैं और उन पर तवज्जह भी नहीं दी जाती। आप जानते हैं कि हमारे गांव के लोग सीधे सादे हैं। जब तक उनके साथ दलाल नहीं लग जाता वे पैरवी नहीं कर सकते और जब दलाल उनके साथ लग जाता है तो उनको जो मिलता है उसमें से एक चौथाई रकम तो उड़ ही जाती है। तो अगर कानून में सिम्पलीफिकेशन हो तो कोआपरेटिव मूवमेंट से ज्यादा फायदा हो सकता है। और जितनी आज साधारण कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको मल्टीपरपज कोआपरेटिवस आप कर दें तो ज्यादा फायदा हो।

शूगर केन कोआपरेटिव्स जो हैं उनको तो फी मन एक पैसा या दो पैसा मन कमीशन मिल जाता है और इसलिए उनके पास कुछ साधन हो जाता है। लेकिन जो आरडिनरी कोआपरेटिव्स हैं उनको कोई आमदनी नहीं है। वह रुपया लाती है और लोगों को देती हैं और उनको एक आध परसेंट जो मिलता है वह खर्च के लिये भी काफी नहीं होता। अगर उनको मल्टी परपज कर दिया जाए और उनके द्वारा कोई छोटा उद्योग धन्धा या व्यापार चलाया जाए तो उनका भी काम चल सकता है।

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कुछ जमाने पहले हमने पढ़ा था कि हर ब्लाक डवेलेपमेंट लेबिल पर गोबर का गैस प्लांट दिया जाएगा। लेकिन पता नहीं वह कितने बने, कितने लोगों को दिये गए और कितने सफल हुए। वह किस कम्युनिटी डवलपमेंट ब्लाक में गए इसका भी पता नहीं .....

अध्यक्ष महोदय : मुझे फिर आपका ध्यान इधर दिलाना पड़ेगा।

श्री द्वा० ना० तिवारी : तो मैं कह रहा था कि मवेशी के गोबर का जो गैस प्लांट निकला है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कम्युनिटी डवेलपमेंट ब्लाक्स में होने वाला था। लेकिन वह हम लोगों की तरफ नहीं गया है। हमने सुना कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है। अगर वह इम्प्रूवमेंट हो कर आ जाए तो उससे कुछ लोगों का उपकार हो सकता है और कुछ काम चल सकता है।

तीसरी बात जो आपके सामने रखनी है वह यह है कि दस वर्षों से गांवों में कम्युनिटी डवलपमेंट का काम चल रहा है। उससे क्या फायदा हुआ इसके भी आंकड़े होने चाहियें जो कि नहीं हैं। जिन गांवों में यह काम किया गया है उनमें कितनी इनडेटेडनैस कम हुई और कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हुए और कितने गांवों में कुछ काम सफल हुआ इसका कोई तखमीना नहीं है। तो मैं कहूंगा कि इन सब बातों का विवरण मिनिस्टर साहब दें ताकि लोगों की समझ में सही बात आसके। नहीं तो बहुत से लोगों का खयाल है कि कम्युनिटी डवलपमेंट के होने से सिर्फ कुछ आफिसेज़ खुल गये हैं और कुछ लोगों की परबस्ती हो रही है लेकिन असल काम नहीं हो रहा है। हालांकि इसका ध्येय अच्छा है लेकिन काम करने के तरीके ऐसे नहीं हैं जिससे लोगों को अधिक फायदा हो सके और खास कर ऐसे लोग जो कि गरीब हैं और जिनके पास जमीन है और न कोई और साधन है उनको कर्ज मिल सके।

मैं इन्हीं बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तथा मालदा में हुई घटनायें

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने सम्बन्धी नोटिसों का उल्लेख करना चाहता हूं। मुझे दो नोटिस प्राप्त हुए हैं। एक श्री प्रकाशवीर शास्त्री की ओर से और दूसरा श्री सुबोध हंसदा के नाम से। श्री प्रकाशवीर शास्त्री अनुपस्थित हैं, अतः श्री सुबोध हंसदा।

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक मत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और अनुरोध करता हुं कि वह इस बारेय दें

> "पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयुक्त श्री राजेश्वर दयाल द्वारा पूर्वी पकिस्तान में हाल के साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न परिस्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् पेश किये गये प्रतिवेदन के परिणाम और उनके सम्बन्ध में निश्चित की गयी भावी नीति।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : "न्यूयार्क टाइम्स" से ली गयी जो रिपोर्टें 'डान' में छपी हैं वह बहुत भयंकर हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या भी अपना नोटिस पढ़ दें ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान जी, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत प्रधान मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं तथा मेरा अनुरोध है कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

> " 'डान' के १० मई, १९६२ के अंक में 'न्यूयार्क टाइम्स' के पाकिस्तान में स्थित सम्वाद-दाता श्री रोबर्ट ट्रॉमवेल द्वारा लिखित एवं 'उस पत्र' में प्रकाशित मालदा (पश्चिमी बंगाल) के उपद्रवग्रस्त व्यक्तियों के सम्बन्ध में अत्यधिक उत्तेजनात्मक विवरण उद्धृत किया गया है ।"

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित की गई रिपोर्ट का उल्लेख किया है । मैंने १० मई का 'डान' भी देखा है और वह रिपोर्ट पढ़ी है जिसे पढ़ कर मुझे अपार दुःख हुआ है । श्री ट्राइनवेल ने जो कुछ लिखा है वह मेरे विचार में वही है जो कुछ राजशाही में उन्हें कुछ अधिकारियों ने बता दिया । हो सकता है कि उन्हें वहां जाने वाले शरणार्थियों अथवा विस्थापितों ने भी ऐसा बताया हो । ऐसे विवरण तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता दिये जाते हैं । ऐसे लोग अधिक जोश में होते हैं और उनकी सारी बातें सही नहीं होती । मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने अनुभवी सम्वाददाता और इतने जिम्मेदार अखबार ने इस तरह किया है और बिना जांच किये विवरण छापा है । वह स्वयं मालदा जाकर भी सारी स्थिति देख सकते थे । इसमें कोई कठिनाई नहीं थी । हम तो इस बात का स्वागत करेंगे कि कोई भी भारतीय अथवा विदेशी सम्वाददाता मुर्शिदाबाद अथवा मालदा जाकर स्थिति को देखे । पाकिस्तानी विवरण तो सचमुच खून खौलाने वाले होते हैं । उन विवरणों में बताया जाता है कि वहां सैकड़ों आदमी मारे गये ।

हमारा कहना तो यह है कि मुर्शिदाबाद में कुछ भी हुआ नहीं । वहां कोई भी, किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई । कुछ हुआ ही नहीं, केवल बढ़ा चढ़ा कर बताने वाला प्रश्न है । पता नहीं यह कैसे कर दिया गया ? 'पाकिस्तान ऑबज़रवर' का सम्बाददाता वहां गया और उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वहां कुछ नहीं हुआ । इस रिपोर्ट का दो तीन अखबारों ने बाद में प्रतिवाद कर दिया । परन्तु उससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया और स्थिति यह है कि वहां कुछ भी नहीं हुआ ।

अब मैं अपना वह वक्तव्य पढ़ूंगा जो इस विषय पर मैंने तैयार किया है । हो सकता है इसमें कुछ बातें दोबारा आ जाय । ९ मार्च, १९६२ को दीशीस्वाट गांव में एक मुसलमान और संथाल महिला में कुछ झगड़ा हो गया था । महिला के थप्पड़ मारा गया जिसके कारण संथालों और स्थानीय मुसलमानों में झगड़ा हो गया । इस झगड़े में अनेक संथाली घायल हुए । कोई भी हिन्दू इसमें शामिल नहीं था । आदिम जातीय संथालों ने मुसलमानों के झोंपड़े जला कर बदला लेने का प्रयत्न किया परन्तु स्थानीय प्राधिकारियों ने उन्हें वैसा करने से रोका ।

२२ मार्च को पास के एक अन्य गांव म होली के उत्सव के दौरान फिर कुछ उपद्रव हुआ संथालों ने गांव पर हमला किया और धनुष बाण का प्रयोग करके तीन मुसलमानों को मार डाला ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आठ मुसलमानों के घर जला दिये गये । छः मुसलमान मारे गय जब कि एक घर की फूंस की छत गिर पड़ी । यह घटना हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव नहीं है । प्राधिकारियों द्वारा कड़ी कार्यवाही की गयी और स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में आ गई । हानि उठाने वाले व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की गई ।

पाकिस्तान उच्च आयुक्त और उनके प्रथम सचिव ने ५ से ७ अप्रैल तक अनेक गांवों का दौरा किया । उन्होंने अनेक मुसलमानों से भेंट की और कुछ सभाओं में भाषण भी दिये । हमारे पास इस प्रकार की शिकायतें आई थीं कि उन्होंने पूर्व निर्धारित सरकारी कार्यक्रम का पालन नहीं किया और स्थानीय निवासियों से प्रोइवेट तौर से भेंट की । उनके द्वारा फोटो लिये जाने पर कुछ कठिनाई भी उत्पन्न हुई ।

दुर्भाग्यवश उनके दौरे का बुरा असर पड़ा और १६ अप्रैल तथा २० अप्रैल के बीच पुनः उपद्रव हुए । पाकिस्तानी पत्रों ने सौ से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने, ६०० मकान और दुकानों के जलाये जाने और १५०० लड़कियों का अपहरण किये जाने का समाचार छापा । तथ्य यह कि ४ मुसलमान मारे गये थे और लगभग ३६ हिन्दू और २८ मुसलमान घायल हुए थे । शान्ति तथा व्यवस्था तुरन्त स्थापित की गई ।

पाकिस्तानी पत्र उन घटनाओं की खबर को बढ़ा चढ़ा कर छापने से ही संतुष्ट नहीं हुए । उन्होंने 'मुर्शिदाबाद में हिंसा' शीर्षक पर भाषण दे कर झूठा विवरण भी छापा । 'पाकिस्तान आबजर्वर' ने एक विशेष सम्वाददाता भेजा जिसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि मुर्शिदाबाद में कोई छोटी घटना भी नहीं हुई थी परन्तु कुछ समय बाद 'पाकिस्तान आबजर्वर' ने स्वयं अपने सम्वाददाता की रिपोर्ट का खंडन किया । वास्तविक संख्या देना कठिन है क्योंकि पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने समाचारों पर काला परदा डाल दिया है ।

पाकिस्तानी पत्रों में प्रकाशित होने वाले कुछ निराधार एवं अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण कुछ विदेशी पत्रों में भी प्रकाशित हुए जिनको पाकिस्तान के सूचना मिली थी । विदेशी अथवा भारतीय सम्वाददाताओं को मालदा अथवा मुर्शिदाबाद जाने की पूर्ण स्वतंत्रता है तथा वे वहां जाकर स्वयं यह पता लगा सकते हैं कि न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित विवरण में क्या सचाई है । वह बहुत खेदजनक है । पत्र के सम्वाददाता ने राजशाही से यह विवरण भेजा था जो संभवतः उसे किन्हीं अधिकारियों ने दिया होगा । हमारी सूचना के अनुसार राजशाही का उपद्रव बहुत खराब रहा है । हम उसके आंकड़े नहीं पेश करेंगे । परन्तु अनेक मृत्युयें हुईं । परन्तु हमने अपने वक्तव्यों में उदार रहने का प्रयत्न किया है ।

पाकिस्तानी समाचार पत्रों की अतिशयोक्तिपूर्ण खबरों और कुछ उच्च अधिकारियों के वक्तव्यों ने पाकिस्तान के लोगों को उत्तेजित किया और उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई शुरू की । २६, २७ और २८ अप्रैल को ढाका में एक दर्जन व्यक्ति मरे और अनेक घायल हुए । राजशाही जिले की स्थिति विशेष रूप से खराब रही जहां पाकिस्तान सरकार को स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये पूर्वी पाकिस्तान राइफल्स को बुलाना पड़ा ।

एक कलकता जाने वाली गाड़ी को राजशाही स्टेशन पर रोक लिया गया और अनेक व्यक्ति मार डाले गये । सब से अधिक खराब स्थिति दरगा गांव की रही । वहां बहुत से हिन्दु शरणार्थियों को एकत्रित कर के सशस्त्र गार्ड की सुरक्षा में रखा गया था । २९ अप्रैल को सशस्त्र गार्ड हटा लिये गये जिस पर हिन्दु शरणार्थियों पर हमला किया गया, जिसमें अनेक शरणार्थी मारे गये ।

पवना, बोगरे, खुलना और मैमनसिंह के जिलों स भी हमें गंभीर मारकाट और लूट किये जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। उस क्षेत्र के संसद् सदस्य भी वहां गये और हमारे पाकिस्तान के उच्च आयुक्त भी वहां गये जो कुछ उन्होंने बताया वह बहुत ही दुःखदायी था। मैंने कोई बढ़ा चढ़ा कर बात नहीं की। मरना मारना चाहे यह काम हिन्दू करें अथवा मुसलमान, बुरा है। इससे मासूम और निर्दोष लोग भी पीड़ित होते हैं। परन्तु फिर भी बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर लोगों की साम्प्रदायिक भावना को बढ़ाना अच्छा नहीं कहा जा सकता।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : पाकिस्तान का व्यवहार पहिले भी ऐसा ही रहा है और अब भी ऐसा ही है। उसने तिल का पहाड़ बना कर भारत को बदनाम करने का प्रयत्न किया परन्तु हैरानी इस बात पर है कि अमरीका भी भारत को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहा है। पहले गोआ के मामले में भी उनका ऐसा ही व्यवहार रहा है परन्तु अब मालदा के बारे में भी वैसा ही हो रहा है। क्या सरकार को हमारे दूतावास के अधिकारियों ने इस बात की रिपोर्ट दी है जो कुछ कि वहां अखबारों में छपता रहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरा विचार है उन्होंने ऐसा किया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले को यहां उठाया गया। हो सकता है कि मेरे वक्तव्य से इस मामले की ओर संसार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट हो जाये।

अनुदानों की मांगें—जारी

सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय—(जारी)

†**श्री कोला वेंकैया** : (तेनालि) यद्यपि इस मांग के अन्तर्गत जो राशि आयी है वह अधिक नहीं है तथापि मुख्य प्रश्न उन नीतियों का है जो इस मामले में अन्तर्ग्रस्त हैं। सरकार पुस्तिकाओं इत्यादि को प्रकाशित कर जनता को यह बता देना चाहती है कि इस परियोजना से जनता में शांतिपूर्ण क्रान्ति हुई है। तथापि देखना यह है कि क्या इस शांतिपूर्ण क्रान्ति का लाभ जनता को मिला है ?

आचार्य विनोबा भावे ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में कहा था कि यद्यपि इन योजनाओं पर करोड़ों रुपये व्यय किये गये हैं तथापि इनसे जनता में आत्मविश्वास पैदा नहीं हो सका है।

इस सम्बन्ध में मैसूर विधान सभा की प्राक्कलन समिति ने १९५९ में यह राय प्रगट की थी कि केवल यहां, वहां कुछ इमारतें बनाने के अतिरिक्त इन योजनाओं का आम जनता में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रैयतों की आर्थिक स्थिति और ग्रामीण ऋणिता में कोई सुधार नहीं हुआ है। पंजाब सरकार द्वारा जनरल मोहन सिंह की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास खंडों के कार्य का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति नियुक्त हुई थी उस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि यद्यपि ८० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र, इस परियोजना के अन्दर आ गये हैं, तथापि कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल ने भी यह सुझाव दिया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और सहकारी आन्दोलन के स्वरूप का बदला जाना आवश्यक है।

किसानों के अधिकारों का संरक्षण करने वाले विधानों से अभी तक काश्तकारों को कोई राहत नहीं मिली है। सरकारी अधिकारी जमींदारों की सहायता करते हैं फलस्वरूप कई मामलों में किसान बेदखल कर दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कौला वैंकैया]

अधिकतम भूमि अधिनियम जो कि विभिन्न राज्यों में पारित किये गये हैं, दिखावा मात्र हैं। उनसे जनता को कोई राहत नहीं मिली है। भूमि हीन श्रमिक अभी भी वर्ष के कई महीनों में बेकार रहते हैं। जिनके पास जमीनें हैं उनके पास खाद के लिये पैसा नहीं है। यह स्मरण रखना चाहिये कि मद्रास राज्य भारत में पहला राज्य है जहां कि सहकारिता के आन्दोलन को महत्व दिया गया और उसे पुरजोर लागू किया गया। तथापि अब सहकारिता के आन्दोलन की यह स्थिति हो गयी है कि जमींदार तथा अन्य निहित स्वार्थ, सहकारी समितियों का लाभ उठा कर अपनी स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं। नियम ऐसे हैं कि सहकारी समितियों के लिये नये सदस्यों का बनाना अथवा अपने कार्यक्षेत्र का अन्य गांवों में विस्तार करना कठिन है। उदाहरणार्थ हमारे जिले में सेन्ट्रल बैंक एक महत्वपूर्ण बैंक है। यह बैंक यदि किसी गांव को अपने यहां पंजीयित नहीं करता तो उस गांव को सरकार की ओर से भी सहायता नहीं मिलती है। इस कारण कई गांवों की सहकारी समितियां बेकार सिद्ध हो रही हैं।

हमारे इलाके में पंचायतों के चुनाव खुले ढंग से होते हैं। इसलिये गांव वालों को मतदान करना एक समस्या हो जाती है। वाड़ों का विभाजन भी एक गम्भीर समस्या है। इस में पक्षपात किया जाता है। यह विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि शासक दलों को जिला परिषद् और पंचायत दोनों में ही बहुमत प्राप्त हो जाय। वस्तुतः वहां के जमींदारों ने इन सभी संस्थाओं पर अपना अधिकार कर लिया है। अतः यदि सामदायिक विकास आन्दोलन को सफल बनाना है तो हमें चाहिये कि हम भूमि सुधारों को तत्काल क्रियान्वित करें और विषमताओं को दूर करें। रिजर्व बैंक ने ग्रामीण ऋण सम्बन्धी प्रतिवेदन में जो सुझाव दिये हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

†**श्री वैंकटा सुब्बया** (अडौनी) : पंचायती राज ने आंध्र प्रदेश में बहुत तरक्की की है और मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। तथापि मेरा विचार है कि केन्द्रीय तथा सरकार के बीच समायोजन नहीं है इससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। बलवंत राय समिति की सिफारिशों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जाना चाहिये। व्यवहार में यह होता है कि केन्द्र की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जाता।

देश में समस्त राज्यों के लिए एक व्यापक विधान बनाया जाना चाहिये ताकि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव में समान नीति रहे।

पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं है। पंचायत समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंचायत समितियां स्वायत्तशासी हैं और वे जिला परिषदों के प्रति पूर्णतः जिम्मेदार नहीं हैं जो कि जिला स्तर पर नियंत्रण एवं समन्वय निकाय समझे जाते हैं। एक प्रकार का द्वैध शासन चल रहा है।

पंचायत समितियों की निधि और संसाधन सीमित हैं जिनसे उन्हें अनेक प्रकार के काम करने होते हैं। परिणामतः वे एक स्थान पर किसी कार्य विशेष पर ध्यान नहीं दे पाती हैं जहां उन सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इन सब बातों की जांच करनी होगी और पंचायत समितियों को यह तय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिये कि कौन सी सुविधाओं का पहले उपबंध किया जाय तथा किन क्षेत्रों के लिये। उदाहरणार्थ कई स्थानों में पीने के पानी की बहुत कमी है तथापि इस कार्य के लिये जो उपबंध किया जाता है वह बहुत कम है इससे सभी गांवों के पीने के पानी की कमी दूर नहीं हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये जनता से जो अंशदान लिया जा रहा है यह सब ढकोसला है। क्योंकि इस राशि का उपयोग कई समाज विरोधी तत्व अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि संबंधित अधिकारी जनता का सहयोग प्राप्त करने में असमर्थ रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय पर जांच करें।

आंध्र प्रदेश के राज्य-बिक्री संघ के सभापति होने के नाते मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि सहकारी समिति अधिनियम पुराना और निष्क्रिय हो गया है। कई बार अनुरोध करने पर भी इस अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया है। मेरा सुझाव है कि अधिनियम में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाये कि अभाव-पीड़ित जनता को तत्काल सहायता सुलभ हो सके।

श्री समनामी (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, आपने मुझे इस वक्त जब कि कोपरेशन पर बहस चल रही बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं।

जो रुपया इस मद पर लगता है वह सारे अवाम की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और देहात में खामोश इनकलाब जो बरपा हो रहा है उसमें मदद देने के लिए सर्फ होता है। मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूं जो कि कुछ लोग कहते हैं कि देहात में जो पंचायत और कोपरेशन का काम होता है उसको देहात के रहने वाले नहीं समझते और उन पर दूसरे लोगों का गलबा हो जाता है। मैं ने देखा है कि अमली तौर पर जो काम देहात में हो रहा है उसमें देहात के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसको आगे बढ़ाने का जज़बा उनमें पैदा हो रहा है। इसको मैं ने खामोश इनकलाब का नाम इसलिए दिया कि यह काम देहात में निहायत खामोशी से हो रहा है। लेकिन जब इनकलाबी तहरीक चलती है तो उस तहरीक को चलाने वालों के न चाहते हुए भी उसमें कुछ नापसन्दीदा अन्सर आ जाते हैं और उस तहरीक की शक्ल और हैसियत को बदल देते हैं। यह सूरत है।

मैं मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को और इस वजारत के इन्चार्ज मिस्टर डे को जो अनथक मेहनतों से इस काम को अन्जाम दे रहे हैं। जब हम इस तहरीक की तरफ देखें तो हमें इसकी खूबियां ही छापने और इसकी तारीफ ही करने के बजाये उन चीजों की तरफ भी तवज्जह देनी चाहिए जो कि इसमें रोजमर्रा की जिन्दगी में पैदा हो रही हैं।

इस वक्त चीज यह है कि देहात में रहने वाले जोश व खरोश के साथ इस तहरीक में हिस्सा ले रहे हैं लेकिन आबादी का आधा हिस्सा, चाहते हुए या न चाहते हुए, इस तहरीक से अलाहिदा है। मेरा इशारा औरतों की तरफ है। आपने देखा होगा कि देहात में औरत जिन्दगी में बाकायदा साझीदार होती है। वह बाकायदा खेतों में काम करती है और जिन इलाकों में खेतों में काम नहीं करतीं वहां अपने खाविन्द और भाई वगैरह के लिए खेतों पर खाना पहुंचाती हैं और घर में मवेशी वगैरह की देखभाल करती है और सब कुछ करती है। लेकिन पंचायत और कोआपरेटिव तहरीक में उसका कोई हिस्सा नहीं है। और उसका कोई मुकाम पैदा करने की कोशिश नहीं की गयी है और जहां है भी वहां सिर्फ नुमाइश के तौर पर। और जहां मैं यह कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं वहां सब से बड़ी बात यह है कि इस तहरीक को उन्हीं लोगों पर छोड़ा जाय जिन के लिए कि यह तहरीक है। वह ही इस को प्लान करें और जो कुछ चाहते हैं उस पर अमल करें। आफिशियलडम की तरफ से जो नुमायशी चीजें आती हैं वह नुमायशी चीजें असल काम को भी पीछे डाल देती हैं।

[श्री समनामी]

जैसा मैं खवातीन के हिस्से के बारे में अर्ज कर रहा था कि इस तहरीक में दरअसल उनका हिस्सा तो बहुत कम है लेकिन यह दिखाने के लिये कि खवातीन इससे ताल्लुक रखती हैं कहीं सरपंच या पंच के तौर पर नुमायशी तौर पर एक औरत को रख दिया जाता है और उसको लेकर काफी पबलिसिटी की जाती है और उस पबलिसिटी में मेरा खयाल है कि उस ब्लाक के और गिर्दो नवां के ब्लाकों का सारा का सारा वक्त इस पबलिसिटी पर खर्च हो जाता है। इस पबलिसिटी में यह कहा जाता है कि यह खवातीन इतने ज्यादा वोट लेकर और मर्दों को हरा कर सरपंच है और यहां बनी आई है। अब इस तरह की नुमायशी बातें को जाती हैं।

इस तहरीक के मुताल्लिक पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स और जो माहनामे निकलते हैं वह अंग्रेजी में बड़े अच्छे छपते हैं। ठीक है अच्छी बात है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहें कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिएं। लेकिन इसी के साथ यह ध्यान रखना चाहिये कि यह जो लिटरेचर हम छाप रहे हैं वह सिर्फ शहरों मे रहने वाले पढ़े लिखे तबके के लिये ही न हो। अब शहरों में रहने वाला पढ़ा लिखा तबका तो इस की दाद दे सकता है कि यह बहुत अच्छा है और इसका गेट अप बड़ा अच्छा है। लेकिन दरअसल जिन लोगों से इस लिटरेचर का ताल्लुक होता है उन के पास जब यह अंग्रेजी का लिटरेचर पहुंचता है तो सिवाय इसके कि फ्रण्ट कवर की ऊपर की तस्वीर देख लें या उसके पिछले कवर की तस्वीर देख लें, इसके अलावा और और कुछ उनके पल्ले नहीं पड़ता है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि जहां हम नुमायशी तौर पर और प्रोपेगेंडा की तौर पर अंग्रेजी में लिटरेचर छाप रहे हैं, वहां इलाकायी जबानों में भी यह लिटरेचर छपे और सही हाथों तक पहुंचे ताकि वह इससे मुस्तफीद हो सकें।

मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह की नुमायशी बातें इस तहरीक के मुताल्लिक चलती हैं। मैं स्टेट का नाम नहीं लेता लेकिन चूंकि इस मामले में मुझे दिलचस्पी है और मैं काफी घूमा हूं इसलिये मुझे जानकारी है कि कहीं कहीं पर मौडल पंचायतें भी बनाई गई हैं। एक मौडल पंचायत इस तरह की मैंने एक स्टेट में देखी, मैं उस स्टेट का नाम नहीं लूंगा लेकिन अगर मिनिस्टर साहब उस का नाम जानना चाहेंगे तो मैं उनको बतला दूंगा। वहां पर जो मैंने मौडल पंचायत देखी उसके अपने रिजर्व फंड्स बहुत ज्यादा हो गये हैं। इस तहरीक की मंशा जो है वह यही है कि हर एक पंचायत के अपने फण्ड्स हो जायं और वह इतने हो जायं कि वह तामीर और तरक्की के जो भी काम हैं वह खुद बखुद कर सकें और बगैर सरकारी मदद के वह एक खुदमुख्तार इदारा हो जो कि अपने इलाके की और अपने देहात की तरक्की कर सके। यह ख्याल बड़ा अच्छा था लेकिन इसको नुमायशी बातों में डाल कर इसकी मंशा को बदल दिया गया है। जिस मौडल पंचायत का मैं जिक्र कर रहा था वह पहले टाउन एरिया कमेटी थी। फिर जब शहर बढ़ने लगा तो इसलिये कि विजिटर्स और मिनिस्टर्स इस मौडल पंचायत को देख सकें, इस टाउन एरिया कमेटी को मौडल पंचायत में कनवर्ट कर दिया गया। अब चूंकि शहर बढ़ रहा है और वह शहर से बिल्कुल मुलहिक है इसलिये वहां की जमीनों की कीमतें बढ़ रही हैं। वहां पर जमीन एक्वायर की गई और उसको पंचायत को दे दिया गया। पंचायत ने उस जमीन की प्लान्टबन्दी करके भारी मुनाफे से बेचा। पंचायत को जो जमीन २ रुपये गज के हिसाब से मिली थी वह उन्होंने १०० रुपये गज के हिसाब से बेची और उसको रिजर्व फण्ड में दिखाया। मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें कागजों में दिखाने के लिए या बाहर के विजिटर्स को दिखाने के लिये और यह बताने के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके असरात जो हैं वह मुहलिक और दूर रस हैं और इसके मुताल्लिक लोगों में इतनी नफरत होती है कि सारी की सारी तहरीक जो हम बना रहे हैं और जिसमें कि हम अवाम को मोबलाइज करना चाहते हैं वह सारी तहरीक मस्क हो कर रह जाती है। सारी तहरीक का हुलिया सा बिगड़ जाता है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की नुमायशी बातों से परहेज किया जाये और लोगों को मौका दिया जाये कि वह बगैर आफिशिएलडम के डिक्टेशन के इस तहरीक में काम कर सकें और

जो वह सोचें उस पर अमल करें। यह बेकार की बातें जो कि आफिशिएलडम उन पर ठूंसती हैं उनसे बच सकें। इस तरह काम करने से यह तहरीक ज्यादा आगे जा सकती है।

पंचायत राज्य और कोआपरेशन में तालमेल करने के लिये जो अभी नया पैट्रन आया है वह एक बहुत मुबारक कदम है और इसके लिये मैं मुबारकबाद देता हूं। लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटीज का जहां तक ताल्लुक है उसके लिये जो बड़े बड़े सैमीनारों और कान्फ्रेंसेज में हम फैसले करते हैं उसमें वह खयालात जो कि रोजमर्रा की जिन्दगी में कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आते हैं वह उनमें शायद शामिल नहीं हो सकते। चुनांचे देखने में तो यही आता है कि एक गरीब आदमी जिसके कि पास जमीन नहीं है कुछ नहीं है वह एक सोसाइटी में आता है, चाहे इण्डस्ट्रियल सोसाइटी खोली जाये या दूसरी सोसाइटी खोली जाये जिसमें उसकी गुंजाइश होती है वह उसमें आता है। वहां जब आता है तो उसके पास अपना हिस्सा देने के वास्ते १०, २० या १०० रुपये ही होते हैं। उससे आगे नहीं हैं। कोआपरेटिव्स की फाइनेंसिंग एजेंसीज जो बनी हुई हैं वह भी अपनी अपनी रियासतों में अपनी जगह पर मजबूर हैं कि वह उनको खुल कर फाइनेंस कर सकें। इसलिये वह नई सोसाईटियों को पूरा फाइनेंस नहीं कर सकती हैं क्योंकि उन के पास मीडियम और लौंग टर्म का रुपया नहीं है। ऐसी सोसाइटी जब रजिस्टर हो जाये और वह फाइनेंस न हो तो पबलिसिटी चलाने के लिये नक्शे में तो उसका नाम आ जाता है लेकिन अमलन् वह काम नहीं कर सकती हैं। रजिस्ट्रेशन होने से और सोसाइटी की क्रेडिट लिमिट मंजूर होने तक सब कुछ हो जाता है लेकिन जब अमलन् काम करने का वक्त आता है तो उनके पास सरमाया नहीं होता और सरमाया न होने की वजह से एक फ्रस्टेशन आता है और एक उनमें कोआपरेटिव मूवमेंट से बेजारी आती है। इस वास्ते मैं अर्ज करूंगा कि कोआपरेटिव तहरीक को लोगों तक पहुंचाने के लिये सिर्फ टार्गेट की ही तरफ न देखा जाये कि किस स्टेट में किस किस्म की और कितनी सोसाइटियां बनेंगी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार या इंसपैक्टर साहब इधर, उधर दौड़ दौड़ कर २, ४ या ५ लोगों को बुला लायें और उनका अंगूठा दस्तखत करा लें और इस तरह से रजिस्ट्री का ठप्पा या मुहर लगा कर नक्शे में दिखा दें कि यह सोसाइटी रजिस्टर हो गयी है।

हर एक स्टेट में कोआपरेटिव यूनियन, काआपरेटिव एजूकेशन के लिये काम कर रही है। फाइनेंशियल एजेंसी जिसने कि रुपया देना होता है और डिपार्टमेंट जिसने कि रजिस्टर करना होता है, इन तीनों में कोआर्डिनेशन हो और वह लोग यह सोचें कि जो सोसाइटी बनाने जा रहे हैं वह कामयाब भी हो सकेगी या नहीं और उसे फाइनेंस भी मिल सकेगा या नहीं। इन तीनों एजेंसियों का कोआर्डिनेशन ही इस कोआपरेटिव की तहरीक को कामयाब बना सकता है। इसके बाद सोसाइटी अगर रजिस्टर हो और उसकी मुश्किलात के बारे में पहले से ही सोच लिया जाय और जरूरी फाइनेंस प्रोवाइड कर लिया जाय तो हमारी कोआपरेटिव सोसाइटीज तरक्की कर सकती हैं।

एक आखिरी फिकरा जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मिनिस्ट्री को यह देखना होगा कि इस तरह की जो सोसाइटियां बनती जा रही हैं और उन में जो मेम्बर्स आ रहे हैं वह सिर्फ कोआपरेटिव नाम के एक्सप्लायटेशन के लिये तो नहीं आ रहे हैं ? हमें ऐसे आदमियों को ही इनमें आने देना चाहिये जो कि कोआपरेटिव्स को सही तौर पर मानते हों। ऐसा न हो कि नापसन्दीदा अनासिर आ जायं और बाद में कोआपरेटिव यूनियन को कहा जाय कि उनकी तालीम का इन्तजाम किया जाय। इसलिये बेहतर हो कि हम कोआपरेटिव्स का सबजैक्ट बाकायदा स्कूलों के छोटे बच्चों से लेकर कालिजों तक के नौजवानों को पढ़ायें और इसकी पढ़ाई कम्पलसरी कर दें। कोआपरेटिव सोशलिस्ट तर्जे निजाम के लिए एक अहम दर्जा रखता है इसलिये यह जरूरी है कि आने वाली नस्लें कोआपरेटिव के उसूलों से पूरी तरह वाकिफ हों। यह नहीं कि नापसन्दीदा अनासिर उन सोसाइटियों पर कब्जा करलें और फिर स्टुडेंट्स यूनियन्स को कहा जाय कि उन को एजुकेट किया जाये। अगर मुहकमा तालीम इस तरफ तवज्जह दे और कोआपरेटिव के मजमून को तालीमी निसाब में एक कम्पलसरी मजमून

[श्री समनामी]

करार दिया जाय और इस तरह से पहले से ही आने वाली नसलों को कोआपरेटिव के बारे में तालीम देकर तैयार कर दे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ज्यादा अच्छे तरीके से इस तहरीक को हम कामयाब बना सकते हैं । शुक्रिया ।

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं को-आपरेशन और ग्राम-पंचायतों के सम्बन्ध में, जो कि कम्युनिटी डेवेलपमेंट के अन्तर्गत आती हैं, चन्द बातें अर्ज़ करना चाहता हूं । देश की शासनसत्ता उसूली तौर पर सेंट्रलाइज्ड हो या डीसेंट्रलाइज्ड, इसी पर बुनियाद है ग्राम पंचायतों, कोआपरेशन और सामुदायिक विकास योजनाओं की । आज़ादी के बाद मुल्क के सामने यह सवाल आया कि इस समाज का विकास किस तरह से किया जाये और उसी के आधार पर सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें, को-आपरेटिव्ज़ और दूसरी सब योजनायें चालू की गईं ।

समाज के उत्थान के लिये दो बातों की आवश्यकता पड़ती है---एक तो उस की आर्थिक मदद की जाये और दूसरे दिमाग़ी तौर पर उस का काफी विकास किया जाये । जब तक समाज के लोग शिक्षित न हों और उन को इस बात का ज्ञान न हो कि वे किस तरह से अपनी उन्नति कर सकते हैं और वह समझ होने के बाद भी अगर उन के पास आर्थिक जड़ न हो, उन को रुपए-पैसे की कमी पड़ जाये, तो वे अपना विकास नहीं कर सकते हैं । चूंकि अभी तक हमारा देश पिछड़ा हुआ देश गिना जाता है, इसलिये इन दोनों कामों की ज़िम्मेदारी सरकार के ऊपर आ कर पड़ी है ।

इस सम्बन्ध में सारे देश से---और खास कर उन लोगों की तरफ से, जो कि गांधीवादी हैं---यह मांग हुई कि सरकार के जितने अधिकार हैं, उनका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और हर बात में केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिये । इस उसूल को मान कर प्रान्त में यह नक्शा बनाया गया और चारों तरफ यह प्रोग्राम लागू किया गया और मेरा ख़याल है कि जितनी अन्य पार्टियां हैं, वे भी इस पर राज़ी हुई हैं ।

अब देखना यह है कि सरकार ने जो यह स्कीम बनाई है, उसको वह ठीक तरह से कार्यान्वित कर रही है या नहीं, जहां आर्थिक सहायता की ज़रूरत है, वहां वह दे रही है या नहीं और लोगों के बौद्धिक विकास के लिये, उनमें जागरुकता लाने के लिये प्रचार कर के या दूसरे तरीके अपना कर उनको शिक्षित कर रही है या नहीं । ये दो मूल बातें हैं, जिन पर हम को विचार करना चाहिये । इसके बाद ही हम को देखना चाहिए कि जनता इस कार्यक्रम को अपनाती है या नहीं ।

मन्त्रालय की १९६१-६२ की रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिए गए हैं । उसमें बताया गया है कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या १९५०-५१ में १.०५ लाख, १९५५-५६ में १.६० लाख और १९६०-६१ में २.१३ लाख थी, जबकि तीसरी योजना का लक्ष्य २.३० लाख हैं । जहां तक उनकी सदस्य-संख्या का प्रश्न है, वह १९५०-५१ में ४४.०८ लाख, १९५५-५६ में ७७.९१ लाख और १९६०-६१ में १७३.१८ लाख थी । इसी तरह से रिपोर्ट के पृष्ठ ५२, ५३ और उनसे अगले पृष्ठों पर प्राथमिक कृषि ऋण और बहूद्देश्यीय समितियों, चीनी के कारखानों और सहकारिता के बारे में अन्य आंकड़े दिये गये हैं ।

इन आंकड़ों को देखने से यह मालूम होता है कि जब समितियों या ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो सरकार उन को सहायता देती है । वह प्रापेगेंडा की दृष्टि से कांफरेंसिज़ और सेमिनार बुलाने, लिट्रेचर तैयार करने और बांटने, सिनेमा के द्वारा लोगों को शिक्षित करने और कल्चरल प्रोग्राम्ज़ के द्वारा प्रचार करने का काम भी कर रही है । ये बातें ठीक हैं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन साथ ही इस बात से भी इंकार नहीं करना चाहिये कि कुछ खामियां

भी हैं, फिर चाहे यह बात विरोधी दल के लोग कहते हों, या अपने पक्ष के लोग, कांग्रेसजन, कहते हों ।

मैं समझता हूं कि अगर कोई बात कही जाये और उसमें सच्चाई है, तो यह सोच कर उस पर ध्यान न दिया जाये कि चूंकि यह बात विरोधी दल के व्यक्ति कह रहे हैं, अतः वे ऐसे ही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, यह सरकार का रुख नहीं होना चाहिए । हमारे जो आफ़िसर्ज़ हैं, जिनको यह काम करना है और जिनके ज़रिये यह प्रोग्राम लागू किया जाता है, उनका भी यह ख्याल नहीं होना चाहिये कि इस सदन में सदस्यों ने खरी-खोटी सुनाई है, वे तो सुनाते ही रहेंगे और जब जब यह हाउस बैठता है, इस प्रकार की बातें कही ही जाती हैं और इसलिए वे जो चाहे बातें कहते रहें, हम तो अपनी रफ्तार से ही जायेंगे ।

इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि जो कार्यकर्ता आज किसी ऊंचे पद पर है, मिनिस्टर या कोई आला आफ़िसर है, वह यह न समझे कि आज वह आफ़िसर या मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर है तो कल उसके बच्चे भी आफ़िसर या मिनिस्टर होंगे । इसके अलावा जो आदमी आज किसी एडवान्टेजस पोज़ीशन में है, यह ज़रूरी नहीं कि वह कल भी वहीं पर रहेगा । इसलिए मैं बराबर कहता हूं—खासकर आफिसरों को मैं ज़रूर कहता हूं कि हम आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के साथ लड़े और फिर शासन का सारा काम उन के सुपुर्द कर दिया और अब उस को बनाना या बिगाड़ना जितना उनके हाथ में है, उतना हमारे हाथ में नहीं है ।

गवर्नमेंट की योजना तो ठीक है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग की एजेन्सी एक है और उसके एक्सीक्यूशन की एजेन्सी दूसरी है । जहां तक प्लानिंग का सम्बन्ध है, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब योजना एक्सीक्यूशन की स्टेज में चली जाती है, तो उसका रूप ही अजीब हो जाता है और वह हमारी समझ में नहीं आता । ऐसा मालूम होता है कि जिस मंज़िले-मकसूद पर मुल्क जाना चाहता है, हम उससे बहुत पीछे और कभी कभी उल्टी दिशा में भी चल रहे हैं । इस से लोगों को तकलीफ़ होती है ।

इस विभाग के सम्बन्ध में जो क्रिटिसिज्म किए गए हैं, वे काफ़ी हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । मैं दो चार सजेशन्ज़ आपके सामने रखना चाहता हूं । यह बात ठीक है कि इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने इस विषय में अपने विचार रखे हैं । मैं उनको कहना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर्ज़ और आफ़िसर्ज़ को उनका अनुभव है । मेरा खयाल है कि अगर उन पर तवज्जह दी जायेगी, तो यह काम इस में शक नहीं कि यह एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है—बहुत अच्छी तरह से चलेगा । इस काम के जो इनचार्ज हैं, हम उनकी बातों को सुनते और देखते हैं । उनमें एक आग है, लेकिन वह सारी आग नीचे जाते जाते बुझ जाती है, जिसको वह महसूस करते हैं ।

बी० डी० ओ० का जो काम है वह रेवेन्यू कोलेकशन और डिवेलेपमेंट का है । ये दोनों काम उसके जिम्मे हैं । दोनों काम उसके जिम्मे होने की वजह से कोई भी काम ठीक से नहीं चलता है । मैं चाहता हूं कि बी० डी० ओ० के पास डिवेलेपमेंट का काम रहे और रेवेन्यू का काम उसके पास न रहे और रेवेन्यू का काम किसी और अधिकारी के जिम्मे किया जाए । इन दोनों को बाइफरकेट कर दिया जाए । यह बहुत जरूरी है ।

मैं यह भी चाहता हूं कि ग्राम पंचायतों को एक वक्त में ही सभी अधिकार न दे दिये जायें । आप जब किसी डिप्टी कलक्टर को बहाल करते हैं तो फर्स्ट क्लास पावर्ज़ आप उसको नहीं दे देते हैं एक ही रोज़ में और न ही उसको आप कलैक्टर की पावर्ज दे देते हैं या कलैक्टर बना देते हैं । जैसे जैसे वह अनुभव प्राप्त करता जाता है आप उसको अधिकार देते चले जाते हैं । ठीक इसी तरह से पंचायतों

[श्री क० ना० तिवारी]

के काम को भी आप जज कीजिये। जब डिवेलेपमेंट का कोई काम ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दिया जाता है उसके बाद देखें कि डिवेलेपमेंट का कितना काम उसने किया है और किस तरह का किया है। पहली स्टेज पर उनको कुछ पावर्ज़ दे दीजिये, दूसरी स्टेज पर कुछ और दे दीजिये, तीसरी पर कुछ और इस तरह से उसकी पावर्ज़ को आप बढ़ाते जा सकते हैं। उनको आप डिवेलेपमेंट वर्क से तथा दूसरी बातों से जज कीजिये। आप देखिये कि झगड़े वगैरह तो नहीं बढ़ते हैं, और अगर झगड़े वगैरह बढ़ते हैं तो क्या वह कम्प्रोमाइज़ करा सकती हैं या नहीं और कितने कसिस में उसने कम्प्रोमाइज़ करवाया है। इन सब चीज़ों से जज कीजिये तब पावर्ज़ उनकी आप बढ़ाइये। इसके लिए आप जो चाहें स्टैंडर्ड रख सकते हैं।

ग्राम पंचायतों को ज्यूडिशल और एग्ज़ेक्टिव दोनों प्रकार की पावर्ज़ आज दी गई है। ये दोनों पावर्ज़ आप उनको मत दीजिये। ग्राम पंचायत चूंकि चुनी हुई होती है इस वास्ते उसके पंच सही न्याय लोगों को नहीं दे सकते हैं। जिन पंचायतों में झगड़े होते हैं वहां दो, तीन या चार दल बन जाते हैं। ऐसी हालत में वे जस्टिस नहीं कर सकती हैं। ज्यूडिशल और एग्ज़ेक्टिव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डिवेलेपमेंट का काम आप उनके सुपुर्द रखिये लेकिन ज्यूडिशरी का काम उनसे न करावाइये किसी भी चुने हुए आदमी को आप वहां बिठा दीजिये, चूंकि उसको दुबारा चुनाव लड़ना होता है और तभी यह उसमें रह सकता है, इसलिए वह जस्टिस नहीं कर सकता है। इस वास्ते यह बहुत जरूरी है कि ये दोनों पावर्ज़ उसको न दी जायें।

एक शिकायत यह भी है कि कोओप्रेटिव्ज़ और ग्राम पंचायतों के एकाउंट्स का आडिट नहीं होता है। इनका स्ट्रिक्ट आडिट होना चाहिये। इस वक्त जो हिसाब किताब है और जितना रुपया आप देते हैं, उसका आडिट नहीं होता है। यह होना चाहिये।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी कम्पलेंट्स आती हैं ग्राम पंचायतों के खिलाफ़, उनकी इनक्वायरी होनी चाहिये। जिस तरह से दूसरे विभागों में चलता है, विलम्ब होता है, रेड-टेपिज्म चलता है, अगर यही चीज़ ग्राम पंचायतों में भी चलेगी तो काम ठीक तरह से नहीं चल सकेगा। वे टोटली फेल्योअर साबित होगी। इस लिए अगर कोई शिकायतें आती हैं तो उनकी जांच होनी चाहिये और जो इनक्वायरी हो वह प्रापर हो और जल्दी हो।

जहां आप यह सब करें वहां लोगों को शिक्षित करने का काम भी अपने हाथ में लें। इसका बहुत बड़ा असर होगा। उनको शिक्षित करने का काम अच्छी तरह से किया जाना चाहिये। आपने टूरिंग सिनेमाज़ ब्लाक्स में भेजे हुए हैं और रिकार्ड सैट भी वहां भेजे हुए हैं। जो रिकार्डज़ आज वहां पर सुनवाये जाते हैं, वे अच्छे नहीं होते हैं। देखा गया है कि "आवारा हूं, आवारा हूं" की तरह के रिकार्ड सुनाये जाते हैं। ये घटिया किस्म के रिकार्ड हैं और उनका बुरा असर लोगों पर पड़ता है। इस तरह के रिकार्ड सुनाये जाने चाहियें जिससे लोगों में देश भक्ति जागृत हो और वे अच्छे नागरिक बनें। आपको चाहिये कि आप अच्छे अच्छे रिकार्ड भी बनवायें। नैशनल सांग्ज़ लोगों को आपको सुनवाने चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : मेरी घंटी की आवाज़ तो मीठी है, आप उसको भी नहीं सुनते।

श्री क० ना० तिवारी : मैंने खत्म कर दिया है।

श्री ह० च० सोय (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिटी डिवेलेपमेंट के बारे में जितने भाषण हुए हैं मैंने उनको सुना है। उनमें काफी दिक्कतों की जो बातें हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित किया

गया है । मैं समझता हूं कि देहाती जीवन को ऊंचा करने के लिए और वहां की गरीबी को मिटाने के लिये यदि कोई तरीका हो सकता है, तो वह कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का ही तरीका हो सकता है । मगर सवाल इतना सा ही है कि सको किस तरह से ठीक तरीके से चलाया जाए ताकि हमारा जो उद्देश्य है, वह पूरा हो सके ।

जब मैं रिपोर्ट को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्टर साहब ने तसवीर का एक रुख ही हमारे सामने रखा है, एक तरफा सी रिपोर्ट हमारे सामने रख दी है । लेकिन जब हम लोग डिफैक्ट्स की ओर इशारा करते हैं तो उनकी तरफ तो ध्यान दिया ही जाना चाहिये लेकिन उसके साथ ही साथ मंत्री महोदय को भी चाहिये कि वह रिपोर्ट में लिखें कि पिछले नौ सालों में किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी कामयाबी मिली है, क्या क्या गलतियां हुई हैं, क्या क्या डिफैक्ट्स देखने में आए हैं और किस तरह से उनको वह दूर करना चाहते हैं । कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामोद्योगों को बढ़ाना, जो जन-शक्ति देहातों में पड़ी हुई है, उसका उपयोग कैसे हो सकता है, इसको कार्य में लगाना है । इन बातों में कितनी तरक्की हुई है और क्या क्या कमियां रह गई है, इन सब की ओर रिपोर्ट में इशारा किया जाना चाहिये । अगर हम गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि वाकई में इन सभी क्षेत्रों में हमें काफी कामयाबी हासिल नहीं हुई है ।

कम्युनिटी डिवेलेपमेंट में सब से बड़ी बात यह है कि जो ग्राम स्तर पर या ब्लाक स्तर पर काम करते हैं, वे कैसे हैं । अकसर देखने में आया है कि जो काम करने वाले होते हैं, वे ऐसे तबके के होते हैं जिन को उन लोगों के बीच में काम करके खुशी अनुभव नहीं होती है और न ही उनकी उन लोगों के प्रति कोई असली हमदर्दी होती है । वे उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं और न उनके साथ घुल मिल सकते हैं । विशेष कर जब मैं अपने इलाके में, ट्राइबल ब्लाक में देखता हूं तो बी० डी० ओ० की बात को तो आप छोड़ दें, विल्लेज लेवेल वर्कर भी उन लोगों की भाषा को नहीं समझता है । उनके बीच रह कर उनको काम करना होता है । अगर वे उनकी भाषा को नहीं समझते हैं तो कैसे काम चल सकता है । उनके मन में इन लोगों के प्रति घृणा की भावना होती है और मजबूरी में उनको यहां काम करना पड़ता है । मैं मानता हूं कि बी० डी० ओ० तथा दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसी तरह से ब्लाक डिवेलेपमेंट कमेटी के जो लोग होते हैं, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है लेकिन जितनी ट्रेनिंग दी जाती है वह बिल्कुल नाकाफी होती है । इस वास्ते इस ट्रेनिंग के सवाल पर आपको गम्भीरतापूर्वक गौर करना चाहिये और जो लोग वहां रहें, उनको वहां की भाषा भी आनी चाहिये ।

कम्युनिटी डिवेलेपमेंट का जब काम आप कहीं पर शुरू करते हैं तो यह निहायत जरूरी है कि उस इलाके की सब से पहले जांच हो जाए और पता लगा लिया जाए कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है । उदाहरण के लिए मैं आपको अपने इलाके, छोटा गगपुर के बारे में ही बतलाता हूं कि वह पहाड़ी इलाका है । वहां पर ट्रेनिंग-कम-प्रोडकशन सैंटर में जो ट्रेनिंग दी जाती है वह लोहे का सामान बनाने की दी जाती है । यह ठीक नहीं है । बेहतर यह होता कि चूंकि वहां पर बांस बहुत है, सवाई घास बहुत है, कोकूंज वगैरह काफी तादाद में है, इनके ही इस्तेमाल की और इन से ही चीजें बनाने की उनको ट्रेनिंग दी जाती । इसकी ट्रेनिंग न दे करके एल्यूमीनियम का सामान बनाने की, लोहे का सामान बनाने की ट्रेनिंग उनको दी जाती है । यह एक नई चीज उनके लिए है और इसको जबर्दस्ती उनके दिमागों में घुसेड़ा जाता है । इसका नतीजा यह होता है कि आपकी स्कीम जो ट्रेनिंग देने की होती है वह नाकामयाब साबित होती है । इस वास्ते सब से पहले आपको सोशो-इकोनोमिक सर्वे करवाना चाहिये, लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जांच करवानी चाहिये, तब जा कर किसी स्कीम को हाथ में लेना चाहिये । अगर इस केस में पहले से ऐसा करवा लिया गया होता तो इस तरह की गलती नहीं होती ।

[श्री ह० च० सौय]

एक और भी आपकी असफलता का कारण है । नए नए ब्लाक हम शुरू करते हैं। यह अच्छी बात है । मगर कई ब्लाक्स में हमने देखा है कि बी० डी० ओ० के रहने के लिए स्थान नहीं होता है, आफिस के लिए जगह नहीं होती है और जब उसके पास ही कोई जगह नहीं होती है तो विल्लेज लेवेल वर्कर या दूसरे जो लोग हैं, एक्सटैंशन आफिसर वगैरह, उन लोगों के लिए कहां से जगह हो सकती है । आप ब्लाक्स की एस्टेबलिशमेंट के लिए और मकान वगैरह के लिए रुपये देते हैं । क्या कुछ रुपये का ऐसा इन्तजाम नहीं किया जा सकता है कि कोई टैम्पोरेरी शैड्ज़, बी० डी० ओ० तथा दूसरे अफसरों के लिए तथा घूमने आने वालों के लिए बना दिये जायें तब तक के लिए जब तक कि उनके लिए परमानेंट स्ट्रकचर्ज़ नहीं बना लिये जाते हैं । स्थायी मकान बन जाने के बाद इनको किसी दूसरे काम में लाया जा सकता है ।

हमारे इलाके में खरसांवां ब्लाक न० २ एक ब्लाक चल रहा है । उसको फर्स्ट स्टेज खत्म हो गई है । फिर भी उसके पास मकान वगैरह न होने की वजह से दूसरे ही ब्लाक में उसका आफिस वगैरह आपने रखा हुआ है । अब यह ब्लाक किस के लिए है, क्या उनके लिए है जहां पर इसका आफिस रख छोड़ा गया है या दूसरों के लिए । जिनके लिए यह है वहां पर तो इसका आफिस है नहीं, बाहर है। नतीजा यह है कि अधिक से अधिक लोग इस इलाके में १६, १७ मील दूर से आते हैं और दूसरे ब्लाक मे उन्हें जाना पड़ता है । इसलिये जिन लोगों को इस स्कीम वालों से सलाह वगैरह लेने के लिये दूसरे ब्लाक्स में जाना पड़ता है उन्हें काफी दिक्कत आती है और वे तंग आ जाते हैं । मिनिस्ट्री के लिये यह कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिये कि वह टेम्पोरेरी शेड्स वगैरह बनवा दें या कोई और इन्तजाम कर दें ।

मैं एक चीज और कहना चाहता हूं । अभी आज कई स्टेट्स के अन्दर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के काम को पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जरिये कराने की बात हो रही है । इस के लिये जो कानून बनाये जा रहे हैं वह बहुत अच्छी बात है और एक सही कदम है । मगर मैं तो यह चाहता हूं कि इस नये कानून में इस बात की व्यवस्था की जाय कि उन की आमदनी बढ़ सके । उन के जो अपने रिसोर्सेज होंगे, उन की जो अपनी आमदनी होगी अभी उसके १/६ या १/४ हिस्से का ही इन्तजाम उनके लिये किया गया है । मैं चाहता हूं कि मालगुजारी अर्थात् लैंड रेवेन्य का काम जिला परिषद् से ले कर ग्राम पंचायत को दे दिया जाय जिससे उन की आमदनी बढ़ सके ।

मैंने एक और चीज अपने इलाके में देखी है कि वहां पर जंगल काफी तादाद में हैं और उन से काफी आमदनी होती है । मैं चाहता हूं कि जंगलों की आमदनी का कम से कम आधा हिस्सा जिला परिषद् और पंचायत समिति के लेवेल पर दे दिया जाय । इतना ही नहीं मैं अपने और दूसरे इलाको में देखता हूं कि शराब की दूकानें सरकार बढ़ाती चली जा रही है । जहां एक ओर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के द्वारा हम देहात के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करना चाहते हैं वहां दूसरी ओर शराब की दूकानें दिनों दिन बढ़ती जाती हैं । यह बहुत बुरी बात है । लेकिन सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिये कि जो उस की एक्साइज की आमदनी होती है उस का ५० परसेन्ट पंचायतों को लौटा दिया जाना चाहिये ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकें । यह निहायत जरूरी है ।

हम जानते हैं कि हमारे इलाके में एक ओर तो हम कृषि के प्रसार के लिये अधिक जमीन चाहते हैं और दूसरी ओर फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हम को फारेस्ट बढ़ाना है और अधिक जमीन हम नहीं दे सकते । उन को जंगलों का एफारेस्टेशन करना है । मैं इस को मानता

हूं कि खेती की उन्नति के एफोरेस्टेशन बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल यह है हमारे इलाके के अन्दर फारेस्ट्स से जो आमदनी हो उस का उचित फायदा लोगों को डाइरेक्टली न हो तो क्या लाभ है ? इस से वहां के लोगों को निराशा होती है। इस लिये मैं यह भी जोर दे कर कहूंगा कि जो नये कानून वगैरह बने हैं उस में यह जरूर शामिल हो कि जो जिला परिषद् और पंचायत समितियों वगैरह की अपनी इनकम होती है उस में उनको एक्साइज़ और फारेस्ट्स की आमदनी का ५० परसेन्ट हिस्सा और मिलना चाहिये। इस के लिये सलाह दी जानी चाहिये कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वे इस तरह पर कानून को बदलें।

एक चीज मैं सोशल एजुकेशन के मामले में कहना चाहता हूं। इस मामले में मैं देखता हूं कि कई जगहों पर बी० डी० ओ० का जो स्टाफ है उस का ध्यान पूरी तरह नहीं जाता है। मैं चाहता हूं कि वे म्यूजिक और कल्चर की तरफ ज्यादा ध्यान दें। मैं छोटा नागपुर की तरफ इशारा करता हूं। हर एक मौके पर जो हमारी अपनी संस्कृति है, हमारे जो अपने बाजे गाजे हैं, उन को सोशल आरगनाइजर्स वगैरह जो होते हैं वे एन्करेज नहीं करना चाहते। दूसरी चीजों जिन से हमारा अपना कोई वास्ता नहीं है, वे ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जल्सों में, जैसे कि २६ जनवरी है, तमाम देश से आदिवासी लोगों के ट्रूप्स आते हैं और उन को एन्करेज यहां किया जाता है। यह बहुत अच्छी बात है, मगर उनकी अपनी जगह पर, कम्यूनिटी डेवेलपमेंट के इलाकों में उन चीजों को कोई प्रेरणा या प्रोत्साहन नहीं मिलता है। यह अच्छी बात नहीं है। जबर्दस्ती उन्हें दूसरे ढंग के बाजे वगैरह दिये जायें यह बिल्कुल गलत बात है, जबर्दस्ती थोपने की चीज है। मैं इस ओर मिनिस्ट्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम वह ध्यान दे और जो लोग अपने म्यूजिक और कल्चर को सोशल एजुकेशन के जरिये बढ़ाना चाहते हैं उन की इज्जत करे।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : सामुदायिक विकास कार्यक्रम महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को क्रियान्वित रूप देने का प्रयास मात्र है। तथापि जिस प्रकार यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है उससे न तो जनता को और न समाज के नेताओं को ही संतोष हुआ है इससे जनता मे कोई उत्साह नहीं पैदा हो सकता है।

सामुदायिक कार्यक्रम से यह आशा की गई थी कि थोड़े समय बाद यह सारा कार्य जनता अपने हाथों में ले लेगी किन्तु ऐसा नहीं हो सका है। तत्पश्चात् बलवंत राय मेहता समिति की नियुक्ति की गई जिससे वह इस सम्बन्ध में सुझाव दे सकें। अब कई राज्यों ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और वे उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं।

पंचायत राज के कार्य से हमें जो अनुभव हुआ है उससे हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि इस मार्ग में बड़ी बड़ी बाधायें हैं पहिला खतरा यह है इन चुनावों ने गुटबंदी दलबन्दी और जातिभेद को जन्म दिया है। जिसके कारण कई देश के ख्याति प्राप्त नेताओं जैसे आचार्य विनोवा भावे तथा जय प्रकाश नारायण तक ने इन कार्यक्रमों में संदिग्धता प्रगट की है। इससे संदेह है कि यद्यपि यह सुझाव दिया गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव किये जायें तथापि मेरा मत यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव का यही ढंग सर्वोत्तम है।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

मेरे विचार से ऐसे निर्दलीय लोगों की एक समिति बनायी जानी चाहिये जो कि पंचायती राज में विश्वास करते हों। इस समिति की शाखायें सारे भारत वर्ष में हों और वह इस बात का

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

प्रयत्न करे कि पंचायतों के चुनाव सर्वसम्मिति से किये जायें। चुनाव होने के पश्चात् पंचायत के पदाधिकारी को कमर कस कर विकास कार्यों में जुट जाना चाहिये।

अधिकतर यह होता है कि ग्राम सभा चुनी जाने के उपरांत केवल ग्राम सभा की कार्यकारिणी के सदस्य ही कुछ उत्साह दिखाते हैं अवशेष ग्रामीण निष्क्रय से रहते हैं और ग्राम सभा भी सभी अधिकांश गांवों में कोई उत्साह से काम नहीं करती हैं। अतः हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि जनता मे उत्साह हो और ग्राम सभायें सक्रियता से कार्य करें।

यद्यपि ग्रामीण युवकों को पंचायतों के उद्देश्यों का क्रियान्वित करने के कार्यों में प्रशिक्षण देने का प्रयत्न किया गया है तथापि इस कार्य में सफलता नहीं मिली है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैंने अपने राज्य में देखा है कि वित्तीय प्राक्रियाओं के कारण विकास कार्य काफ़ी रुक गया है। यह देखने में आया है कि सामाजिक कार्यकर्ता जब कोई काम करते हैं तो उनके बिल आदि पास होने में भी काफी कठिनाइयां आती है किन्तु दूसरी ओर ठेकेदारों के बिल आसानी से पास हो जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ताओं का काम काफी रुक जाता है। इस प्रकार सिंचाई आदि के लिये जो अपार धनराशि निर्धारित की जाती है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता और वह बेकार चली जाती हैं। अगर इस बारे में कोई जांच की जाये तो यह बात सिद्ध हो जायेगीं। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता हताश हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे तरीके से काम निकालने का प्रयत्न किया जाये तो काम आसानी से हो जाता है। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता इस प्रकार का काम नहीं करते अतः काम बीच में ही रुक जाता है।

पंचायतों का चुनाव होता है, ब्लाक समितियों का चुनाव होता है लेकिन उनमें कार्य करने के लिये लगन नहीं है। एक प्रायः से वे मृतप्रायः है। इसका कारण यह है कि उनके लिये धन नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि पंचायत राज्य सम्बन्धी संस्थाओं का विकास हो। इन पंचायत राज्यों को कर आदि नहीं लगाना चाहिये इससे इनकी लोकप्रियता को धक्का पहुंचेगा। इस लिये कर यदि लगाने भी पड़े तो वे राज्य सरकारों द्वारा ही लगाये जायें। और इन पंचायतों को काफी मात्रा में धन दे दिया जाये ताकि पूरे वर्ष तक ये अपना काम करते रहें।

देश में सहकारिता आन्दोलन के बारे में सरकार तथा जनता दोनों ने ही काफ़ी रुचि दिखाई है। इस आन्दोलन के विकास के लिये दो समितियों की नियुक्ति की गई थी। रिज़र्व बैंक आफ इंडिया तथा अन्य बैंक इस आन्दोलन के विकास मे काफी रुचि ले रहे हैं। किन्तु यह उतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिये था। मेरा एक सुझाव है कि कृषि के विकास के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी इस बारे में अनुमान लगाना चाहिये। मेरा एक सुझाव है कि यदि हम चाहते हैं कि ये पंचायत राज्य संस्थाएं पनपें, ये सहकारी संस्थाएं खाद्य उत्पादन के मामले मे तरक्की करे तो हमें इन को अधिक से अधिक धन देना चाहिये।

अच्छा हो कि एक कृषि वित्त निगम की स्थापना की जाये। पहले भी मैंने इसके बारे में एक सुझाव दिया था। हालांकि रिजर्व बैंक इस दिशा में कुछ कार्य कर रहा है किन्तु वह काफ़ी नहीं है। इसलिये कृषि वित्त निगम की स्थापना की जाये ताकि वह इन सहकारी संस्थाओं तथा व्यक्तिशः किसानो को ऋण दे सके।

अंत में मेरा यही विचार है कि कृषि ऋण एवं उसके वितरण सम्बन्धी कार्यक्रम को तेजी से चलाने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी पदाधिकारी,

पंचायत राज्य सम्बन्धी संस्थाएं आदि सभी सहयोग दें। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक समाजवादी समाज का स्वप्न पूरा नहीं होगा। तभी कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : उपाध्यक्ष महोदय, तकरीबन नौ साल से इस मुल्क में कम्युनटी डवलपमेंट और कोआपरेशन का काम हम कर रहे हैं। इस में शक नहीं है कि पंचायत राज्य को इस देश में एक खास मकसद के लिये बनाया गया है। यह मकसद यही था कि कि हमारी शासन की इकाइयां इन पंचायतों को माना जाये।

यह खुशी की बात है कि सरकार ने पंचायतो के सम्बन्ध में यह चीज मान ली है कि यह पंचायतें बिलकुल निष्पक्ष हो कर काम करे और कोई भी पोलिटिकल पार्टी उन के काम में दखल न दें। एक बिलकुल निष्पक्षपूर्ण दृष्टि से इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को चलाया जाय। पंचायत समिति, ताल्लुका बोर्ड या जिला परिषद् जो भी हों यह बिलकुल पार्टीलैस डमोक्रसी के उसूल पर चलनी चाहिये। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि कांग्रेस दल ने खसूस्न हमारी मैसूर स्टेट में जब ताल्लुका बोर्ड का चुनाव हुआ तो उस वक्त बेजाब्ता कांग्रेस की मीटिंग कर के हर एक जिले में एक, एक अपने लीडर को भेज कर टिकट देने का एक बाजार गर्म किया और उसी का यह नतीजा है कि हर ताल्लुका बोर्ड को कांग्रेस के टिकट के उसूल पर ही बनाया गया है। इसकी वजह से काम में बहुत बाधा पड़ रही है। ताल्लुका बोर्ड के द्वारा यह जो इरीगेशन और तकाबी लोंस दिये जाते हैं वह बिलकुल पार्टी बेसिस पर दिए जाते हैं और वह कार्यकर्ता जो ताल्लुका बोर्डामें अब शरीक हो चुके हैं वह बिलकुल एक पार्टी आफिस या कांग्रेस सब कमेटी की तरह से काम कर रहे हैं।

इरीगेशन और तकाबी लोंस में किस तरह से तरफदारी की जाती है उसके लिये मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुझे इस बारे में खास तौर से अपने जिले रायचूर और कुष्टगी ताल्लुके का अनुभव है जहां कि हम ने देखा कि बावली खोदने के लिये और इरीगेशन के लिये जो वहां पर पैसा बांटा गया वह उन्हीं लोगों को दिया गया जिन्होंने कि उन के लिये चुनाव में काम किया था, कांग्रेस के हामियों को ही यह पैसा दिया गया। अब इस चीज को लेकर वहां काफी वावेला मचा और यहां तक नौबत आयी कि वह लोग जिन्होंने कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारो को वोट न दे कर विपक्षी दल वालो को वोट दिया था उन लोगो ने एकत्र हो कर बी० डी० ओ० के आफिस में इसके खिलाफ सत्याग्रह किया और उसके बाद कहीं जा कर उनको रैलीफ मिली। मेरे कहने का मकसद यह है कि जब तक हम पालिटिक्स को इससे बिलकुल दूर नहीं रक्खेंगे उस वक्त तक इस कोआपरेटिव मूवमेंट को सफलता नही मिल सकेगी।

इस के बाद मैं अपने जिले रायचूर की डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कौंसिल की ३०-४-६२ की मीटिंग के लिये वहां के डिप्टी कमिश्नर ने जो मीटिंग या एजेंडा भेजा है, मिनिट्स आफ मीटिंग भेजे हैं उन के चंद रिमार्क्स मैं यहां हाउस में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। ऐसा इसलिये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यदि मैं कुछ कहूं तो उसके लिए यह कहा जायगा कि विरोधी दल में होने के कारण और पार्टी स्प्रिट में कहा गया है। इस वास्ते मैं अपनी तरफ से कुछ न कह कर उन्हीं के शब्दो को यहां पर पढ़ देना चाहता हूं। डिप्टी कमिश्नर रायचूर ने ३०-४-१९६२ को होने वाली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग के जो मिनिटेस भेजे हैं, उस के सफ़ा ६ पर देवदुर्ग ब्लाक स्टेज--१ के बारे में यह रिमार्क किया है :--

> "ब्लाक की प्रगति के बारे में विचार किया गया। विकास-अधिकारी का काम संतोषजनक था। प्रेसीडेंट ने अच्छा काम करने तथा लक्ष्य की पूर्ति करने का आदेश दिया।"

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

टार्जेट के फुलफिल होने का तो सवाल ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। सिवाये दो चार, बावली खोदने के, एक, आदमी को तकानी देने के और दो, चार दवाखानों को मैडीसिन तकसीम करने के और कुछ नहीं हुआ। इस के अलावा जहां तक मैं समझता हूं कोई और काम वहां पर नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट से भी साफ जाहिर हो जाता है कि क्या क्या काम वहां पर बिलकुल स्टैंडस्टिल हो चुका है।

"केवल मानवी और लिंगासुगूर ताल्लुक से १९६१-६२ के संशोधित आय-व्ययक अक्कलन प्राप्त हुए।"

दस ताल्लुकों में से सिर्फ तो ताल्लुकों से रिवाइज्ड बजट एस्टिमेट्स मिले थे। दूसरे ताल्लुक बोर्डस ने अपने रिवाइज्ड एस्टिमेंट्स समय के अंदर नहीं भेजे। सिर्फ दो ताल्लुक बोर्ड्स यानी रायचूर और मानवी ने ही अपने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स भेजे लेकिन उन में से भी मानवी ताल्लुक के बजट एस्टिमेट्स इनकम्प्लीट थे।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : आप किस तारीख के दस्तावेज़ से यह उद्धरण दे रहे हैं ?

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : ३० अप्रैल, १९६२ से।

†**डा० मेलकोटे** : मानवी मे कितना काम पूरा हो गया है। वहां बहुत से काम पूरे नहीं हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना कितना काम हुआ है ?

श्री शिवमूर्ति स्वामी : सभापति महोदय, मैं आप से चार पांच मिनट और मांगूंगा, क्योंकि मैं उन की प्रोग्रेस बताना चाहता हूं।

यह प्रोग्रेस रीव्यू आफ प्रोग्रेस अंडर रूरल वाटर सप्लाई स्कीम (स्टेट) फार दि यीअर १९६२--६२ से शीर्षक के नीचे दी गई है :--

रायचूर ताल्लुका	. .	तीन विलेजिज़
मान्वी ताल्लुका	.	पांच विलेजिज़
लिंगासुगुर ताल्लुका		तीन विलेजिज
यलबर्गा ताल्लुका		दो विलेजिज़

मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हर एक ताल्लुके में १५० से कम विलेजिज़ नहीं हैं, लेकिन उन में से दो तीन विलेजिज़ में बावलियां खुदवाने का काम किया गया है। जब तहसीलदार और मामलेदार थे, तो वे भी यह काम करते थे। अब इस काम के लिये स्पेशल स्टाफ रखा गया है और हर एक ताल्लुके में लाखों रुपये खर्च किये जाते हैं। लेकिन फिर भी एक दो विलेजिज़ में बावलियां खुदवाने का काम हो पाता है। इस के बावजूद सरकार की ओर से कहा जाता है कि हम बहुत कुछ सुधार कर रहे हैं और देश में क्रान्ति ला रहे हैं। यह बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : क्या वहां पर इन दो चार गांवों के अलावा किसी भी गांव में बावलियां नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : होंगी, लेकिन मैं इस फ़िनैंशल यीअर की बात कर रहा हूं।

†**डा० मेलकोटे :** माननीय सदस्य यह बतायें कि तुंगभद्रा परियोजना का पानी कितने ताल्लुको में जाता है जहां कि कुओं का खोदना बिल्कुल जरूरी नहीं है ।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : वे सब बातें इस में मोजूद हैं। माननीय सदस्य उन को देख सकते हैं। लेकिन में समझता हूं कि रायचूर प्रापर के लिये अभी तक पानी का बहाव शूरु नहीं हुआ है। अगर माननीय सदस्य इस बारे मे पूरी सुचना चाहते हैं, तो मैं पूरी रिपोर्ट हाउस के सामने रखने के लिये तैयार हूं ।

इस प्रकार आप देखेंग कि इस सम्बन्ध में जो काम हो रहा है, उस में बहुत खामियां हैं । इस में शक नहीं कि इस में सरकार कुछ सदुद्देश्य होगा और अपने तरीके से एग्रीकल्चरिस्ट्स और विलेजिज़ में रहने वालों की खिदमत करने की उस की आर्जू हागी, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि जितने उद्देश्य इस किताब में बताए गए हैं, उन की पूर्ती हो रही है। मैं समझता हूं कि जितने विभागों के साथ इसका ताल्लुक है, उनका काम सब ठीक तरीके से होना नामुमकिन है। अब इस डिपार्टमेंट का प्लानिंग कमीशन और दूसरे डिपार्टमेंट्स से जो ताल्लूक है, उस को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब ताल्लूक बोर्ड इलक्टिड बोर्ड हो चुका हैं। अब इस डिपार्टमेंट का गाइडैंस देने का काम सम्भाल लेना चाहिए। इस वक्त तो वह ग्रान्ट्स देने का महकमा बना हुआ है ।

को-प्रापरेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि का-आपरेटिव मूवमेंट पचास साल से इस मुल्क में चल रही है। उस में क्रेडिट वग़ैरह सैंक्शन करने में बहुत सी खामियां हैं और विलेजर्ज़ और मवाज़ात में बसने वाले लोगों को हर एक स्टेज पर बहुत तक्लीफ़ात का सामना करना पड़ता है । उन तक्लीफ़ों का दूर किया जाना चाहिए। इस के लिए आवश्यक है कि लैंड मार्गेज बैंक्स को एनकरेज किया जाये। आज-कल कर्जा लैंड-रेवन्यू के बेसिस पर दिया जाता है। जिस का लैंड-रेवन्यू एक रुपया हो, उस को दस रुपए कर्जा मिल सकता है। इस का परिणाम यह है कि ग़रीबों को कुछ नहीं मिलता है और सिर्फ ज़मीन वालों, बड़े बड़े साहूकारों और पूंजीपतियों को पैसा मिलता है। आवश्यकता इस बात की है कि छोटी छोटी ज़मीन पर खेती-बाड़ी करने वाले लैंडलेस लेबरर्ज़ के लिए भी कुछ प्राविज़न किया जाये ।

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : उन की ज़मानत कोई नहीं देता है। उन की ज़मानत कौन देगा ?

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : वे लोग को-आपरेटिव सोसायटी के मेम्बर होते हैं और सोसायटी खुद रेसपांसीबिलिटी लेती है, फिर उन को कर्ज़ा देने में काई हर्ज नहीं है।

गांवों में हरिजन और अन्य मज़दूरी का काम करने वाले बहुत से गरीब आदमी हैं, जिन को पांच, छः सात महीने काम नहीं मिलता है और वे बिल्कुल बेकार बैठे रहते हैं। प्रश्न यह है कि सरकार की ओर से उन को काम देने और उन से सहयोग लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है। हमारे आफ़िसर्ज़ डिक्टेटर और आटोक्रेट बन चुके हैं और उनका अपने ग़रीब भाइयों के साथ मिलना और उन का सहयोग लेना बिल्कुल दूर की बात हो चुकी है।

हाउसिंग की स्कीम के काम मे बहुत घूसखोरी होती है। उस का खत्म करने के लिए सरकार को जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि पक्षातीत दृष्टि से स्थापित पार्टीलैस डेमोक्रेसी से ही वास्तविक सक्सेस हो सकती है । अगर हम देश का विकास और प्रगति करना चाहते हैं, तो हम को सैंटर और स्टेट्स के लेवल पर पार्टीलेस गवर्नमेंट बनानी चाहिए । पार्टी गवर्नमेंट से कुछ नहीं हो सकता है, सिवाय इस के कि उस के पीछे रहने वाले चन्द लोगों का फ़ायदा होता है । लेकिन आम तौर पर देश की उन्नति करने के लिए इस मुल्क में एक नेशनल गवरर्नमेंट बनाना अशहद जरूरी है । पार्टीलेस गवर्नमेंट की ताईद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** (हाजीपुर) : सामुदायिक विकास मंत्रालय ने अपना ९वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । यह मंत्रालय पिछले ९वर्षों से काम कर रहा है किन्तु अभी तक अपने उद्देश्यों की पूर्ती नहीं कर सका । बलवंतराय राय समिति ने पंचायती राज के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थी जिनमे से मंत्रालय ने कुछ पर अमल किया है । पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों में पंचायते स्थापित हो गई है । वहां पर इस सम्बन्ध में विधि बनाई जा रही है ।

पंचायती राज्यो की स्थापना गावों के विकास के लिये की गई थी । माननीय सदस्यों ने इस बारे मे जो भाषण दिये हैं उनसे यह प्रकट होता है कि उनके मन में अभी तक संशय है कि क्या हमारे देश में पंचायती राज्य है भी अथवा नहीं । अभिप्राय यह है कि पंचायती राज्य के लिये यह मंत्रालय जो कुछ कर रहा है उस से अधिक करने की आवश्यकता है । कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि प्रशासन की निचली सीढ़ी पर राजनीति नहीं आनी चाहिये । सभी वर्गों ने कहा है कि जिस ढंग से पंचायती राज्य का काम हो रहा है वह ठीक नहीं है । संविधान के अनुच्छेद ४० से पंचायती राज किस प्रकार काम करें और उनको क्या अधिकार हो इसका उल्लेख किया गया है । इसलिये मंत्रालय को यह प्रयत्न करना चाहिय कि पंचायतों का गठन संविधान में कल्पित रंग एंव भावना के साथ किया जाना चाहिये ।

कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया है कि पंचायती राज की आवश्यकता है या नहीं है । क्या इसकी स्थापना की जानी चाहिये अथवा नहीं । कुछ नेताओं ने इसके बारे मे गम्भीरता पूर्वक विचार किया और वे इस निर्णय पर पहुंचे कि इसकी आवश्यकता है । लोक तंत्रीय ढांचे में प्रत्येक गांव को सुगठित रूप से तैयार करना चाहिये । गांव वालो में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिये कि जो कुछ व कर रहे हैं वे अपने लिये कर रहे हैं । उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये हमें उपयुक्त विधान बनाकर उन को पर्याप्त शक्तियां प्रदान करनी चाहिये अभी उनमें सरकारी अधिकारियों का बोल बाला है यदि योजना को सफल बनाना है तो पंचायतों का संगठन स्वायत्त-शासी एककों के रूप मे किया जाना चाहिये । चायतों को उचित संसाधन भी उपलब्ध किये जाने चाहिये, उनको केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार की दया पर नहीं छोड़ना चाहिये । एक ऐसा संगठन बनाना चाहिये जो खराब काम करने वाली पंचायतों को अपने हाथ में ले ले । यदि वास्तविक सामुदायिक जीवन का विकास करना है तो हमें पहले बेरोज़गारी और असाक्षरता दोनों का समूल नष्ट कर देना चाहिये । शिक्षा कृषि और स्वास्थ्य जैसे विषय पंचायतों को सौंप जा सकते हैं ।

श्री कृष्ण देव त्रिपाठी (उन्नाव) : सभापति महोदय, अभी अनेक सम्मानित सदस्यों ने सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज और सहकारिता पर अपने विचार प्रकट किये हैं कि किस तरह से इन विभागों की योजनायें यहां काम कर रही हैं । उन के काम करने में क्या दिक्कतें हैं और

†मूल अंग्रेज़ी में

कितनी सफलतायें उन योजनाओं को मिली हैं। इस पर काफी प्रकाश डाला जा चुका है। इस में कोई सन्देह नहीं कि पिछले दस वर्षों में सामुदायिक विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का काफी प्रयास हुआ है। इस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के द्वारा, ऐसी क्रान्ति जिससे देहात के रहने वालों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके, वे प्रगति कर सकें, जो देहातों और शहरों में इतनी बड़ी खाई हो गई है, इतना फर्क आ गया है, इतनी असमानता है, वह दूर हो सके, इस दिशा में सामुदायिक विकास योजना के द्वारा एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि इस के द्वारा जो पिछड़ापन ग्रामीण जीवन में है, वह दूर हो सके। लेकिन देखना यह है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह योजना शुरू की गई थी और इस दिशा में जो प्रयास किया गया था या कदम उठाये गये उन में हमें कहां तक सफलता मिली है। वास्तव में दस वर्ष का समय काफी बड़ा समय होता है और दस वर्षों में एक योजना को कार्यान्वित करने से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि वह योजना किस हद तक लोगों के दिल और दिमाग को बदल पाई है और जिस उद्देश्य के लिये उस योजना को प्रारम्भ किया गया था, उस उद्देश्य की कहां तक पूर्ति हुई है मैं दो बातों की ओर इस सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिस से यह स्पष्ट होगा कि यह योजना किस हद तक सफल हुई है और उस में क्या कुछ तब्दीली करने की आवश्यकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

एक बात यह है कि सामुदायिक विकास योजना लागू होने से देहाती व्यक्तियों का कितना सहयोग मिला है, कितना विश्वास मिला है और किस तरह से उन्होंने सक्रिय रूप से इस योजना में सहयोग दिया है? दूसरी चीज यह है कि जो साधन और सुविधायें देहात के रहने वालों के लिये उपलब्ध करने की बात इस योजना के माध्यम द्वारा थी, वह कहां तक सम्भव हो सकी है और उन लोगों को कितनी साधन और सुविधायें मिल सकी हैं। मैं बहुत अदब के साथ आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जितनी सफलता इस दिशा में मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली है। जैसा मैं ने पहले भी कहा है, एक सही दृष्टिकोण, एक ऐसा दृष्टिकोण जो ग्रामीण जीवन के अनुसार हो और इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के अनुसार हो जो कार्य सामुदायिक विकास योजना के काम के द्वारा किया जा रहा है, ऐसा दृष्टिकोण उन कर्मचारियों में नहीं है जो इस योजना को देहाती क्षेत्रों में कार्यान्वित कर रहे हैं। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि उन का वर्ग चरित्र बिल्कुल भिन्न है। वे जिस वर्ग से आते हैं वह बिल्कुल भिन्न है, उस के हित बिल्कुल विरुद्ध हैं। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्हें ग्रामीण जीवन से कोई लगाव नहीं है, न ग्रामीण जीवन की उन को कोई जानकारी है, न ग्रामीणों से उन को कोई सहानुभूति है। इस लिये पहली बड़ी अड़चन इस दिशा में यह आती है। यह कर्मचारी ऐसे नहीं हैं जो सही ढंग से काम कर सकें और उन का विश्वास प्राप्त कर के सहयोग पा सकें।

दूसरी बात जो मैं ने निवेदन किया वह यह है कि इस योजना को कहां तक सफलता मिली है। इस में यह देखना होगा कि वास्तव में जिन पिछड़े हुए, दलित और शोषित व्यक्तियों के उत्थान के द्वारा ही ग्रामीण जीवन का उत्थान सम्भव है, उन तक वह सुख सुविधायें, वह सहूलियतें जो दो योजनाओं के माध्यम द्वारा देने की बात थी, पहुंच सकी हैं या नहीं। अगर इस की जानकारी की जाय तो, जहां तक ग्रामीण जीवन में इस योजना के कार्यान्वित रूप को मैंने देखा है, मैं बहुत अदब से यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के लिये यह योजना है, वह उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। निहित स्वार्थ इन योजनाओं को बीच में ही समाप्त कर डालते हैं और यह योजनायें वहीं की वहीं रह जाती हैं।

तीसरी चीज यह है कि इस योजना के कार्यान्वयन का जो स्वरूप है, जिस तरह से इस योजना में प्रशासन तथा दूसरी चीजों पर खर्च किया जाता है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है। बी० डी० ओ० को एक जीप मिलती है, वे उस का गलत उपयोग करते हैं। हमारा जितना बड़ा प्रशासन है उस के लिये बड़ी

[श्री कृष्ण देव त्रिपाठी]

बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं। यह चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश के ग्रामीण जीवन से मेल नहीं खातीं। इस तरह इमारतों पर खर्च करना या जीप पर खर्च करना, निहायत फुजूलखर्ची है। स्टाफ का जैसा दृष्टिकोण होना चाहिये और जिस दृष्टिकोण से ही ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना सम्भव है, ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले लोगों का विश्वास प्राप्त करना सम्भव है, वैसा नहीं हो पा रहा है।

इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि इस बात का विशेष ध्यान रक्खा जाय कि इस विभाग में काम करने वाले कर्मचारी वे ही लोग हों जिन का दृष्टिकोण ग्रामीण जीवन में काम करने से मेल खाता हो, और जो वास्तव में शहर से नहीं ग्रामीण क्षेत्रों से हों और जो समझते हों कि देशवासी एक बहुत बड़ा काम इस योजना द्वारा कर रहे हैं। इस के लिये दूसरी चीज है सादगी का वातावरण। यह भी बहुत जरूरी है। बगैर इस वातावरण के हम देहाती क्षेत्रों का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते।

थोडा सा मैं पंचायतों के सम्बन्ध में भी निवेदन करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश में जो प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था लागू है यह उस के अनुरूप ही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की जाय। पंचायतें देश के लिये नई नहीं हैं। ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के पहले इस देश में जगह जगह पंचायतें थीं और ब्रिटिश हुकूमत के प्रारम्भ पर ही इन पंचायतों को समाप्त किया गया था कि ब्रिटिश हुकूमत यहां पर अच्छी तरह से अपनी जड़ें जमा सके इस लिये यहां पर पंचायतों का स्थापित होना प्रजातंत्र के हित में नितान्त आवश्यक था। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि राज्य सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो लेकिन पंचायतों को जिस तरह से रक्खा गया है, उन को जो अधिकार दिये गये हैं, वे बहुत कम हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन के अधिकार बढ़ाये जायें और सरकारी कर्मचारियों का जो नियंत्रण और हस्तक्षेप पंचायतों पर अधिकांश जगहों पर है, उसे खत्म किया जाय।

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहूंगा कि इन पंचायतों से प्राइमरी और जूनियर स्कूलों के अध्यापकों को ज्यादा से ज्यादा सम्बद्ध किया जाय। आखिर गांव में वही पढ़े लिखे लोग हैं। देहाती क्षेत्र में हर गांव में प्राइमरी स्कूल हैं और वे अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं और देहाती क्षेत्रों में उस सामाजिक क्रान्ति का नेतृत्व कर सकते हैं जो सामाजिक क्रांति इस देश में हो रही है, और जिस का बहुत बडा माध्यम पंचायती राज है। अगर इनका सहयोग लिया जाए और इनको पंचायतों से सम्बद्ध किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि वह पंचायतों के कार्य को कुशलता से चलाने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान कर सकेंगे।

पंचायतों और कोआपरेटिव्स के सम्बन्ध में अक्सर यह बात कही जाती है कि इनके काम में एक रूपता नहीं है, कहीं पर किसी प्रकार का काम हो रहा है, कहीं पर किसी प्रकार का हो रहा है। यह मुनासिब नहीं है। जब इस तरह की बातें उठायी जाती हैं तो कहा जाता है कि राज्यों की सरकारों ने यहां इस तरह से किया और वहां इस तरह से किया। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। आज हमारे देश में सौभाग्य से एक ही दल का शासन है। इसलिए सहकारिता में और पंचायतों में और ऐसे सभी कामों में एकरूपता होना आवश्यक ही नहीं संभव भी है। केवल उन क्षेत्रों को जिनमें अभी राजनीतिक चेतना पैदा नहीं हुई है, दूसरी तरह का राजनीतिक स्वरूप देना होगा।

तीसरी बात मुझे सहकारिता के सम्बन्ध में कहनी है बहुत से लोगों ने बताया है कि सहकारिता के क्षेत्र में किस तरह से दिक्कतें आती हैं सोसाइटीज को रजिस्टर कराने में और आफिशियल इंटरफियरेंस की वजह से। ये तमाम बातें कही गयीं। लेकिन मैं केवल कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर विशेष रूप से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर इस देश में कृषिक उत्पादन बढ़ाना है तो सहकारिता नितान्त आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि सहकारी खेती बलपूर्वक नहीं लादी जा सकती। लोगों में उसके लिए प्रेरणा पैदा की जानी चाहिए। उसके लिए मेरा यह निश्चित सुझाव है कि हर ब्लाक

में एक एक गांव ले लिया जाए और वहां के लोगों को समझा कर सामूहिक रूप से सहकारी खेती शुरू की जाए लेकिन उनको यह आश्वासन दे दिया जाए कि आने वाले पांच वर्ष तक उनको कम से कम उतना आवश्य मिलेगा जितना कि औसतन वह अपने खेतों में पैदा कर लेते हैं अगर ऐसा आश्वासन दे दिया जाए तो इस दिशा में प्रचार के रूप में हम कार्य शुरू कर सकते हैं। वह जितना औसतन पैदा कर लेते हैं अगर उनको उतना मिल जाएगा तो उनको कोई शिकायत नहीं होगी और पांच साल में सहकारी खेती द्वारा एक गांव का उत्पादन बढ़ा कर हम दिखा देगें कि किस प्रकार सहकारी खेती से इस देश की खाद्य समस्या को हल किया जा सकता है और देहात के लोगों को खेती की एक अच्छी व्यवस्था प्रदान की जा सकती है ऐसा एक बार प्रदर्शित हो जाए तो वह पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी और आज जो सहकारी खेती के खिलाफ तरह तरह का गलत प्रचार किया जा रहा है उसको भी दूर करने में सहायता मिलेगी।

†**श्री मलिक** (जाजपुर) : हमारे देश ने सभी आर्थिक क्षेत्रों में उन्नति की है। हमारे देश में उत्पादन भी बढ़ा है। दो योजना अवधियों के दौरान में औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। परन्तु खेद है कि शहरी जनसंख्या की तुलना में गावों के लोगों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि गावों के निर्धनतम व्यक्तियों को भी विकास कार्यों का लाभ प्राप्त हो सके। सरकार बिना भमि वाले श्रमिकों की ओर अवश्य ध्यान दे विशेषत: उन लोगों की ओर जिनका सम्बन्ध अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों से है। उड़ीसा जैसे बाढ़ ग्रस्त राज्यों को सहायता दी जानी चाहिये। आवास, शिक्षा अस्पृश्यता तथा स्वास्थ्य के मामलो को भी सुलझाया जाये। उड़ीसा के गावों में शीघ्र ही उद्योग धंधों की व्यवस्था की जानी चाहिये उर्वरक, बीज, तथा कृषि के औजार किसानों को उचित समय पर उपलब्ध किये जायें। उड़ीसा में प्रजातंत्रीय विकेन्द्रीकरण की दिशा में काफ़ी काम हो रहा है तथा समुदायिक विकास की दिशा में भी। उस राज्य को और धन उपलब्ध किया जाये।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : कांग्रेस शासन के दस-१२ वर्षों में यह पहिला अवसर है जबकि गांवों की ओर इतना ध्यान दिया जा रहा है। गावों में काफी विकास कार्यक्रम चल रहा है। इस प्रकार हम ग्रामवासियों को दिये गये उस वायदे की पूर्ती कर रहे हैं जो हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के समय उनको दिया था।

सामुदायिक विकास का यह कार्यक्रम १९५१ में आरम्भ हुआ था, और सन् १९५२ से इसने काम करना शुरू किया है। शुरू के पहले दो तीन साल तो इस बात पर धन व्यय किया गया कि लोगों को यह बताया जाये कि हम चाहते क्या हैं ?

गावों में शिक्षा की बहत कमी है। शहरों से पढ़े-लिखे गावों को जाते हैं लेकिन अधिक दिन तक वहां रुक नहीं पाते अत: काम बीच में ही रुक जाता है। अत: इस स्थिति का सामना करना चाहिये ।

आजकल धीरे धीरे स्वयं ग्रामीण लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। नेतृत्व स्वयं गांव क्षेत्र की ओर से होना चाहिये। जिससे ग्राम्य क्षेत्र का उचित विकास हो सके तथा हमें उस दिशा में प्रयत्न करना चाहिये। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये समय की आवश्यकता है।

सन् १९५४-५५ में ऋण समितियां तथा भूमि बन्धक बैंकों की स्थापना की गई थी किन्तु लोगों ने इसका कोई उपयोग नहीं किया क्योंकि इससे जो राशि मिलती थी वह बहत कम थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मेलकोटे]

पिछले दस वर्षों में हमने महान प्रगति की है और आगे भी करते रहेंगे। सड़कों के लिये हमें हजारों रुपये की आवश्यकता है। इसी प्रकार और भी बहुत से कामों के लिये हमें धन की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी हम ग्रामवासियों को आत्म निर्भर बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गावों में सड़कें बनाई जा रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं। कुएं बन रहे हैं। इन सब कामों के लिये निश्चय ही यह मंत्रालय बधाई का पात्र है।

†**श्री प० कुन्हन** (पालघाट) : सामुदायिक विकास कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है जिनका सीधा सम्बन्ध साधारण व्यक्तियों से है। लोगों की स्थिति सुधारने के लिये पिछले ९ वर्षों से प्रयत्न किया जा रहा है धन भी व्यय किया गया है किन्तु स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। गावों की समस्याओं के बारे में यह मंत्रालय बिल्कुल असफल रहा है। जन साधारण के रहन सहन के स्तर में कोई अन्तर नहीं आया है। गावों की समस्याओं के बारे में जानकारी के आभाव से बहुत सी योजनाएं फेल हो गई हैं। वहां बड़े तथा छोटे व्यक्तियों में महान अन्तर है। जब तक गांव वालों से आप नहीं मिलेंगे और उनका संगठन नहीं करेंगे तब तक उनका भला नहीं होगा।

विकास कार्यक्रमों के बावजूद कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है और अभी भी हम खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। गरीब लोगों को खाद्यान्नों की कमी के कारण कष्ट हो रहा है। सरकार कह तो रही है कि हम खाद्य समस्या बहुत थोड़े दिनों में हल कर देगें किन्तु हल नहीं हो सकी है।

सामुदायिक विकास व कृषि के मामले में जापानी पद्धति अपनाई थी। खाद्य उत्पादन के लिये यह बहुत अच्छी चीज़ है। तकावी ऋण उचित समय पर नहीं बांटे जाते। मेरा निवेदन है कि सरकार कृषि के मामले में उचित ध्यान दे।

खण्ड विकास पदाधिकारियों और ग्राम सेवकों को किसानों तक पहुंचना चाहिए और उन्हें अच्छी तरह चीजें समझानी चाहिए। इसी तरह से हमारे योजना के लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।

कई सामुदायिक विकास योजना व्यय में से ५० प्रतिशत छोटी छोटी पुस्तकें इत्यादि छापने में व्यय कर देते हैं। इससे किसानों को क्या लाभ होगा। उन्हें क्रियात्मक और आर्थिक सहायता देनी चाहिए तभी खाद्य समस्या का समाधान होगा।

ग्रामों में छोटे उद्योग खोलने की समस्या की ओर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दस वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरियां नहीं बढ़ीं हैं। लोगों का जीवन-स्तर भी नहीं ऊंचा हुआ है।

कृषि श्रमिकों के रहने की हालत बड़ी खराब है। बरोजगारी से मर रहे हैं। मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और ग्रामों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करके कृषि श्रमिकों की हालत सुधारनी चाहिए।

†**श्री पाराशर** (शिवपुरी): हमें देश में सहकार के प्रोग्राम को सफल बनाना है। उस के बिना हमारे देश की अर्थ व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती। आर्थिक स्वराज्य तभी प्राप्त हो सकता है जब सरकार के प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी और गैर-सरकारी दोनो ओर से आपस में मिल कर काम किया जाना चाहिए। कभी कभी मैं देखता हूं कि सहकारी विभाग के पदाधिकारी गैर-सरकारी कार्यकर्त्ता से अपने आप को अच्छा समझते हैं उन पर भी अधिक आरोप नहीं लगाते। जब हम देखते हैं कि इस देश के चोटी के व्यक्ति इस विषय की विशेषताओं को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। सहकार मेरे विचार में बहुत पेचीदा विषय हैं इस में जानकारी न होने से खराबी पैदा होगी।

इसलिए में सहकारी आन्दौलन के सरकारी और गैर-सरकारी कार्यकर्त्ताओं से कहता हूं कि वे आपस में बैठकर सलाह करके इस बात के ढंग निकालें कि वे किस तरह से इकट्ठे काम करें।

इस चालू वित्तीय वर्ष में सेवा सहकारी सोसाइटियों से केवल चार करोड़ लोगो को लाभ होगा। इस हिसाब से शेष ४० करोड़ लोगों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिये १०० वर्ष लगेंगे। हमारा ध्येय होना चाहिए। ध्येय की पूर्ति के लिए तिथि निश्चित करनी चाहिए। किसी विशेष सहकारी सोसाइटी को चलाने का उत्तरदायित्व विशेष व्यक्ति पर रखना चाहिए। इस तरह से हम सहकारी आन्दोलन को इस देश में सफल बना सकते हैं।

†**श्री पु० र० पटेल** (पाटन): सहकारी संस्थाएं मध्यजनों द्वारा शोषण समाप्त करने के लिए हैं। मैं ने कुछ श्रम-सहकारी संस्थाओं में देखा है कि मजदूरों को तो साधारण मजदूर को जो मिलता है वही मिलता है और मध्यजन धन कमाते हैं। इसीलिए में कहता हूं कि श्रम-सहकारी संस्था को दस मीलों की परिधी में ही काम करना चाहिए।

श्रम सहकारी संस्थाओं को सरकार ठेके देने में प्राथमिकता देती है। क्योंकि इन संस्थाओं में मजदूर काम करते हैं इसलिए उन को ही लाभ होना चाहिए परन्तु होता क्या है? यहां संस्था के सदस्य रहते हैं उससे १००,२००,४०० मील दूर ठेका लिया जाता है। इसलिए संस्था के सदस्यों को कैसे लाभ हो सकता है। तो श्रम सहकारी संस्था और साधारण ठेकेदार की दुकान में क्या अन्तर होगा? इस की जांच करनी चाहिए। यद्यपि यह विषय राज्य सरकारों के अधीन है तथापि केन्द्रीय सरकार को इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि श्रमिकों के लाभ के लिए जो कि इन संस्थाओं के सदस्य हैं, कुछ किया जाए।

अब मैं कपास सम्बन्धी सरकारी समितियों की ओर आता हूं। कुछ कपास धुनने के कारखाने हम ने देखे, वह सहकारिता के आधार पर चल रहे थे, हमने उन्हें निर्यात के लाइसैंस प्रदान किये। यह सब इसी विचार से किया गया था कि किसानों को कुछ लाभ पहुंचे। सरकारी समितियां माल का निर्यात करें और धन कमायें परन्तु हम ने देखा ऐसा हो नहीं रहा। लोग लाइसस लेकर आगे बेच देते हैं। इससे बीच के व्यक्ति को तो लाभ हो जाता है श्रमिक और किसान मुंह ही देखते रह जाते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये ताकि बीच के आदमी जो किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें रोका जा सके।

पंचायतों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के निर्माण के लिए पंचायत राज बहुत ही आवश्यक चीज़ है। हमारे लोकतंत्र की वास्तविक जड़े तो पंचायत राज में ही हैं। यदि ग्रामीण लोगों में लोकतंत्रीय भावनाओं का निर्माण हो जाये तो लोकतंत्र के जीवित रहने की अधिक आशा हो सकती है। एक बात समझ लेनी चाहिये कि केवल संसद और विधान सभाओं के होने से ही लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो सकती। लोकतंत्र को स्थायी रूप में स्थापित करने के लिए पंचायत राज कायम करना ही होता। साथ ही इस बात का भी पूरी तरह ख्याल किया जाना चाहिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

कि इन पंचायतों में राजनीति नहीं आनी चाहिये यदि पंचायतों में भी राजनीति घुस गयी तो सब किया कराया नष्ट हो जायेगा। राजनीतिक दलों को पंचायतों के चुनाव इत्यादि मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये।

जहां तक सामुदायिक विकास का सम्बन्ध है निश्चित रूप में प्रगति हुई है। परन्तु फिर भी बहुत अधिक कार्य करना बाकी है। अभी भी समाज के ऐसे पिछड़े हुए अंग हैं जिनके जीवन स्तर को उठाना ही पड़ेगा। पुराने दकयानुसी विचारों को समाप्त करना होगा। गांवों के स्तर पर सामुदायिक भावना का निर्माण कर उचित नेतृत्व तैयार किया जाना चाहिये इसके बिना सामुदायिक विकास का कार्य अधूरा रह जायेगा।

†**श्री बासप्पा** (तिपतर) : जिन लोगों ने हमारे संविधान का निर्माण किया वह पंचायत राज के आदर्श के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक थे तभी तो उन्होंने पंचायतों के निर्माण को संविधान सम्मलित किया। हमारे राष्ट्र पिता भी इसी भावना का प्रचार करते थे कि पंचायतों का निर्माण किया जाय। हमारे भारत के राष्ट्रपति भी वर्षों अपने अभिभाषणों में इसी बात का उल्लेख करते रहे हैं। इसीलिए कि यह बात हमारे देश की परम्परा के अनुसार है और यदि इस साधन के द्वरा ग्राम विकास का कार्य किया गया तो देश को काफी आगे ले जाया जा सकेगा।

सरकार अथवा जनता को पंचायती राज के विकास के लिये पूरा दिल लगाकर प्रयत्न करना चाहिये, अधूरे मन से नहीं। देखा है कि अधिकारीगण बहुत उत्साह के साथ काम नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे विकेन्द्रकिरण योजना और अन्य योजनाओं को सफलता के लिये अपना पूर्ण योग प्रदान करें। हमें इसके लिये लोगो में उत्साह पैदा करना है। यदि ऐसा न किया गया तो इस दिशा में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो सकेगी।

जहां तक पंचायतों के कार्यकरण का सम्बन्ध है, विभिन्न राज्य सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि केन्द्र और राज्यो के बीच और पंचायतों, ताल्लुकबोर्डों और जिला परिषदों में समन्वय हो। पंचायतो की शक्तियां तथा संसाधन बढ़ाये जाने चाहिये। प्रशिक्षण केन्द्रो में उन्हीं लोगों को रखा जाय जिनकी कार्य में वास्तविक रुचि हो।

†**श्र फिरोडिय** (अहमद नगर) : श्री मान जी, मैं सामुदायक विकास और सहकार मंत्रालय की मागों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता होती—कि इस मंत्रालय के लिये और अधिक धन उपलब्ध हो सकता। हमने गावों को विकास की तका सहकारी आन्दोलन और आर्थिक प्रगति के लिये देहाती क्षेत्रों में एक एकायी माना है। हमारी योजना के निर्माताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि योजना निचे से शुरू होनी चाहिये न ऊपर से।

सहकारिता के सम्बन्ध में सबसे प्रथम कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पास हुआ था अब तो इस बात को सर्वत्र स्वीकार कर लिया गया है कि गांवों के आर्थिक विकास के लिये यह बड़ी आवश्यक चीज है। इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक गांवों में एक सेवा सहकारी सस्था होनी चाहिये। सहकारिता आन्दोलन में लोगों के विश्वास को बढ़ाया जाना चाहिय। आज जो लोग सहकारी संस्थायें चला रहे हैं वह विश्वास से नहीं बल्कि मजबूरी से यह कार्य कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कई स्थानों पर इस दिशा में प्रगति बड़ी शानदार रही है। वहां एक जिले के सहकारी बैंक ने एक वर्ष में सात लाख की पूंजी एकत्रित की और चार ही वर्षों में इसे बढ़ा कर ८७ लाख कर लिया।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बैंक द्वारा किसानों को समुचित कर्जा दिया जाता है। इस बारे में मेरा यह भी निवेदन है रिजर्व बैंक तथा सरकार को बैकुण्ठ लाल मेहता समिति की सिफारिश स्वीकार कर लेने के लिये बधाई दी जानी चाहिये। उनकी सिफारिशों में आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त पर बल दिया गया था। इसके साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिये कि कृषि विभाग और सहकारी समितियों के बीच कर्ज के मामले में अधिक अच्छा समन्वय हो ? विकसित क्षेत्रों में ऋण संगठन में परिवर्तन किया जाना चाहिये। हमें किसान को दीर्घकालीन आयोजन प्रारम्भ करने के लिय समर्थ बनाने के लिये बजट ऋणों की प्रणाली चालू करनी चाहिये।

सिंचाई तथा बिजली की सुविधाओं के लिये ऋण प्राप्त करने के तरीकों को सरल बनाया जाना चाहिये। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिये कि अन्नोत्पत्ति हमारी प्रगति इस बात पर आधारित है कि किसान किस योग्यता और किन साधनों को उपयोग कर उत्पादन बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिये कि किसान की उत्पादित वस्तुएं उचित मूल्यों पर बाजार में बिक सकें। इसके लिये विपणन सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये। गन्ना, कपास, मूंगफली के बीज जैसी विभिन्न कृषि वस्तुओं के लिये 'प्रोसेसिंग' एकक स्थापित किये जाने चाहियें। सहकारी क्षेत्र में शराब बनाने के कारखाने एवं एसिड तथा रबड़ बनाने वाली संस्थायें चालू की जानी चाहिये। औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहिये। अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सहकारिता का आन्दोलन मजबूरी से नहीं स्वेच्छा से किया जाना चाहिये। सरकार द्वारा इसमें कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। यह अच्छी बात है कि सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं पर लोगों को नामजद करने का सिद्धान्त छोड़ दिया गया है। इससे लोगों में स्थानीय नेतृत्व का विकास होगा।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** (धारवाड़ उत्तर): आज हमारे देश में बहुत बड़ी क्रान्ति हुई है और हमारे दृष्टिकोण में भारी परिवर्तन आ चुका है। कोई समय था लोग अपना व्यक्तिगत बलिदान करके समाज का कार्य किया करते थे परन्तु आज तो सामाजिक कार्यकर्ता भी वेतन लेकर कार्य करते हैं। इसका कारण यही है कि समाज की प्रगति के कार्य को करने के लिये लोगों को इसमें लगाया जाये। यह हर्ष का विषय है कि हमारे देश के लोग विभिन्न प्रकार की विकास क्रियाशीलता के आदि होते जा रहे हैं। हमारे लोग सामाजिक, आर्थिक एककों का प्रयोग कर रहे हैं। ग्रामों में विकास कार्य हो रहा है और वहां दस्तकारी की श्रेणियां भी खोली गयी हैं। देश भर में विकास कार्य ३५८९ विकास खण्डों में यह कार्य हो रहा है। ६८१ और विस्तार खण्ड इस कार्य को कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी बड़ा हर्ष और सन्तोष है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बन्धी अंगों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और इस बात की पूरी आशा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लोगों के दृष्टिकोण में और अधिक परिवर्तन आता जायेगा।

हमें अधिकारियों की निन्दा नहीं करनी चाहिये क्योंकि वे लोगों के पथप्रदर्शक तथा मित्र का काम कर रहे हैं। लोगों को उन सुविधाओं के बारे मे जानकारी होनी चाहिये जो सरकार उन्हें देने वाली है। लाल फीताशाही को कम किया जाये। इस पर नजर रखी जाये कि संगठनकर्ताओं की उपेक्षा के कारण योजनाओं को पूरा न करने से स्वीकृत राशियां कालातीत न हो जायें। लोगों को पंचायतों को दी गई शक्तियों के प्रयोग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाये। अनेक सहकारी संस्थाएं बन चुकी हैं जो लोगों की एक बड़ी संख्या की आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इन सहकारी संस्थाओं को अपने क्षेत्र में लाभ पाने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएं। हम यह भी देखें कि उनमें ऐच्छिक सेवा की भावना आए। गरीब और अनपढ़ लोगों के शोषण की प्रवृत्ति को रोका जाय। तभी योजनायें सफल हो सकती हैं। जब तक लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति जागरूकता पैदा नहीं

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सरोजिनी महिषी]

होती हम आगे नहीं बढ़ सकते । यह प्रसन्नता का विषय है कि अब लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और चेतना आ रही है । परन्तु कर्तव्यों के प्रति हम अभी बहुत पीछे हैं । जब अधिकारों और कर्तव्यों का एक साथ निर्माण होगा तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा । फिर योजना अपने आप ही सफल हो जायेगी ।

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** मुझ में एक स्वाभाविक कमी है जो कि प्रायः देहातियों में होती है। वह यह कि जब तक हमें कोई चोट नहीं लगती हम जागते ही नहीं । माननीय सदस्यों ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की आलोचना की है, उससे कहीं मैं स्वयं इन कार्यक्रमों की आलोचना करता हूं । ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई हल निकाला ही जाना चाहिए । मैं बिल्कुल भी इस बारे में सन्तोष की सांस नहीं लेना चाहता । हमें अपने आप को धोखा न देकर सामुदायिक विकास सम्बन्धी समस्याओं से दो चार होना ही होगा ।

यह देखना तो इस सदन का कार्य है कि मन्त्रालय अपने उत्तरदायित्वों को कैसे पूरा कर रहा है । सदन अपने जिस प्रतिनिधि को मंत्री बना कर कार्यभार सौंपता है उसके कार्य को भी देखा ही जाना चाहिए । मन्त्रालय के उत्तरदायित्वों में समस्त विकास कार्य सम्मिलित है । और गत दस वर्षों में जो कुछ किया जा सकता था इस दिशा में किया गया है । ग्राम स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कार्य इसके अन्तर्गत आते रहे हैं । अगला काम जो मन्त्रालय ने करना था लोगों की संस्थायें—पंचायतें, सहकारी संस्थाएं, स्वैच्छिक अभिकरण—बनाना था, जिन के द्वारा सरकार की योजनाओं को सफल बनाया जा सके और जो सरकार का समर्थन कर सकें । अगला काम सरकारी कर्मचारियों और लोगों के प्रतिनिधियों को ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में प्रशिक्षण देना था । मन्त्रालय को यह सुनिश्चित करना था कि सदन द्वारा दी गई राशियों का पूरा पूरा उपयोग हो । मन्त्रालय ने यह भी देखना है कि ग्रामस्तर पर लोग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखें । यदि प्राथमिकता कृषि की है तो अधिक जोर कृषि पर दिया जाये, यदि परिवार विनियोजन की है, तो परिवार नियोजन पर मन्त्रालय का अगला दायित्व यह है कि वह ग्रामों के लोगों के लिए वकील का काम करें । यदि कुछ सरकारी कार्यक्रमों में लोगों की उचित सेवा नहीं हो रही या पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं किया जा रहा या लोगों को वस्तुओं के सम्भरण या सेवाओं के बारे में कठिनाइयां हैं, तो मन्त्रालय उन कार्यक्रमों या योजनाओं को बदलवाने में सहायता करेगा ।

अन्त में मंत्रालय का कर्तव्य है कि वह लोगों की और उन की प्रतिनिधि संस्थाओं की भावनाओं को पहचाने और उन के अनुसार काम करे । इस पृष्ठभूमि में, मैं मन्त्रालय के पिछले वर्ष के कार्य का और अगले वर्ष वह क्या करना चाहते हैं, उसकी समस्याएं हैं और वह उन्हें कैसे हल करेगा, इन विषयों के बारे में कुछ प्रकाश डालूंगा ताकि सदन उसकी सहायता कर सके ।

इस मंत्रालय को अब सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मन्त्रालय का नाम दिया गया है । यह उस महत्व का प्रतीक है, जो देश और विश्व भर में पंचायती राज को प्राप्त हुआ है ।

पहले मैं सामुदायिक विकास को लेता हूं । पिछले वर्षों की आलोचना को देखते हुए अब यह कहा जा सकता है कि कृषि के विषय पर अधिक जोर दिया जाता है । कार्यक्रम शुरू करते समय दोनों सरकार और लोगों के द्वारा कार्यक्रम के सुविधा सम्बन्धी पहलू पर अधिक जोर दिया जाता था । कार्यक्रम के उत्पादन सम्बन्धी पहलू पर इतना जोर नहीं दिया जाता था। किन्तु पिछले कुछ वर्षों से हम दिल्ली में, राज्यों के और ग्रामस्तर पर खाद्य और कृषि मन्त्रालय के सहयोग से कृषि उत्पादन के पहलू पर जोर

†मूल अंग्रेजी में

दिया गया है। इस पहलू में पशु-पालन, मीन क्षेत्र, कृषि, फल उगाना, सब्जियां उगाना, छोटी सिंचाई सभी आते हैं।

किन्तु अभी शुरूआत ही हुई है। अब तक केवल इतना हुआ है कि अच्छे बीज, उर्वरक, खाद और कीटनाशक की आवश्यकता को माना गया है। इन से आधुनिक कृषि का आरम्भ ही होता है। यदि दूध, अंडे, मांस, सब्जियों, फल आदि का पर्याप्त मात्रा में पैदा किया जाना है—इस समय इन का उपभोग अन्य देशों की अपेक्षा सब से कम है—तो हम ने केवल अभी आरम्भ ही किया है। अगले १० या १५ वर्षों में हम ने संघर्ष करना है। सौभाग्य की बात है कि दो मंत्रालयों के संयुक्त प्रयत्नों और सदन में और बाहर की गई आलोचना के कारण, अब घनी खेती के महत्व और आवश्यकता को मान लिया गया है। अब हम आगे इस हद तक जा सकते हैं कि किसानों को कृषि वस्तुएं और प्रावधिक सहायता उपलब्ध कराई जायें। ग्रामीण उद्योगों का कार्यक्रम बहुत कठिन कार्यक्रम है। चूंकि कृषि उपकरणों के संभरण पर अधिक जोर दिया जाता है और प्रधान मंत्री भी इस सम्बन्ध में उत्सुक हैं।

†**श्री क० ना० तिवारी**: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि योजना का काम कैसा रहा है और यह किस हद तक सफल रहा है। उन के मंत्रालय की जो आलोचना की गई है, उस के बारे में उन का क्या उत्तर है?

†**उपाध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री ने अभी अपना भाषण आरम्भ ही किया है। यदि कोई प्रश्न हों, तो वे बाद में पूछ सकते हैं?

†**श्री सु० कु० डे**: मैं अधिक से अधिक प्रश्नों का उत्तर दूंगा। आंकड़े तो रिपोर्ट में दे दिये गये हैं। यदि माननीय सदस्य कुछ और सामग्री चाहें, तो मैं उसे प्रस्तुत करने का वचन देता हूं।

ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम के बारे में, हम यह कोशिश कर रहे हैं कि छोटे उद्योगों द्वारा कृषि उपकरणों का उत्पादन संभरण के अनुसार हो। इसी तरह मकानों के बारे में भी एक सुधरा हुआ कार्यक्रम है। उसके लिए भी हमें ईंटें, टाइलें, लोहा और लकड़ी चाहिये और उन के काम करने के स्थान चाहिये। इन के लिए भी ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इस प्रकार हम ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से ग्रामोद्योगों का एक योजित कार्यक्रम बनाया है। आप कह सकते हैं कि ग्रामीण औद्योगीकरण ग्रामीण कारीगरों को सुधरे हुए उपकरणों और औज़ारों के संभरण से शुरू होगा। और ये हम ने उन्हें काफी संख्या में दे दिये हैं। मैं आंकड़े बाद में दूंगा।

दूसरी योजना में हम ने २० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां शुरू की थीं। तीसरी योजना में ३०० औद्योगिक बस्तियों का कार्यक्रम है जिस में से ५० . . . .

†**श्री पाराशर**: क्या वे सब सहकारी क्षेत्र में हैं?

†**श्री सु० कु० डे**: ये सब सहकारी क्षेत्र में नहीं हैं किन्तु जहां भी कारीगर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, उन से कहा जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक बस्तयों में औद्योगिक सहकारी संस्थाएं स्थापित करें।

१९६०–६१ में राज्यों के लिए ५० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां मंजूर की गई हैं और उन्हें स्थापित किया जा रहा है। ये बस्तियां सुधरे हुए उपकरणों के लिए सामान्य सुविधा केन्द्र से सम्बद्ध हैं। माननीय सदस्य इन योजनाओं की प्रगति के बारे में सवाल पूछेंग। इन का उत्तरदायित्व कुछ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सु० कु० डे]

इस मंत्रालय पर है और कुछ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पर है । ये दोनों मंत्रालय माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी दे सकेंगे ।

समाज के कमजोर तबके अर्थात् अनुसूचित जाति और आदिम जाति के लोगों के बारे में काफी चिन्ता प्रकट की गई है । इस वक्त मैं आदम जातियों को लेता हूं ।

दूसरी योजना में ४२ आदिम जाति विकास खंड थे, जिन्हें गृह-कार्य मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया गया था । तीसरी योजना में, हम ३२८ ऐसे खंड चालू करेंगे जिन के अन्दर देश की सारी आदिम जाति संख्या आ जायेगी । इन में से ३५ खंड १९६१–६२ में आवंटित कर दिये गये हैं और १९६५–६६ तक सब खंड आवंटित हो जायगे ।१० लाख रुपये गृह-कार्य मंत्रालय ने दिये हैं और १२ लाख रुपये सामदायिक विकास मंत्रालय ने । ये राशियां साझे कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी गई राशियों से अलग हैं ।

हम ने स्त्रियों और बच्चों के लिए एक न्यूनतम कार्यक्रम आरम्भ किया है । इस कठिन कार्यक्रम के बारे में, मैं सदन के सामने अपनी चिन्तायें प्रकट करता हूं । यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस में बहुत सी महिलाओं के लगाये जाने से बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं । इस लिए हमें पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कार्यकर्ता महिलाएं चाहियें । शुरू में, पश्चिम बंगाल, केरल और मद्रास को छोड़ कर अन्य राज्यों में ऐसी महिलाएं प्राप्त करना लगभग असंभव था । किन्तु अब सब राज्यों में स्थिति सुधर गई है । उन राज्यों में भी जहां स्त्रियां परदे से बाहर नहीं आती थीं; लड़कियां अधिकाधिक संख्या में नये स्कूलों में प्रवेश कर रही हैं और पिछले ५ से ८ वर्षों में स्थापित किये गये स्कूलों में पढ़ी हुई लड़कियों को परियोजनाओं में स्थान दे दिया गया है । स्थिति प्रति वर्ष सुधर रही है क्योंकि शिक्षित महिला कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है । महिला कार्यक्रम भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है । अब इस काम के साथ वह बदनामी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी । इसके लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और इसकी अध्यक्षा धन्यवाद के पात्र हैं । उन्होंने आलोचना के बावजूद महिला कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया है । भारत के ८ राज्यों ने हमारी कई साल की चेष्टा के बाद, क्षेत्र स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए राज्य स्तर अधिकारी नियुक्त किये हैं, ताकि इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

इसके अतिरिक्त, हम चाहते थे––सदन चाहता था और प्रधान मंत्री चाहते थे–– कि स्कूल सामुदायिक केन्द्र बने और स्कूल के अध्यापक सामुदायिक विकास के कार्यक्रम को बच्चों और ग्रामीण लोगों दोनों में फैलायें । हम ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके अन्तर्गत अध्यापक सामुदायिक विकास, सहकारिता और पंचायती राज में विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं । इन अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के लिए मंत्रालय ने विशेष अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया है, ताकि वे स्कूल अध्यापकों को इन तीन विषयों में प्रशिक्षण दे सकें । बहुत से अध्यापक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं ।

जहां तक गैर-सरकारी व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का सम्बन्ध है, बहुत से सदस्यों ने कहा है कि बहुत से सरकारी पदाधिकारियों और अन्य लोगों का दृष्टिकोण या रवैया ठीक नहीं है । यह दृष्टिकोण केवल प्रशिक्षण और शिक्षा से पैदा किया जा सकता है । इस लिए हम ने शिक्षा के विषय को बहुत महत्व दिया है । इस प्रयोजन के लिए हम ने सारे प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये हैं, जो मसूरी के शिखिर प्रशिक्षण केन्द्र से ले कर ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र तक है । इन में विभिन्न संस्थाओं के गैर-सरकारी सदस्य और लोग प्रशिक्षण पाते हैं । इसी तरह हम ने १०० पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र शुरू किये हैं । इन को सर्व सेवा संघ, गांधी स्मारक निधि, अखिल भारत सर्व सेवा संघ,भारत सेवक समाज और रामकृष्ण मिशन जैसी संस्थाएं चलाती हैं । जहां भी मशहूर

संस्थाएं हैं, उन से पंचायती राज के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए कहा गया है । चोटी पर मंत्रालय ने अखिल भारत पंचायती राज परिषद् को यह काम सौंपा है कि वह प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक नयी संस्था खोले । यदि ये १०० पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्र सफल हुए, तो और भी ऐसे केन्द्र खोले जायेंगे ।

हम ने एक विस्तृत आहारपुष्टि कार्यक्रम शुरू किया है । सदन को मालूम है देश के अधिकांश भागों में मुख्यतः अनाज ही खाया जाता है । संतुलित आहारपुष्टि केवल नाम मात्र है । सब्जियां, मछली, मांस और अंडे अधिकांश लोगों के भोजन में नहीं होते । यदि वे मांस न भी खाते हों, उन्हें दूध, अंडे, सब्जियां और फल अवश्य खाने चाहियें । इस प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार ने खाद्य और कृषि संस्था के सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया है । उड़ीसा और मद्रास की सफलता को देखकर हम ने अब भारत के सभी भागों में आहारपुष्टि का विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया है । आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मद्रास में अच्छी शुरूआत हुई है । हम मत्स्यपालन केन्द्रों, मुर्गीपालन, औधानिकी को प्रोत्साहन दे रहे हैं । स्कूलों में भोजन देने और गर्भवती स्त्रियों को भोजन देने के कार्यक्रम शुरू किये जा रहे हैं । हमारे काम को देख कर यूनिसेफ ने मंत्रालय को ३५ लाख डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ।

शुरू में १०० खंडों में कार्यक्रम को अधिक तेज़ी से क्रियान्वित किया जायेगा । प्रत्येक खंड को औधानिकी, मीन क्षेत्र और मुर्गीपालन के कार्यक्रम के लिए ३ लाख रुपये दिये जायेंगे ।

फिर हम सामुदायिक विकास और गवेषणा के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित कर रहे हैं । पहले यह मसूरी में था, किन्तु अब इसे हैदराबाद ले जाया जायेगा, जोकि देश के मध्य में है । मसूरी भारत के मध्य से बहुत दूर था । उस समय इस स्थान पर इमारतें मौजूद थीं, जिन को लेकर हम काम शुरू कर सकते थे । हमारे पास अन्य किसी स्थान पर इमारतें नहीं थीं । यदि हम मसूरी न जाते, तो हमें दो वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती ।

†**श्री पाराशर** : क्या मध्य प्रदेश में जगह तलाश की गई थी ?

†**श्री सु० कु० डे** : जी, हां ।

†**श्री पु० र० पटेल** : शिवपुरी में अभी भी बड़ी बड़ी इमारतें खाली हैं ।

†**श्री सु० कु० डे** : कुछ भी हो, हम ने युवक नेताओं के प्रशिक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया है । पिछले वर्ष तारादेवी के राज्यों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों का एक कैम्प लगाया गया था । इस के परिणामस्वरूप कुछ कार्यक्रम बनाये गये । इस के बाद राज्य स्तर पर कैम्प लगाये गये और राज्यों से नीचे स्तर पर युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए कैम्प लगाये जायेंगे । यह कार्यक्रम भी शीघ्र ही जड़ पकड़ लेगा । आठ राज्यों में राज्य-स्तर के कैम्प लगाये जा चुके हैं और युवक कार्यक्रम की देखभाल के लिये कर्मचारी रखे गये हैं ।

आगामीवर्षों के लिये हमने जिन कार्यक्रमों का आरम्भ किया है उनका मैं पहिले ही उल्लेख कर चुका हूं । हम अखिल भारतीय पंचायत परिषद् के लिये प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं । हम अपने सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम का और विस्तार करना चाहते हैं । हमने बहुत बड़े पैमाने पर बुनियादी और सांस्कृतिक साहित्य का वितरण पंचायत पुस्तकालयों में आरम्भ कर दिया है। हम आशा करते हैं कि तीसरी योजना की अवधि में हमारा मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय तथा सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय के सहयोग तथा गैर-सरकारी प्रतिनिधियों के सहयोग से काफी साहित्य वितरणार्थ उपलब्ध कर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सु० कु० डे०]

सकेगा। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में भी अधिक ध्यान दिया जायेगा। पहिले यह कार्य केवल सामुदायिक विकास एजेंसी के द्वारा ही किया जाता था। अब शिक्षा मन्त्रालय के सहयोग से स्कूल के विद्यार्थी और अध्यापक भी इस कार्य में सहयोग करेंगे।

पिछले वर्ष के अन्त तक सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने २,१०,००० नये कुएं खोदे तथा ३,३९,००० पुराने कुओं का उद्धार किया। यह प्रस्ताव किया जा रहा है केवल पीने के पानी के लिये योजना आयोग की ओर से ३५ करोड़ रुपये केवल पीने के पानी के लिये व्यय किये जायेंगे। स्वास्थ्य मन्त्रालय के अधीन राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्भरण की एक योजना चल रही है जिससे कि प्रधान मन्त्री का यह आदेश पूरा हो सके कि तृतीय योजना के अन्त में कम से कम हर गांव में पीने के पानी का एक पक्का जरिया हो।

महिला कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरी तेजी से किया जा रहा है। ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों तथा मुख्य सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में महिला नेताओं के लिये, जो कि इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के अग्रसर होने के साथ साथ आ रही हैं, पृथक् विभाग खोले जा रहे हैं।

इसके अलावा हम किसानों के सम्बन्ध में हुए अपने अनुभव का भी लाभ उठाना चाहते हैं और इन युवक तथा महिला नेताओं को भारत दर्शन तथा आंशिक भारत दर्शन यात्राओं पर ले जाना चाहते हैं जिससे कि वे देख सकें कि अन्य राज्यों में उनके सहयोगियों ने क्या किया है। इसके लिये हम राज्य सरकारों से सफलताओं की जानकारी मंगाते हैं जिससे कि पर्यटक दलों को वहां ले जाया जाये और वे अखिल भारतीय क्षेत्र में अर्जित सफलता का लाभ उठाते हुए प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

अब मैं वह गम्भीर समस्या लेना चाहता हूं जिसका कि मन्त्रालय के पास भी कोई हल नहीं है। यह समुदाय के दुर्बल वर्गों की समस्या है। सरकार सर्वसम्मत कार्यक्रमों तथा वित्तीय और टैक्नीकल संसाधन उपलब्ध करती है। इस बात का क्या आश्वासन है कि इनका लाभ समाज के सबल वर्गों द्वारा नहीं उठा लिया जायेगा हमने इस प्रश्न का विचार करने के लिये जयप्रकाश नारायण तथा उसके सहयोगियों की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। दुर्भाग्य से समिति अपने निर्देश पदों से बहुत आगे बढ़ गयी और उन्होंने सामुदायिक विकास मन्त्रालय की सीमा से कहीं अधिक मसलों को ले लिया अतः यह समस्या योजना आयोग को सौंप देनी पड़ी। वे इन सिफारिशों को भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों के सहयोग से हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यद्यपि इस सम्बन्ध में व्यापक निर्णय किया जा रहा है तथापि मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि हमने भी इस मामले में कुछ कदम उठाये हैं। हम इस बात को समझ चुके हैं कि यदि हमें सभा के उपेक्षित वर्ग की सहायता करनी है तो वह केन्द्र से आदेश देकर नहीं किया जा सकता है। केन्द्र की उच्चतम सरकार को, इस पहलू को ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर ही देखना होगा। अतः हमने यह निर्णय किया है कि जिला, खण्ड और ग्राम स्तर पर दुर्बलों की सहायता के लिये एक उपसमिति होनी चाहिये। उन पर यह दायित्व होना चाहिये कि दुर्बल वर्गों के लिये, जो सहायता, अनुदान की राशि दे दी गयीने है उसका लाभ केवल उसी वर्ग द्वारा उठाया जाये। तथा उनका यह दायित्व होगा कि वे यह देख कि ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर इस राशि का उपयोग समाज के दुर्बल वर्गों को उपयोगी रोजगार दिलाने में किया जाये।

इस बात का प्रयत्न किया गया है कि मुर्गीपालन तथा कारीगरों को ऋण इत्यादि योजनाओं में से केवल अनुसूचित जातियों के लोगों को ही लाभ मिले। सामुदायिक विकास मन्त्रालय इसका प्रयत्न करता है कि ऋण एक विशेष समुदाय को ही दिया जाये न कि व्यक्ति को। इसके साथ साथ राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि वे सहकारी समितियों द्वारा ऐसी शर्तें रखवायें जिससे कि कम भूमि

वालों को ५०० रु० तक का ऋण बिना किसी बन्धक के उपलब्ध हो जाय । कई राज्य इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं ।

समाज के दुर्बल वर्गों के लिये गृह मन्त्रालय के अधीन समाज कल्याण समितियों द्वारा गृह निर्माण सम्बन्धी सहायता देने के लिये योजनायें मौजूद हैं । तथापि इससे समस्या का शतांत में हल नहीं होता कि क्योंकि गांवों में २५ से ३० प्रतिशत तक व्यक्ति किसी प्रकार अपना निर्वाह भर कर सकते हैं । अतः इस समस्या का हल ग्रामीण औद्योगीकरण से ही हो सकता है ।

सभा को ज्ञात है कि योजना आयोग ने इस सम्बन्ध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उपसमिति नियुक्त की है जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण तथा खादी ग्रामोद्योग के अन्य सदस्य हैं यह समिति ग्रामीण औद्योगीकरण की समस्या पर गौर करेगी । आजकल उद्योगों का केन्द्रीकरण बड़े बड़े नगरों में हो रहा है अतः हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिसकी गति बदल कर गांव कीओर हो सके और विकेन्द्रीकरण के आधार पर कुछ उद्योगों की या सहकारी उद्योग की स्थापना हो सके । मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी संघ देश के विभिन्न भागों में सहकारी औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना की कोशिश करेगा ।

अब मैं खण्ड को लेता हूं जो कि प्रशासन की एक इकाई है । वस्तुतः हम पिछले दस वर्षों से इस समस्या का सामना कर रहे हैं । जब हम यह कहते हैं कि खण्ड को सभी विकास कार्यों के लिये बुनियादी इकाई माना जाय और सारा विकास अनुदान पंचायती राज संस्थाओं से होकर दिया जाय तो इससे सरकारी तथा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं के मनमानेपन पर आघात होता है । शताब्दियों से चले आते हुए इस रवैये को एक दिन में नहीं तोड़ा जा सकता है । इसके लिये हमें एक ऐसा सक्षम जनमत तैयार करना होगा जो कि विकास कार्यों के लिये खण्ड को इकाई मानने के लिये तैयार हो ।

अब मैं स्वैच्छिक गैर सरकारी संस्थाओं को लेता हूं । आगामी वर्ष तक देश में २,५०,००० पंचायतें हो जायेंगी । सामान्यरूप से पंचायतों को सरकार का ही विस्तार कहा जा सकता है । तथापि हम इसको लोकतन्त्र का स्थायी विस्तार नहीं कह सकते हैं । लोकतन्त्र का स्थायी विस्तार तभी कहा जा सकता है जबकि शक्ति जनता की स्वेच्छा संस्थाओं के हाथों में आये ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह कार्य सरकार नहीं कर सकती है । यदि देश में स्वेच्छा संगठनों की स्थापना करती है तो राजनैतिक स्वार्थों से विहीन स्वेच्छा संस्थाओं को शहरों से हट कर गांवों की ओर जाना होगा और गांव स्तर पर स्वेच्छा संस्थाओं के विकास के लिय उचित वातावरण तैयार करना होगा । उन संस्थाओं को किसी केन्द्रीय संस्था से संबद्ध नहीं करना चाहिये । क्योंकि जैसे ही किसी केन्द्रीय संस्था से सम्बद्ध करने का प्रश्न उत्पन्न होता है वैसे ही कई प्रतिद्वन्दी खड़े हो जाते हैं । यह एक समस्या है ।

अब मैं पंचायती राज को लेता हूं । श्री राजेश्वर पटेल ने कहा है कि मन्त्रालय इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक कोई कार्य नहीं कर रहा है । इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस मन्त्रालय ने सारे देश में पंचायती राज कायम करने का प्रयत्न इतनी तेजी से किया है कि कई लोग इस गति को अनुचित कहने लगे हैं । देश में ९ राज्यों में पंचायती राज्य के कार्यक्रम को क्रियान्वित कर दिया है । इस वर्ष के अन्त तक बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में भी यह योजना क्रियान्वित हो जायेगी । पश्चिम बंगाल की ओर से वहां के पंचायत मन्त्री और मुख्य मन्त्री की ओर से यह आश्वासन मिला है कि आगामी जुलाई के अधिवेशन में पंचायती राज विधेयक विधान सभा में रख दिया जायेगा जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मन्त्री ने मुझे यह बताया है कि वे विभिन्न राज्यों में पंचायती राज का काम देखने के लिये एक समिति नियुक्त कर रहे हैं जिससे कि उनके अनुभव के आधार पर वे अपने

[श्री सु० कु० डे]

राज्य के लिये समान व्यवस्था निर्धारित कर सके । केरल राज्य ने भी विधान तैयार करना आरम्भ कर दिया है ।

श्री अ० चं० गुह ने यह कहा है कि पंचायती राज के सम्बन्ध में केन्द्रीय विधान होना चाहिये जिससे कि एकरूपता बनी रहे । सभा पर इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है, तथापि इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिये कि यह राज्य का विषय है केन्द्र का नहीं । संविधान के अधीन मैं सभा में पंचायत पर कोई विधान नहीं रख सकता हूं। इससे एक लाभ भी है। हमने यह बात राज्य सरकारों पर छोड़ी है कि वह जितनी तेजी से चाहें योजना को क्रियान्वित करें । केन्द्रीय सरकार इस विषय में केवल यही कार्य कर सकती है कि वह राज्यों के अनुभव को समेकित करे और उसे सभी राज्यों के लाभ के लिये उपलब्ध करे । जिससे कि पिछड़े हुए राज्य अग्रगामी राष्ट्रों की प्रतिद्वंदिता कर सकें । अतः पंचायती समाज और सहकारी समाज के मामले में राज्यों पर काफी छोड़ना चाहिये । मेरी जानकारी के आधार पर राज्य परामर्शदात्री समिति की २८ बैठकें हुईं ।इस प्रकार प्रत्येक राज्य की दो दो बैठक हुईं । हमारे संसद् की भी आठ या सात बैठक हुई हैं । इस प्रकार संसद् सदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को अपने विचार विनिमय करने तथा इस महत्वपूर्ण योजना के सम्बन्ध में अपने अनुभव से दूसरों को लाभ पहुंचाने का मौका मिलेगा । सभा को यह जान कर खुशी होगी कि न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में विधि मन्त्रालयों ने जो समिति नियुक्त की थी उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत हो चुका है । मुझे विश्वास है कि विधि मन्त्रालय इन सिफारिशों को विस्तृत रूप देने में समर्थ होगा । इससे कई भ्रांतियां और शिकायत दूर हो जायगी । श्री क० ना० तिवारी ने यह कहा है कि विकास पंचायतों पर न्याय पंचायतों के काम का भार नहीं डालना चाहिये । इस समिति ने भी यही सिफारिश की है इस सम्बन्ध में अग्रेतर जानकारी विधि मन्त्रालय देगा ।

सरकार इस बात के लिये कटिबद्ध है कि देश में न्याय पंचायतों की स्थापना हो, क्योंकि देश में अन्याय के स्थान पर न्याय को स्थापना यही कर सकती है । योजना आयोग के भूतपूर्व उपाध्यक्ष ने पंचायती राज को दृष्टि में रखते हुए जिला प्रशासन का अध्ययन किया तथा यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि इससे परम्परागत शासन पद्धति में क्या प्रभाव हो रहा है । उनका प्रतिवेदन लगभग तैयार हो चुका है । मैं आशा करता हूं कि वह शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिया जायेगा । इस प्रतिवेदन के उपलब्ध होने पर हम वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन में सुधार करने को राज्य सरकारों से कहेंगे । मैं आशा करता हूं कि उन सिफारिशों के क्रियान्वित होने पर कई शिकायतें जो कि सभा पटल पर सदस्यों द्वारा रखी गयी हैं स्वतः दूर हो जायेंगी ।

कई सदस्यों ने यह कहा है कि बुनियादी स्तर पर भ्रष्टाचार है । मैं सभा के सम्मुख अपने दो महीनों का अनुभव रखना चाहता हूं । मैंने अपने चुनावों के सिलसिले में सरकारी शान शौकत को दूर रख कर केवल अपनी पुत्री के साथ एक टूटी हुई जीप में दौरा किया । मैंने गांव वालों से पहिले प्रश्न यही किया कि क्या ग्रामसेवकों में भ्रष्टाचार है तथापि ग्राम सेवकों और कहीं कहीं विकास अधिकारियों की उपेक्षा की शिकायतों को छोड़ कर मुझे कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली ।

जहां तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध है, जनता के प्रतिनिधियों को इतने दायित्व दे दिये गये हैं कि सरकारी कर्मचारी के चारों ओर से निगरानी रहती है और वह तब तक कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह अपने ऊपर वाले प्रतिनिधि से न मिला रहे ।

गृह मन्त्रालय के अनुरोध पर विधि मन्त्री उस समिति के अध्यक्ष हैं जो कि केन्द्रीय प्रशासित प्रदेशों में प्रशासन का भावी रूप निश्चित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है । जैसे ही उसका प्रति-

वेदन प्रकाशित हो जायेगा वैसे ही हम केन्द्र द्वारा प्रशासित प्रदेशों में भी उच्चत्तर स्तर पर पंचायती राज प्रणाली कायम करने का प्रयत्न करेंगे ।

यहां तक इन सब क्षेत्रों में पंचायतों का सम्बन्ध है, तो पंचायतें कायम हो चुकी हैं वे कायम हो रही हैं । श्री श्रीनारायण दास जी ने शिकायत की थी कि ग्राम सेवक पंचायती राज के आधार पर नहीं काम कर रहे हैं । हम भी जानते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं में हमारे कई प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम नहीं करते हैं । वे व्यक्तिगत रूप से काम करते हैं और दूसरों के प्राधिकार अपने प्राधिकार समझते हैं ।

इस प्रश्न पर अच्छी तरह से विचार करने के लिए और इस बात को निश्चित करने के लिए कि ग्राम सेवक यथार्थ में पंचायती राज संस्था का आधार बन सकें और सरपंच, प्रधान और जिला परिषद का प्रधान यथार्थ में संस्थाओं की ओर से उनके मुख्य अधिकारी के रूप में काम करें, हम एक अध्ययन दल नियुक्त कर रहे हैं । मेरे माननीय मित्रों ने निर्वाचनों पर आपत्तियां प्रकट की हैं । इस दो सिरे के दृष्टिकोण हैं । एक यह है कि दलों के आधार पर चुनाव नहीं होने चाहिएं । दूसरी राय यह है कि दलों के आधार पर चुनाव होने चाहिए । इन दोनों के बीच में कई राएं हैं । यदि ग्राम के स्तर पर कोई एकता नहीं है, यदि लोग अच्छे और बुरे लोगों में, जो उनकी सेवा करेंगे और जो उनका शोषण करेंगे, में भेद न कर सकें मेरी समझ में नहीं आता कि चुनाव एक मत से कैसे होंगे और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकेगा । यदि एकता न हो, तो यदि राजनैतिक दलों में समझौता भी हो जाए कि दलों के आधार पर चुनाव न लड़ें जाएं, मेरी समझ में नहीं आता कि इसे क्रियात्मक रूप कैसे दिया जा सकेगा । मैं इसी मुश्किल में हूं । वर्तमान परिस्थितियों में राजनैतिक दल तो ग्रामों को अशान्ति को और बढ़ायेंगे । यदि राजनैतिक दल वहां न जाएं और वहां जहालत रहे तो ग्रामों के वर्तमान 'ढाढा' आ जाते हैं । इसका क्या हल होगा, मैं नहीं जानता ।

यह मालूम करने के लिये कि सब से अच्छी पद्धति कौन सी है, इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को चुनने के लिये चुनावों का कौन सा अच्छा ढंग है हमारा इरादा एक उच्चस्तरीय दल नियुक्त करने का है, जिसे इसकी जानकारी होनी चाहिए । यह उस समय किया जाएगा जब कि नई पंचायत राज को संस्थाओं ने चुनावों को बहुत से राज्यों को तजरुबा हो जाएगा । यह लगभग अगले वर्ष के बीच तक हो जाएगा । हम इस मामले को अध्ययन दल जिसके सदस्य विशेषज्ञ हैं और इस मामले की जांच की अकल रखते हैं के हाथों में छोड़ देंगे । वे हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए । मैं इस मामले पर तदर्थ निर्णय नहीं करना चाहता और न कोई तदर्थ सिफारिशे करनी चाहता हूं कि ऐसा करने में बहुत खतरा है ।

पंचायती राज संस्थाओं के लिये राजस्व के मामले में हम बहुत जागरूक हैं । आवश्यक संसाधनों के बिना जनता की नई संस्थाएं बनाने और उन्हें उत्तरदायित्व देने का कोई मतलब नहीं । राज्यों ने स्वयं ही भिन्न मात्राओं में संसाधन पैदा किए हैं । महाराष्ट्र ने यह निर्णय किया है कि सारा राजस्व पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाएगा । कुछ राज्यों ने ६ प्रतिशत, कुछ ने ५ प्रतिशत दिया है और कुछ ने दिया ही नहीं है ।

हम पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के मुश्किल विषय का और अधिक नियमित रूप से अध्ययन का इरादा रखते हैं, क्यों यदि यह अविवेकतया किया जाए तो यह इतनी कठिनाइयां उत्पन्न करेगा जितनी कि हल नहीं करेगा । हम शीघ्र इस प्रश्न का पूर्ण अध्ययन करने वाले हैं । मेरे विचार में मेरे माननीय मित्रों श्री अ० चं० गुह, श्री यादव, श्री श्री नारायणदास और श्री राजेश्वर पटेल की चिन्ताएं इससे कम हो जाएंगी ।

[श्री सु० कु० डे]

श्री वेंकटासुब्बया ने कहा कि जिला परिषदों के उत्तरदायित्वों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए । मैं उनसे सहमत हूं कि आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में जिलापरिषदों के उत्तरदायित्व अस्पष्ट हैं । आन्ध्र प्रदेश ने तदर्थ ढंग से ज़िला परिषदों को निश्चित जिम्मेदारियां देने और उच्चाधिकारियों को इन के मंत्री नियुक्त करने का निश्चय कर लिया है । राजस्थान सरकार भी वैसा ही कर रही है ।

मैंने स्वेच्छिक संस्थाओं का जिक्र किया । पंचायती राज के प्रचार के लिए स्वेच्छिक संस्थाएं चाहिएं । यहां राजनैतिक दलों की सहायता की भी आवश्यकता है । राजनैतिक चुनाव तो पांच वर्ष आगे हैं । इस अवधि के लिए यह सदन पंचायती राज के सिद्धान्तों और उनके क्रियान्वयन के लिए वचन बद्ध है ।

श्री बासप्पा ने कहा था कि पदाधिकारी पंचायती राज प्रोग्राम की ओर उदासीन हैं । मैं कहना चाहता हूं कि आज पंचायती राज प्रोग्राम का क्रियान्वयन हो रहा है, उस के लिए विधेयक और कार्यवाही के नियम तैयार करने, आरम्भ काल में प्रोग्राम का क्रियान्वयन और निरीक्षण इत्यादि का बोझ पदाधिकारियों पर होता है । इसके कई अपवाद भी है परन्तु वे सरकारी पदाधिकारियों तक ही सीमित नहीं हैं ।

सहकारी संस्थाओं की सदस्यता और ऋण दिए गए धन की राशि में वृद्धि के बारे मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया है । यथार्थ में पिछले दस वर्षों में सहकारी संस्थाओं की सदस्यता और ऋण दिए गए धन की राशि में दस गुणा वृद्धि हो गई । देश में ७५ प्रतिशत उर्वरक ग्राम सहकारी संस्थाएं कर रही हैं । सहकारी संस्थाएं बीजों, मिट्टी के तेल, नमक और दूसरी वस्तुओं का जो कि विशेषकर उन क्षेत्रों में कम है जो कि रेल तथा सड़क संचार से दूर हैं वितरण अधिकाधिक कर रही हैं ।

सदन को पहले ही मालूम है कि १५ प्रतिशत चीनी सहकारी क्षेत्र में उत्पन्न होती है जिसका मतलब यह होगा कि देश में जो कुल चीनी उपन्न होती है उसका २५ प्रतिशत सहकारी क्षेत्र में होगा और देश में शेष चीनी के कारखानों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होगा । इस बात को निश्चित करने के लिए कि इन चीनी के कारखानों को प्रबन्ध और देख भाल के काम में बहुत ऊंचे दर्जे का "टेक्नीकल" योग्यता मिले, हमने एक राष्ट्रीय सहकारी चीनी सिन्डीकेट की स्थापना की है । इस सिन्डीकेट ने अपनी "टेक्नीकल" संस्था बनाने के लिए पहले ही काम आरम्भ किया हुआ है यह चीनी बनाने वाली इकाइयों के लिए पुर्जे बनाने के विचार कर रहा है । निस्संदेह हमारी सहकारी कार्यवाही में यह क्षेत्र बहुत अच्छा काम करेगा । महाराष्ट्र ने इस काम में जो रास्ता दिखाया है उसके लिये धन्यवाद ।

कपास बेचने में गुजरात और कर्नाटक में बहुत प्रगति हुई है । ऋण और विपणन को जोड़ने में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूं के सम्बन्ध में, महाराष्ट्र में गन्ने के सम्बन्ध में, गुजरात में कपास के सम्बन्ध में और जम्मू और काश्मीर में चावलों के सम्बन्ध में प्रगति हुई है । इरादा यह है कि परिष्करण और विपणन को सेवा सहकारी संस्था और ऋण जो ये देती हैं के साथ जोड़ा जाएगा । ये क्षेत्र कई राज्यों में कमजोर रहे हैं । केवल पिछले पांच वर्षों में विपणन और परिष्करण क्षेत्र बनाने के लिये चेष्टा की गई थी और यहां भी कपास और चीनी को छोड़ कर हम आरम्भ में ही हैं ।

सहकारी संस्थाओं द्वारा तकाबी ऋण के देने के बारे में मद्रास, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काम आरम्भ कर दिया गया है। योजना आयोग ने एक समिति इस प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की है जिसके सभापति योजना आयोग के मंत्रणाकार हैं। यह समिति यह पता करेगी कि राज्य सरकारों को क्या कठिनाइयां हैं और इनको कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार सहकारी संस्थाओं दोनों के स्थान पर किस तरह एक सहकारी संस्था द्वारा तकाबी ऋणों का काम लिया जाएगा।

सहकारिता में प्रशिक्षण और शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह समझा गया कि यदि सहकारिता को लोगों का आन्दोलन बनाना है तो प्रशिक्षण और संस्था शिक्षा सहकारी संस्थाओं द्वारा ही की जानी चाहिए। अतः पिछले वर्ष सरकारी पदाधिकारियों और गैर सरकारी व्यक्तियों के प्रशिक्षण और शिक्षा का पूर्ण उत्तरदायित्व केन्द्र में राष्ट्रीय सहकार संघ और राज्य सहकार संघों को देने का फैसला किया गया था। मंत्रियों के सम्मेलन के इस निर्णय का क्रियान्वयन हो रहा है।

सहकारी कानूनों में कठिनाइयों के बारे में श्री सरजू पाण्डेय, श्रीमती सुभद्रा जोशी और श्री गुहा ने बहुत शिकायतें की हैं। इन्हें सरल बनाने के लिए कहा था। महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और काश्मीर,मद्रास और गुजरात ने नए कानून बना लिए हैं। दूसरे राज्यों में भी नए कानून बन रहे हैं। इससे सहकारी प्रक्रिया में आसानी नहीं होगी। सहकारी प्रक्रिया आसान तब होगी जब देश में जोरदार सहकारी गैर-सरकारी आन्दोलन होगा, जो कि लोगों को नेतृत्व दे सके। यदि यह नहीं है, तो दुनिया के सारे कानून कुछ नहीं कर सकते।

ग्रामदान और भूदान ग्रामों का एक करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिया है। इस विषय पर सर्व सेवा संघ और राज्यों और हमारे मंत्रालय के प्रतिनिधियों की २५ जून को विशेष बैठक में विचार होगा।

हमें पता है कि विपणन और परिष्करण क्षेत्र में कमजोरी है। अतः हम इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ज़ोर देने की कोशिश कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों के कहने के अनुसार करेंगे और जहां तक सहकारिता का सम्बन्ध ह राज्य सरकार जनता की राय पर निर्भर हैं। यदि राज्यों में होशियार और ज़ोरदार जनमत नहीं होगा जो कि राज्य में सहकारी आदोलन को प्रबल बनाने के लिए न कहे तो इच्छा रखते हुए भी राज्य सरकारें सहकारी प्रोग्राम को पूरा नहीं कर सकेंगी क्योंकि विधायकों और जनमत के ज़ोर से वे नए कारखाने, नए पुल, नई सड़कें सहकारी आन्दोलन की अवहेलना करके बनाने पर बाधित हो जाती हैं।

यथार्थ में कई राज्य, विशेषकर पूर्व क्षेत्र में, हम अपनी तरफ से उन्हें जो सहायता पेश करते हैं, वे इस सहायता का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अतः यह दुनिया बड़ी सख्त है जिस के विरुद्ध हम टकरा रहे हैं। यहां भी राज्य मंत्री अधिक नहीं कर सकता। जनमत को मंत्री को कहना चाहिए, फिर मंत्री काम करेगा, जैसे कि यदि आप यहां पर किसी विशेष त्रुटि पर बल डालें, तो यह काम को चालू करवा देगी।

जिन जिलों में खाद्य और कृषि मंत्रालय गहन खेती करवा रहा है वहां कृषकों को पूरी आर्थिक सहायता देने का विशेष प्रोग्राम बनाया है। हमें पूर्ण आर्थिक सहायता के विषय में काफी तजरुबा हो जाएगा जिससे शेष देश को काफी लाभ होगा।

हम सहकारी कार्यवाही को विभिन्न क्षेत्रों में लाने की चेष्टा कर रहे हैं जिन में उपभोक्ता सहकारी संस्थाएं, श्रम निर्माण सहकारी संस्थाएं, मद्रणालय सहकारी संस्थाएं और रिक्शा खींचने

[श्री सु० कु० डे०]

वालों की सहकारी संस्थाएं और श्रम सहकारी संस्थाएं भी होंगी । इन सब क्षेत्रों में हम आगामी वर्ष महत्वपूर्ण प्रगति कर सकेंगे । अतः इरादा यह है कि सहकारी आन्दोलन केवल कृषि तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए । इसका विस्तार आर्थिक कार्यवाही के सभी क्षेत्रों--उद्योगों, परिवहन, श्रम, मुद्रण, व्यापार और उपयोग की वस्तुएं--में होना चाहिए ।

वित्त मंत्री ने कहा था कि वे उपभोक्ता सहकारी संस्थाओं--विशेष कर सरकारी कर्मचारियों के लिए--को विशेष सहायता देंगे । गृह-कार्य मंत्रालय और हमारे मंत्रालय ने देहली में एक अग्रिम उद्यम के रूप में एक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापित करने की योजना को लगभग अन्तिम रूप दे दिया है और हम इसी योजना की सिफारिश अन्य राज्य सरकारों से सरकारी कर्मचारियों के लिए चाहे वे रेलवे में काम करते हों या सचिवालय में, करेंगे । अब सहकारी खेती के बारे में कुछ कहता हूं । हम सहकारी खेती इसलिए करना चाहते थे, क्योंकि इसी से छोटे छोटे कृषकों और समाज के कमजोर लोगों को सहायता मिल सकती है । इस देश में कई लोग इसके विरुद्ध हैं । इसलिए प्रधान मंत्री से लेकर ग्राम सेवक तक यह आश्वासन देने पर भी कि यह योजना किसी पर बलात् लागू नहीं की जायेगी स्वेच्छा से अपनाई जायगी, इस प्रोग्राम के कई विरोधी हैं । विरोध के होते हुए भी हम ने कुछ करना आरम्भ कर दिया है और मझे आशा है कि अगले वित्तीय वर्ष के अन्त में मैं जब बजट अनदान के लिए आऊंगा, तो सहकारी कृषि योजना की प्रगति के बारे में जो बताऊंगा, सदन उस पर गर्व कर सकेगा । हम ने अग्रिम परियोजना में २५५ संस्थाएं स्थापित कर दी हैं । उन क्षेत्रों में जहां अग्रिम परियोजनाएं नहीं हैं ४५४ संस्थाएं हैं । ३२,००० एकड़ भूमि एकत्रित हो गई है, २५५ अग्रिम संस्थाओं में ४,२७३ सदस्य हैं और ६२,००० एकड़ भूमि वाली ४५४ "नान-पाइलिट" संस्थाओं के ९,९६० सदस्य हैं । उत्पादन भी बढ़ा । मुझे इस सदन को देश में सफल सहकारी प्रक्षेत्रों की सूची देने में प्रसन्नता होगी । सदस्य अपनी इच्छानुसार वहां जायें और अपने अनुभवों के बारे में मुझे बताएं ।

मैं ने पहले ही कहा है कि योजना के उद्व्यय में सहकारी खेती और अन्य विशेष योजनाओं के लिए ७० करोड़ रुपये और कुछ विशेष निधियां थीं । परन्तु प्राथमिकताओं के लिए प्रतियोगिता के दबाव में कई राज्यों में यहां होश्यार और निश्चित जनमत न हो सहकारी प्रोग्राम को सब से पहले काटा जाता है । यहां फिर मैं इस सदन को और उन के द्वारा विधानसभाओं के सदस्यों और जनता के अन्य प्रतिनिधियों को आवश्यक वातावरण पैदा करने के लिए अपील करता हूं ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गत दस वर्षों में जो कुछ हुआ है उसकी यहां बड़ी आलोचना की गई है । इस सम्बन्ध में मेरा निवदन यह है कि हमारे यहां समुदाय पिछले कई सौ वर्ष से पीड़ित है । उनका एकदम सुधार करना सम्भव नहीं है । धीरे धीरे ही इसकी स्थिति में सुधार सम्भव है ।

गांवों तथा शहरों में प्रति व्यक्ति की आय में कितनी वृद्धि हुई है इसकी जांच महलनोबिस समिति कर रही है । पंचायती राज से कोई स्वर्ग तो पृथ्वी पर आता नहीं । ये संस्थाएं तो ऐसी हैं जो अच्छाई और बराई के बीच के मतभेद को दूर करने में सहायता पहुंचा सकती हैं । लेकिन यह सत्य है कि हमेशा सत्य की विजय होती है । इस प्रकार का कार्यक्रम करने के लिये यदि भावना ही उत्पन्न हो जाय तो भी काफ़ी सन्तोष की बात है । ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति इस सुधार कार्य को निपटाने में सरकार का सहयोग दे । मैं चाहता हूं कि सदन मेरी इस बात में सहायता करे कि जनता इसके लिये शिक्षित हो जाय कि वह भला बरा सोच सके और अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करे । लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता है । अतः

सामुदायिक विकास पंचायत राज तथा सहकार की सफलता के लिये एक जागरूक तथा सुदृढ़ जनमत की आवश्यकता है। अगले महीने संसद् सदस्यों का एक अध्ययन शिविर संगठित किया जा रहा है जिसमें समस्त प्रश्नों पर बहस की जायगी। यह अध्ययन शिविर दिल्ली के विज्ञान भवन में दो तीन दिन के लिये होगा। उस में यह भी विचार किया जायेगा कि क्या मंत्रालय ने अपने कर्तव्यों का पालन किया अथवा नहीं। इस मंत्रालय के कार्य के बारे में सदैव ही सभा के निदेशों का पालन किया जायगा। आशा है कि पंचायती राज के क्षेत्र में आगामी वर्ष तक हम बहुत कुछ काम कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा अस्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
६	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	२४,२१,०००
७	सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकारिता	२,८२,३२,०००
११३	सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजीव्यय	२,५६,९२,०००

वैदेशिक कार्य मंत्रालय

†**अध्यक्ष महोदय :** अब वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखना चाहें वह १५ मिनट के भीतर अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

वर्ष १९६२–६३ के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
१६	आदिमजाति क्षेत्र	८,१६,४९,०००
१७	नागा पहाड़ियां–त्वेनसांग क्षेत्र	३,१६,८१,०००
१८	वैदेशिक-कार्य	१०,९९,१६,०००
१९	पांडिचेरी राज्य	३,३३,८८,०००
२०	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	१९,७५,०००
२१	गोआ, दमन और दीव	३,९५,७८,०००
२२	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व-व्यय	३,६०,१८,०००
११६	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	६७,६५,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता--दक्षिण-पश्चिम) : पिछले कुछ दिनों में प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुए बिना वैदेशिक कार्य मंत्रालय की मांगों पर विचार नहीं हो सकता। आणविक परीक्षण किये जा रहे हैं। विश्व का हर देश आज यह सोच रहा है कि उसे क्या करना चाहिये। जिनेवा में बातचीत होनी है। निःशस्त्रीकरण किस प्रकार हो इसके बारे में विचार किया जा रहा है। अभी कल ही की बात है कि आठवां परीक्षण हुआ है। ऐसा मालूम होता है कि शायद इन परीक्षणों का कोई अंत नहीं है।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन अच्छे हैं और यह बात और भी अच्छी है कि भारत जैसे तटस्थ देशों को बातचीत के लिए सम्मिलित किया गया है। लेकिन इस प्रकार के सम्मेलनों के कार्य व इसके परिणामों को ध्यान में रखकर आज हर व्यक्ति यह सोचता है कि इन सम्मेलनों से कोई खास परिणाम तो निकलता नहीं। अच्छा हो कि कोई और दूसरा ही तरीका देखा जाय जिससे इन परीक्षणों का भूत कम हो सके। इस सम्बन्ध में इर्ल रसेल ने जो प्रस्ताव रखा है उस पर अमल किया जाय और हमारी सरकार उस पर गम्भीरता से विचार करे। इस सुझाव का अभिप्राय यह है कि हमें कोई ऐसा शांतिपूर्ण रवैया अपनाना चाहिये जिससे कि विश्व में शांति उत्पन्न हो। मेरी शिकायत यह है कि यहां इस बारे में कभी चर्चा नहीं की गई कि इर्ल रसेल के सुझाव के बारे में हमें क्या करना चाहिए। हमारा देश शुरू से ही सत्याग्रह करने एवं अहिंसात्मक कदम उठाने के लिए प्रसिद्ध रहा है। रसेल ने शायद यही सोचकर सुझाव दिया था कि हम वहां अपने जहाज़ भेजें कुछ वालियन्टर भेजें क्योंकि जो कोई भी देश अणु परीक्षण करता है वह सभी देशों के समक्ष इस बात की घोषणा कर देता है कि अमुक स्थान पर परीक्षण किया जायगा ताकि उस समय वहां कोई उपस्थित न रहे। रसेल का विचार यह होगा कि अगर भारत ने अपने जहाज़ वहां भेजे तो अमरीका वहां परीक्षण न करेगा।

निःशस्त्रीकरण की बातचीत के अलावा अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है। शायद प्रधान मंत्री अधिक स्पष्ट रूप से हमें बता सकेंगे कि आजकल बातचीत किस स्थिति पर है और हमें क्या करना होगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के आधार पर हम उनकी चर्चा यहां नहीं कर सकते। लेकिन हमारी सरकार ने वैसा नहीं किया। मेरा विचार है कि अगर सरकार ऐसा करती तो हो सकता था कि और दूसरे तटस्थ देश भी शायद वैसा करते। प्रधान मंत्री यह बतायें कि निःशस्त्रीकरण वार्ता के बारे में स्थिति क्या है।

जहां तक परीक्षण की बात है अमरीका तथा रूस में मतभेद हैं। हम चाहते हैं कि इस मामले को अच्छी तरह स्पष्ट किया जाय और जनमत तैयार किया जाय कि इस प्रकार के परीक्षण बुरे हैं और उनका विरोध किया जाना आवश्यक है।

गोआ स्वतंत्र हो गया है हम इसका अपार स्वागत करते हैं। गोआ पर अधिकार करने के पश्चात् पश्चिमी देशों ने हमारे कार्य की बड़ी तीव्र आलोचना की थी। हम ने उस आलोचना की कोई चिन्ता नहीं की क्योंकि हम समझते थे कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य था जो कि बहुत दिनों से हम नहीं कर सके थे। परिणाम यह हुआ कि वह आलोचना अब समाप्त हो गई। २६ अप्रैल के स्टेट्समैन में एक समाचार छपा है कि अमरीका स्थित भारतीय राजदूतावास के कर्मचारियों ने गोआ के बारे में जो हम ने कार्यवाही की है उसके बारे में ऐसा प्रचार किया है मानों हमें उसके लिये क्षमा मांगनी हो। मेरी मान्यता है कि यह समाचार गलत हो। लेकिन फिर भी चूंकि यह किसी सरकारी अधिकृत वक्ता ने नहीं कहा है अतः इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। अभी हाल में ही श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो वक्तव्य दिया है वह भी ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें कि उनका वक्तव्य कहां तक ठीक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काश्मीर के बारे में भी यहां बहुत सी बातें कही गई हैं। काश्मीर का मामला एक गंभीर समस्या है। इसके बहुत से पहलू हैं। सुरक्षा परिषद् में इसकी चर्चा होनी है। यदि सुरक्षा परिषद् के निर्णय से पाकिस्तान संतुष्ट न हुआ तो वहां सैनिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा चीन तथा पाकिस्तान में काश्मीर के मामले को लेकर ही बातचीत चल रही हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस काश्मीर के मामले में किसी दूसरे देश से चर्चा करे। क्योंकि हमारी राय में पाकिस्तान ने काश्मीर पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया है। फिर दूसरी बात यह है कि काश्मीर के बारे में पाकिस्तान को दूसरे देश से बातचीत करने के बारे में कोई अधिकार नहीं है और न इसमें कोई औचित्य ही है। पाकिस्तान का कहना है कि जब तक भारत तथा पाकिस्तान के बीच काश्मीर के बीच में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिये ही यह बातचीत अस्थायी तौर पर लागू होगी। लेकिन फिर भी हमारी निगाह में पाकिस्तान का यह विश्वासघात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि काश्मीर के मामले में सारा देश एकमत रहेगा और काश्मीर की प्रतिष्ठा एवं उसकी अटूटता को बनाये रखने के लिये सतत प्रयत्नशील रहेगा।

जहां तक चीन के साथ हमारी सीमा का सम्बन्ध है वैदेशिक कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन में कहा गया है कि हमारे सम्बन्ध चीन के साथ और भी खराब हो गये हैं। सम्बन्ध खराब होना कोई अच्छी बात नहीं है। गत वर्ष इस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की चर्चा के समय प्रधान मंत्री ने कहा था कि हम ने भरसक प्रयत्न किया है कि चीन के साथ हमारे सम्बन्ध खराब न हों लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चीन ही एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है और उसके साथ हमारा झगड़ा चल रहा है। अगर यह संघ का सदस्य होता तो सीमा सम्बन्धी झगड़े को निपटाने के लिये कोई और उपाय ही अपनाये गये होते। हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी कि वह संघ का सदस्य बन जाये किन्तु फिर भी वह सदस्य न बन सका। उसे सदस्य न बनाया गया। ऐसी स्थिति में समस्या का समाधान करने के लिये दो ही रास्ते रह जाते हैं। एक तो युद्ध है और दूसरा रास्ता है वही जो भारत ने अपना रखा है। इस मामले को हम राष्ट्र संघ नहीं ले जा सकते क्योंकि वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है। शायद राष्ट्र संघ वाले अब यह अनुभव कर रहे हैं कि अगर चीन संघ का सदस्य होता तो वे भारत के खिलाफ़ चीन के इस रवैये की निन्दा करते और चीन के विरुद्ध कार्यवाही करते।

हम शांतिप्रिय हैं। हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। छोटे छोटे झगड़े हैं किन्तु उनका भी तो समाधान होना है। प्रधान मंत्री यह बतायें कि इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है। अपने २१ मार्च के प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध मे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि अच्छा हो कि दोनों देश मिल कर कोई मध्यस्थ समझौता कर लें। मैं इस पक्ष के में नहीं हूं क्योंकि यह बात होगी नहीं। समझौता सम्बन्धी शर्तों आदि के बारे में तो बातचीत हो सकती है किन्तु समझौता नहीं हो सकता। फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के इस सुझाव के बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई क्या चीन को भी यह बात पसन्द आई अथवा उसने भी इसका अनुसरण किया।

पांडिचेरी का विधिक तौर पर हस्तानान्तरण होना अभी शेष है। अभी कितने दिनों तक इसके लिये प्रतीक्षा करनी होगी। वहां की स्थिति क्या है यह मैं जानना चाहता हूं। फ्रांस सरकार इसके हस्तानान्तरण के मामले में देरी कर रही है। प्रधान मंत्री यह भी बतायें कि अल्जीरिया में इवान सरकार को मान्यता देने के बारे में हमारी सरकार का विचार क्या है ?

दक्षिण वियतनाम और लाओस के सम्बन्ध में हमारे देश का रवैया क्या रहेगा ? अमरीका ने वहां सैनिक गढ़ बना लिये हैं और वह वृहद् रूप से सैनिक कार्यवाही कर रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कांगो में जितने भी देशों ने अपनी सेनायें भेजी थीं, अब वापस बुला ली हैं। वहां केवल हमारी सेना ही संयुक्त राष्ट्र संघ के काम को आगे बढ़ाने के लिये रह गई है। मैं यह नहीं कहता कि हमें कल ही अपनी सेनायें वापस बुला लेनी चाहियें। लेकिन हमें इस पर तो विचार करना चाहिये कि कांगो में कितना काम हो चुका है और अभी कितना बाकी है। क्या लुमुम्बा की हत्या के सम्बन्ध में पूरी छानबीन की जा चुकी है? सुरक्षा परिषद् के २१ फरवरी, १९६१ के संकल्प की कार्यान्विति किस सीमा तक हो चुकी है? सारे खतरों का सामना हमारी सेनाओं को अकेले करना पड़ रहा है। इसलिये हमें पूरी परिस्थिति का जायजा लेकर यह तो निश्चित करना चाहिये कि कोई प्रगति भी हो रही है, या नहीं।

हमारी नीति किसी भी गुट में शामिल न होने की है। इसलिये हम उत्तर और दक्षिण कोरिया, वियतनाम और वियतमिन्ह दोनों को समान महत्व देते हैं--दोनों के साथ हम अपने सम्बन्ध रखते हैं। पर समझ में नहीं आता कि हम पश्चिमी जर्मनी को तो मान्यता देते हैं, पर पूर्वी जर्मनी--जर्मन जनतांत्रिक गणराज्य--को मान्यता क्यों नहीं देते? क्या यह हमारी बुनियादी नीति के विरुद्ध नहीं है? क्या यह एक गुट का साथ देना नहीं है?

हमारे दूतावासों के प्रशासन में कोई सुधार नहीं हुआ है। वे इस तरीके से काम नहीं करते कि भारत की तटस्थता की, किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति का अधिकाधिक प्रचार हो। वे लोग विदेशों में अपेक्षित उत्साह के साथ काम नहीं करते। मैं तो कहूंगा कि वे तटस्थता का अर्थ भी भली भांतिन नहीं समझते।

राष्ट्र संघ को भेजे जाने वाले हमारे प्रतिनिधि-मण्डलों का भी यही हाल है। **स्टेट्समैन** जैसे समाचारपत्र ने उनके बारे में लिखा है कि उनको अपने विषय की अच्छी जानकारी भी नहीं रहती। वे अफ्रीका, इत्यादि कम-विकसित देशों से आने वाले प्रतिनिधियों के साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे वे हीन हों। इससे उन पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इन सभी आरोपों की बड़ी गम्भीरता से जांच की जानी चाहिये।

हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय से निकलने वाली पत्रिका--'फॉरेन एफेयर्स रिकार्ड--को मासिक पत्रिका बताया जाता है। परन्तु मैं ने संसदीय पुस्तकालय में देखा है। नवम्बर, १९६१ के बाद से उसका कोई अंक ही नहीं मिलता। क्या अंक निकले थे और उनको संसदीय पुस्तकालय में नहीं भेजा गया?

इन सभी मामलों पर हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। मैं ने सुना है कि हमारे विदेशी लीगेशन्स और दूतावासों के प्रेस-एटेची लोगों की सेवायें स्थायी नहीं बनाई जातीं। उनको अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति पेन्शन, इत्यादि की सुविधायें भी नहीं मिलतीं। यह नहीं होना चाहिये। उनके कष्टों का निवारण किया जाना चाहिये।

आशा है माननीय मंत्री इन पर विचार करेंगे।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): इस मंत्रालय के काम के तरीके की सब से अच्छी टीका मंत्रालय द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदन ही है।

मेरा ख्याल है कि हमारी वैदेशिक नीति बड़ी गतिशील, बड़ी सामयिक है। लेकिन इस प्रतिवेदन से उसका कोई आभास नहीं मिलता।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन में गोआ के सम्बन्ध में केवल इतना कहा गया है कि २० दिसम्बर, १९६१ को पुर्तगाली उपनिवेश के अवशिष्ट भाग में भारत के अंग बन गये। इस दिवस का महत्व इससे कहीं अधिक था। गोआ की मुक्ति के लिये हम ने कितने प्रयास किये हैं, लेकिन प्रतिवेदन में उनका कोई उल्लेख तक नहीं है।

दूसरा उदाहरण लीजिये। नेपाल के बारे में कहा गया है कि उसके साथ भारत के सम्बन्ध काफी करीबी और मैत्रीपूर्ण बने हुए हैं। इससे नेपाल के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों की झलक तक नहीं मिलती। प्रतिवेदन को एक सूची जैसा नीरस बना दिया गया है। हम नेपाल के साथ अपने सम्बन्धों में सुधार करेने के लिये इतने प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन प्रतिवेदन में केवल इतना कहा गया है कि एक रामलीला-मण्डली ने काठमण्डू में प्रदर्शन किया है।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धों को लेकर इतनी गरमागरमी और चख-चख चल रही है इसका भी प्रतिवेदन में कहीं कोई आभास नहीं मिलता। बस करांची में भारतीय उच्च आयुक्त द्वारा आयोजित एक नृत्य का उल्लेख भर है।

चीन के साथ हमारे सम्बन्ध देश के लिये सब से अधिक समस्यामूलक बन गये हैं और शायद अभी अगले सौ वर्ष तक बने रहेंगे। पर प्रतिवेदन में उसकी कोई झलक तक नहीं मिलती।

मेरा सुझाव है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारी 'अगली अमेरिकन' नामक पुस्तक पढ़ें। उसमें अमरीकी दूतावासों में काम करने वाले अधिकारियों पर व्यंग किया गया है। उन अमरीकी अधिकारियों की भांति, हमारे दूतावासों के अधिकारी भी विदेशों में भारतीय लोगों का जो चित्र पेश कर रहे हैं वह 'अगला भारतीय' (बदसूरत भारतीय) का ही है। उनका सारा काम ऐसा ही भौंड़ा होता है।

गोआ के प्रश्न को लेकर विदेशों की जनता के मस्तिष्क में कई ग़लत फहमियां पैदा हो गई थीं। लेकिन हमारे दूतावासों के अधिकारियों ने तरह-तरह की सफाई तो पेश की, पर सीधा-सीधा औचित्य समझाने की कोशिश नहीं की। हमारा प्रचार अधिक प्रभावशाली होना चाहिये था।

इसलिये कि पाश्चात्य संसार में भारत के विरुद्ध इतना अधिक प्रचार किया गया है कि उसकी सफाई में अभी पचास वर्ष और लग जायेंगे। और, उसकी सफाई करने का दायित्व हमारे दूतावासों पर ही है। पर उनकी कोशिशें ऐसी नजर नहीं आतीं। पश्चिमी यूरोप और पूर्वी तथा दक्षिण एशिया में हमें ऐसे लोग भेजने चाहियें जो तटस्थता की नीति को सचमुच समझे और उसे एक प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करें।

हमारे वैदेशिक मिशनों पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है? अन्य देशों में इस कार्य के लिये एक वैदेशिक कार्य निरीक्षणालय होता है जो विभिन्न देशों में जाकर अपने दूतावासों के कार्य करने के ढंग की बड़ी बारीकी से जांच करता है। निरीक्षक लोग स्वयं वहां रह कर अपनी आंखों से सब देखते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिये।

मैं पूछता हूं कि हम अफ्रीका को कितना महत्व देते हैं? अफ्रीका नये-नये स्वतंत्र हुए राष्ट्रों में से कितने राष्ट्रों में हम ने अपने सर्वोत्तम अधिकारी भेजे हैं?

[श्री नाथ पाई]

देश स्वतंत्र होने के हाल ही बाद, प्रधान मंत्री ने कई राजनीतिक नेताओं को राजदूतों के रूप में बाहर भेजा था। वह बड़ा अच्छा था। लेकिन पता नहीं बाद में वह बन्द क्यों कर दिया गया।

†श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : वे कहते हैं कि वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने उनको असफल सिद्ध करके, ऐसे सभी पद अपने लिये सुरक्षित कराना अपना कर्त्तव्य समझा।

†श्री नाथ पाई : प्रधान मंत्री को इस की ओर ध्यान देना चाहिये। मैं श्री हनुमन्तैया की बात से सहमत हूं। मेरा सुझाव है कि राजनितिक नेताओं को ऐसे पदों पर भेजना ठीक रहेगा।

अब राष्ट्रीय हितों की बात लीजिये। चीन ने भारत को एशियाई रंगमंच पर पीछे छोड़ दिया है। अब उसने भारत के विरुद्ध एक नया व्यापार अभियान आरम्भ किया है नेपाल, इंण्डोनेशिया और बरमा में।

नेपाल को चीन के अधिक निकट ढकेलने का श्रेय हमारी वैदेशिक नीति को ही है। हमने अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति के मामले में यथार्थ-दृष्टि से काम नहीं लिया। हमने चीन के प्रति उचित सतर्कता नहीं रखी।

चीन की गतिविधियों पर बड़ी सतर्क दृष्टि रखनी चाहिये। चीन सदा से विस्तारवादी रहा है। मुझे अभी हाल में किसी सशत्र टकरावी संभावना नहीं दिखती। लेकिन चीन की राजनयिकता बड़ी कुशलतापूर्ण और चालाकी से भरी हुई है। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी विस्तारवादी नीति का सचालन किया हैं। वे हमें सदा ही एक दूसरे मोर्चे पर उलझाये रहे, और अपनी नीति आगे बढ़ाते रहे।

आज नेपाल चीन के साथ संधि करने में अपना लाभ समझता है। इसका दायित्व हमारे ऊपर ही है। ऐसे देश के साथ रहने में कौन सा राष्ट्र सुरक्षा महसूस करेगा जो अपनी सीमाओं की रक्षा स्वयं नहीं कर सका ? इसी नीति के फलस्वरूप छोटे छोटे राष्ट्र भारत से दूर हट कर चीन के साथ सम्बन्ध जोड़ते जा रहे हैं।

दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और चीन सरकार के बीच कुछ संदिग्ध किस्म की वार्त्ता चल रही है। चीन का उद्देश्य भारत को कठिन परिस्थिति में डालना है। चीन अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की तिलमात्र परवाह नहीं कर रहा है।

दूसरी ओर पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में कश्मीर का प्रश्न उठाने का प्रयास कर रहा है।

इतना ही नहीं तथाकथित आजाद 'कश्मीर सरकार' के सभापति श्री खुरशीद ने फिर धमकी दी है।

चीन और पाकिस्तान की यह गंठजोड़ आकस्मिक नहीं है। इसके पीछे एक गहरा अर्थ है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि हमारी चौकियों पर कोई आंच आई तो हम उसका डटकर जवाब देंगे। यही नीति होनी चाहिये।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम से कोई भी नहीं चाहता कि चीन के साथ हमरी जंग ठन जाये। हम केवल इतने चाहते हैं कि चीन हमारी भूमि पर से अपना कब्ज़ा हटा ले। हम अपने देश की एक इंच भूमि भी नहीं देना चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब सरकार ने चीन के प्रति अपनी जो दृढ़ता की नीति अपनाई है, हम उसके लिये प्रधान मंत्री को बधाई देते हैं ।

वैदेशिक नीति के बारे में हमारे दल के दृष्टिकोण को जान बूझ कर ग़लत ढंग से पेश किया गया है । हमने कभी भी भारत की वैदेशिक नीति के बुनियादी तत्व पर उंगली नहीं उठाई ।

हां, इतना अवश्य है कि हमारी इतनी अच्छी वैदेशिक नीति को कार्यान्वित करने की व्यवस्था अपर्याप्त है । इसका यही अर्थ है कि वैदेशिक नीति तो बड़े ऊंचे पाये की है, पर राजनयिकता उतनी ऊंची नहीं उठ पाई है ।

मैं श्री कृष्ण मेनन को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी योग्यता और कुशलता के साथ काश्मीर के मामले पर राष्ट्रसघ के सामने भारत सरकार की नीति रखी है ।

मेरा ख्याल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में रूस और अमरीका की इतनी चखचख के बावजूद, उन दोनों के बीच कुछ सहमति का आधार बनता जा रहा है ।

हमारी सरकार उस क्षेत्र में काफी सराहनीय ढंग से योग दे रही है ।

अलजीरिया के मामले में हमने अपनी वैदेशिक नीति का पूरा पालन नहीं किया । हमें अलजीरिया की जनता और अस्थायी सरकार का अधिक मुखर समर्थन करना चाहिये था ।

हमें उसके कानूनी पहलू को नहीं, राजनीतिक पहलू को अधिक महत्व देना चाहिये था । भारत सरकार को अलजीरिया के मामले में इस तरह दूर खड़े होकर नहीं देखना चाहिये था । हमें नये अलजीरिया का हार्दिक स्वागत करना चाहिये था ।

आशा है कि प्रधान मंत्री अपने मंत्रालय की आलोचना पर ध्यान देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
१६	१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	तृतीय योजना में आदिम जातियों का आर्थिक कल्याण	१०० रुपये
१६	२	श्री शिवमूर्ति स्वामी	आदिम जातियों की परम्पराओं के सम्मान की नीति	१०० रुपये
१७	४	श्री शिवमूर्ति स्वामी	नागाओं में राष्ट्रीय भावना पैदा करना	१०० रुपये

†मूल अंग्रेज़ी में

१	२	३	४	५
१७	५	श्री शिवमूर्ति स्वामी	नागा-क्षेत्रों में भारत विरोधी कार्य-वाहियों की रोकथाम	१०० रुपये
१८	६	श्री उमानाथ	बरमा, मलाया और लंका में भारतीयों की दुर्दशा	१०० रुपये
१८	२९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	विदेशों में हमारे दूतावासों पर भारी व्यय	१०० रुपये
१८	३०	श्री शिवमूर्ति स्वामी	दूतावासों के जरिये वैदेशिक व्यापार	१०० रुपये
१८	३१	श्री शिवमूर्ति स्वामी	पाकिस्तान और चीन के कब्जे से भारतीय प्रदेश की मुक्ति	१०० रुपये
१८	३३	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	पाकिस्तानी राज्य क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रजनों के अधिकारों की रक्षा	१०० रुपये
१९	३४	श्री उमानाथ	पांडिचेरी का हस्तांतरण	१०० रुपये
१९	३६	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	पांडिचेरी राज्य की प्रतिष्ठा और प्रशासन	१०० रुपये
२१	३८	श्री शिवमूर्ति स्वामी	गोआ को मैसूर राज्य में मिलाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२१	३९	श्री शिवमूर्ति स्वामी	गोआ , दमन और दीव में उत्तरदायी शासन	१०० रुपये
२१	४०	श्री त्रिदिब कुमार चौधरी	गोआ, दमन और दीव की वर्तमान प्रशासकीय व्यवस्था	१०० रुपये
१८	४३	श्री कोया	लंका में भारतीय उद्भव के लोगों के मामले का निबटारा	१०० रुपये
१८	४४	श्री कोया	बरमा में भारतीयों द्वारा महसूस किये जाने वाले कष्ट	१०० रुपये
१९	५६	श्री कोया	पांडिचेरी का अविलम्ब हस्तांतरण	१०० रुपये
१९	५७	श्री कोया	माही को केरल राज्य के साथ मिलाने की आवश्यकता	१०० पये
१९	५८	श्री कोया	माही में यातायात कर हटाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२२	६०	श्री कोया	हज यात्रियों के कष्टों का निवारण	१०० रुपये

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, अभी जो भाषण मुझ से पहले हुए––श्री गुप्ता और श्री नाथपाई के––, उन को सुन कर मुझे कुछ आश्चर्य हुआ । श्री नाथपाई ने हमारी वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों का तो समर्थन किया, परन्तु रिपोर्ट में के कुछ अंशों को पढ़ कर हमारे कुछ अफसरों के सम्बन्ध में कुछ कह कर उन्होंने एक बहुत छोटी बात की । कम से कम मैं उनसे यह आशा नहीं करता था कि जो वैदेशिक नीति इतने वर्षों के भीतर इतनी सफलता प्राप्त कर चुकी है, उसके सिद्धान्तों का समर्थन करते हुए भी श्री नाथपाई इन छोटी छोटी बातों को कहेंगे . . . . . .

श्री नाथ पाई : वे छोटी नहीं हैं ।

डा० गोविन्द दास : . . . . . .जो कम से कम मुझे उनके मुख से बहुत शोभाप्रद नहीं जान पड़ीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैं आरम्भ से ही उसका बड़ा भारी समर्थक रहा हूं और इस विषय पर कुछ न कुछ कहने के लिये मुझे सदा मौका मिलता रहा है । उसके समर्थन का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी वैदेशिक नीति भारतीय संस्कृति के सिद्धान्तों के अनुसार चलती है । भारतीय संस्कृति आज तमाम दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक है । चार देश ऐसे हैं, जिनकी संस्कृति सब से पुरानी मानी जाती हैं––भारत, मिश्र, चीन और यूनान । भारत का मैं रहने वाला हूं । मिश्र, चीन और यूनान को मैंने देखा है और मैं आप से कहना चाहता हूं कि यदि आज हम इन देशों में जायें और वहां पर इनकी प्राचीन संस्कृति के दर्शन करना चाहें, तो वे दर्शन हमें या तो वहां के अजायबघरों में या वहां के अजायब-घरों में होते हैं । वहां के जीवन में हमें आज वहां की प्राचीन संस्कृति की कोई झलक नहीं दिखाई देती है । केवल भारत ही दुनिया का ऐसा देश है, जिसकी प्राचीन संस्कृति की परम्परा हमें आज के भारतीय जीवन में भी दिखाई देती है ।

वह संस्कृति आधारित है दो मुख्य सिद्धान्तों पर––एक सत्य और दूसरा अहिंसा । गांधी जी ने एक नये रूप में हमारे उन पुराने सिद्धान्तों को हमारे सामने रखा और हमारी स्वतन्त्रता के पश्चात्–बापू के सामने वह स्वतन्त्रता मिली––और उसके पूर्व भी हमारी वैदेशिक नीति उन्हीं सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों पर चल रही है । आप देखें कि इसीलिये हमें कितनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है । आज दुनिया के सारे देश दो गुटों में बंट गए हैं । एक का नेतृत्व अमरीका करता है और दूसरे का नेतृत्व रूस और चीन करते हैं । बातें ये दोनों गुट और इन दोनों गुटों के नेता शान्ति की करते हैं, पर लड़ाई की तैयारी करते हैं । दुनिया में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि बात एक की जाये और कृति दूसरी की जाये । यह इस समय की दुनिया की विलक्षणता है कि बात तो शान्ति की की जाती है और तैयारी लड़ाई की की जाती है । लेकिन हमारी स्वतन्त्रता के पश्चात् के पहले समय को आप देखें । कभी हमारी आलोचना अमरीका करता था, कभी हमारी आलोचना रूस करता था । आज वे दोनों देश, दोनों देशों के विचारक, दुनिया के विचारक इस बात को मान गए हैं कि संसार का कल्याण अगर किन्हीं सिद्धान्तों से हो सकता है, तो वह भारत की वैदेशिक नीति के सिद्धान्तों से हो सकता है । तो इतनी बड़ी सफलता मिलने के पश्चात् श्री गुप्ता और श्री नाथपाई के वे भाषण मेरी समझ के बाहर थे । मेरी समझ में नहीं आया कि उस प्रकार के भाषण कैसे दिये जा सकते थे ।

निःशस्त्रीकरण की हमारी नीति का समर्थन दोनों गुट करते हैं। पर खेद की बात है कि एक तरफ निःशस्त्रीकरण की बात होती हैं और दूसरी तरफ़ अणु और उद्जन बम के परीक्षण होते हैं । मेरा निश्चित मत है कि निःशस्त्रीकरण हो नहीं सकता, जब तक कि ये परीक्षण समाप्त न किये जायें ।

[डा० गोविन्द दास]

हमने सदा से इसका प्रयत्न किया । दुनिया के विचारक और इन दोनों देशों के नेता भी इस बात को स्वीकार करते हैं, परन्तु दुःख की बात यह है कि समर्थन करते हुए भी उसके अनुसार कृति नहीं हो रही है ।

यहां पर अल्जीरिया की बातें की गईं । अरब देशों से हमारा मैत्री का सम्बन्ध दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है । अल्जीरिया की स्वतन्त्रता का हमने हमेशा समर्थन किया है । आज भी हम उसका समर्थन करते हैं । हमें इस बात का बड़ा भारी खेद है कि फ्रांस और अल्जीरिया में समझौता होने के बावजूद, जिसके अनुसार तीन महीने के बाद रिफ्रेंन्डम होने वाला है, वहां पर इस प्रकार का कत्ले-आम हो रहा है । मेरा विश्वास है कि डीगाल साहब की इच्छा और नीति के विरुद्ध अल्जीरिया के फ्रांसीसी इस कत्ले-आम को कर रहे हैं । जिन लोगों के ऊपर यह विपत्ति आई हुई है, उनसे हमें पूरी पूरी सहानुभूति है ।

जैसाकि मैंने आप से निवेदन किया है, अल्जीरिया की स्वतंत्रता का हम ने सदा समर्थन किया है और आज भी हम उसका समर्थन करते हैं। मेरा विश्वास है कि जैसे सद्सिद्धान्तों की अन्त में विजय हो कर रहती है, उसी प्रकार अल्जीरिया की स्वतंत्रता भी आ कर रहेगी । उसे कोई रोक नहीं सकेगा ।

कांगो में हमारी फ़ौजों को अत्यन्त कठिन परिस्थिति में शान्ति बनाए रखने का यत्न करना पड़ा है । इस समय का जब इतिहास लिखा जायेगा और कांगो की बात कही जायेगी, तो, मुझे इस बात का विश्वास है कि इस बात को इतिहास स्वीकार करेगा, इतिहासज्ञ स्वीकार करेंगे कि कांगो में भारतीय सेनाओं ने शान्ति स्थापित रखने का जो प्रयत्न किया, उस से बड़ा प्रयत्न शायद वहां नहीं किया जा सकता था ।

लाओस और वियटनाम की स्थिति बहुत नाजुक है । हम रोज़ पत्रों में पढ़ते हैं कि लाओस में लड़ाई भी हो सकती है । परन्तु वहां भी शान्ति स्थापित रखने का हमारा प्रयत्न चल रहा है ।

आप देखें कि स्वतन्त्रता के पश्चात् हमने किस प्रकार से ऐसे ऐसे झगड़ों को निपटाया है । कोरिया की लड़ाई के वक्त हमने क्या किया । स्वेज़ कनाल के झगड़े के समय हमने क्या किया मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार हम इस सम्बन्ध में चलते रहे हैं, उसी प्रकार भविष्य में भी चलेंगे और हमारी नीति को सफलता प्राप्त होगी ।

अब कुछ बातें मैं अपने पड़ौसी देशों के सम्बन्ध में कह दूं, जिनमें चीन, पाकिस्तान और नेपाल आते हैं । श्री नाथपाई को, रिपोर्ट में नेपाल के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उस पर मज़ाक करने की बात सूझी । मैं आप से पूछना चाहता हूं कि नेपाल के सम्बन्ध में हम ने जो कुछ किया, आखिर उससे अधिक हम और क्या कर सकते थे । खुद नेपाल के महाराजाधिराज यहां आए । हमारे प्रधान मन्त्री और उनके बीच बातचीत हुई । दोनों का एक संयुक्त वक्तव्य निकला जिससे नेपाल वालों और भारत वालों, दोनों को, सन्तोष हुआ । इसके बाद यदि हमने यह आशा की कि नेपाल की और हमारी सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष से जो मैत्री चली आ रही है वह कायम रहेगी और आगे बढ़ेगी तो इसमें कौनसी गुनाह की बात हमने कह दी, यह मैं समझ नहीं पाया हूं ।

श्री नाथपाई : बड़ी गलतफहमी मेरे बारे में फैलाई जा रही है। मैंने इस पर टीका कभी नहीं की कि इतनी बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है । मैंने तो इस रिपोर्ट का ज़िक्र किया है, मालूम नहीं माननीय सदस्य ने सुना है या नहीं ।

डा० गोविन्द दास : गलतफहमी तो फैलाने का काम नाथपाई साहब ने किया मैं कोई गलतफहमी नहीं फैला रहा हूं। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि उनको सन्तोष होना चाहिये था उससे जो संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित हुआ है। नेपाल के सम्बन्ध में अभी जो कुछ हुआ उससे उनके भाषण से मुझे मालूम हुआ कि उनको सन्तोष नहीं हो रहा है। इसलिये मैंने यह बात कही है।

श्री नाथपाई : रिपोर्ट से सन्तोष नहीं है।

डा० गोविन्द दास : कागज के छोटे से टुकड़े को लेकर, उसके पृष्ठों को इधर से उधर पलट कर और उसको पढ़ कर छोटी छोटी बातें करना, यह कहां तक उचित है यह मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने पहले भी आपसे कहा और अब फिर कहना चाहता हूं कि नेपाल के साथ हमारा सम्बन्ध सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से मैत्री का रहा है। नेपाल के महाराजाधिराज यहां आए, उनसे हमारे प्रधान मन्त्री की बड़ी मैत्रीपूर्ण चर्चा हुई और हम आशा करते हैं कि आगे चल कर इसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। चूंकि उसको बहुत कम समय बीता है और यदि उस सम्बन्ध में कुछ ब्यौरेवार बातें रिपोर्ट में नहीं कही गई हैं, तो इसमें कौनसा अपराध हुआ, यह मेरी समझ के बाहर है। महाराजाधिराज नेपाल और हमारे प्रधान मन्त्री की जो बातचीत हुई है उसको हुए कितने दिन हुए हैं और उन बातों का क्या नतीजा निकलता है, इसको जानने में कुछ समय लगेगा। अगर रिपोर्ट में उस बातचीत के बाद जो अच्छी बातों की आशा है, उसका ब्यौरेवार जिक्र नहीं हुआ है तो इसमें रिपोर्ट लिखने वालों का कोई बड़ा भारी अपराध है, यह कम से कम मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूं कि नेपाल के और हमारे जो सम्बन्ध रहे हैं वे सम्बन्ध फिर से अभी की थोड़ी गलतफहमी के दूर हो जाने के बाद और महाराजाधिराज के यहां आने और हमारे प्रधान मन्त्री की उनसे बातचीत होने के बाद उत्तरोत्तर सुधरेंगे और नेपाल के हमारे साथ जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध उन गलतफहमियों के पहले थे, उससे भी बेहतर हो जायेंगे। मैं बड़ा आशावादी आदमी हूं। इसलिये मेरा विश्वास है कि यह होने वाला है।

जहां तक चीन और पाकिस्तान का सम्बन्ध है, मैं कहूंगा कि चीन के मामले में श्री नाथपाई साहब से मैं बिल्कुल सहमत हूं। एक बात में कम से कम मैं उनसे सहमत हूं। चीन से हम लड़ाई नहीं चाहते, यह सत्य बात है। लेकिन मैं उनके एक एक शब्द का समर्थन करता हूं जब उन्होंने यह कहा कि चीन के कब्जे में हमारी जो एक एक इंच जमीन गई है, उसको एक एक इंच हम लेकर रहेंगे। इस विषय में हमारे प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि और इस सम्बन्ध में कोई गलतफहमी की जरूरत नहीं है। अकसर कहा जाता है कि हम घोषणायें तो कर देते हैं लेकिन उनको कार्यरूप में परिणत नहीं करते। गोआ का दृष्टांत हमारे सामने मौजूद है। हमने घोषणा की थी कि एक समय गोआ भारतवर्ष का अविभाज्य अंग है और उसको हम लेकर रहेंगे। हम मौका देख रहे थे, समय देख रहे थे। बेवक्त कोई बात नहीं की जा सकती। जब मौका मिला हमने गोआ को ले लिया। इसलिये अगर चीन के ऊपर हम आज आक्रमण नहीं कर रहे हैं--आक्रमण तो हम कभी करेंगे भी नहीं--लेकिन चीन के पास जो हमारी जमीन है, उसको अगर वापिस लेने के लिये आज हमारी सेनायें चीन की तरफ कूच नहीं कर रही हैं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि कभी नहीं करेंगी। मौका हम देख रहे हैं। जब मौका आएगा मुझे विश्वास है, जिस तरह से गोआ हमने लेकर छोड़ा उसी प्रकार चीन जो हमारी जमीन ले चुका है,उसको भी हम लेकर छोड़ेंगे और एक इंच जमीन भी हमारी चीन के पास नहीं रहेगी।

पाकिस्तान के सम्बन्ध में भी हमारी स्पष्ट नीति है। काश्मीर का ही एकमात्र ऐसा झगड़ा है जो कटुता बनाए हुए है पाकिस्तान और हमारे बीच में। लेकिन हम इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं कि काश्मीर इस देश का अविभाज्य अंग है और रेफ्रेंडम या जनमत संग्रह की अब कोई चर्चा नहीं हो सकती।वह लिया नहीं जा सकता। पाकिस्तान चाहे कुछ भी करे, हमने स्पष्ट कह दिया है कि जहां तक काश्मीर का सम्बन्ध है वह भारतवर्ष का रहेगा और उसको कोई नहीं छीन सकता।

[डा० गोविन्द दास]

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, नेपाल चीन और पाकिस्तान, उन तीनों के सम्बन्ध में हमारी आज जो स्थिति है वह इसके पहले जब इस विषय पर बहस हुई थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति है। मेरा विश्वास है कि नेपाल से हमारे सम्बन्ध उत्तरोत्तर प्रेमपूर्ण होंगे। चीन जो जमीन हमारी ले चुका है उसको हम लेकर रहेंगे और पाकिस्तान कदापि काश्मीर हम से नहीं ले सकेगा।

मैंने इस बात को आरम्भ में कहा और इसको अन्त में मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति का मैं बड़ा भारी समर्थक रहा हूं और उसका समर्थन मैं सदा इसलिये करता रहा हूं कि वह नीति भारतीय संस्कृति और गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुरूप चलती है। हमारे पास आज धन नहीं है, हमारे पास आज सेना का बहुत बड़ा बल नहीं है। यह सब कुछ न होने पर भी उस नीति पर चलने के कारण भारतवर्ष का आज दुनिया में ऊंचा स्थान हो गया है। मेरा विश्वास है कि दिनों दिन वह नीति दुनिया अधिकाधिक समझती जा रही है। हमारी इस नीति को अमरीका भी समझने लगा है, रूस भी समझने लगा है, दुनिया के दूसरे देश भी समझने लगे हैं और दुनिया के विचारक आज इसका समर्थन करते हैं। उस नीति पर चलकर भारतवर्ष ही केवल उत्तरोत्तर उन्नति नहीं करेगा बल्कि दुनिया में वह सच्ची शान्ति स्थापित रखने का प्रयत्न भी कर सकेगा।

इन शब्दों के साथ में इस मंत्रालय की अनुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): अन्य विषयों के बारे में बोलने से पहले मैं विदेशों में अपने दूतावासों, प्रतिनिधि मंडलों और प्रचार के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मैंने कुछ विदेशों का दौरा किया है और मैं कह सकता हूं हमारे दूतावासों ने, वित्तीय सीमाओं के अन्दर रहते हुए बहुत ही अच्छा काम दिखाया है और उन में काम करने वाले कर्मचारियों का वहां के लोगों द्वारा आदर किया जाता है। विदेशी नीति का क्रियान्वित करने में उन्होंने देश की बहुत बड़ी सेवा की है।

मुझे संयुक्त राष्ट्रसंघ में भेजे गये प्रतिनिधि मंडलों की आलोचना सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ है, क्योंकि उन का काम इतना अच्छा रहा है कि विदेशों में हर एक ने उन की प्रशंसा की है।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब हुगली पोत-चालकों के बारे में आधे घंटे की चर्चा होगी।

हुगली पोत-चालकों की हड़ताल

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: कलकत्ता पत्तन का संकट अभी चल रहा है और मैंने यह चर्चा इसलिये चलाई है कि इस झगड़े का जल्दी निपटारा हो सके। कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष ने हाल में चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध मे जो वक्तव्य दिये हैं, उन से झगड़े के निपटारे में बाधा पड़ रही है और अन्तर्ग्रस्त प्रश्न और अधिक उलझ रहा है।

पुरानी बंगाल पत्तन सेवा पहले कई वर्षों तक भारत सरकार और राज्य सरकारों के अधीन था। बाद में उसे कलकत्ता पत्तन आयुक्तों को हस्तांतरित कर दिया गया। चालकों ने उन के अधीन एक आश्वासन के आधार पर काम करने का निर्णय किया था, जो उन्होंने दिया था। इस आश्वासन से संतुष्ट होने के बाद उन्होंने आयुक्तों के अधीन काम करना माना था। वह आश्वासन जो १९४८ में दिया गया था, यह था कि उनकी सेवा की शर्तों में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जायेगा जिससे

---

†मूल अंग्रेजी में

उनकी स्थिति अन्य समुद्री सेवाओं के समुखीन और भी खराब हो जाये, यह आश्वासन चालकों ने प्रस्तुत किया है और उसकी एक प्रति मेरे पास भी है। इस में कहा गया है कि उन के वेतन आदि और अन्य समुद्री सेवाओं के वेतन आदि में जो अन्तर है, वह बनाये रखा जायेगा। १९५१ में कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्षों द्वारा इस आश्वासन का उल्लघंन किया गया जबकि अन्य समुद्री सेवाओं के वेतनों आदि में परिवर्तन किया गया और इस काम के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। ये चालक उस समय ही अपना त्याग पत्र दे सकते थे किन्तु वह १९५१ से १९६२ तक अभ्यावेदन करते रहे हैं। चालकों को इस समिति के पर्यावलोकन से निकाल दिया गया था।

प्राधिकारियों ने बातचीत का दरवाजा बन्द कर दिया है। पहले तो उन्होंने आश्वासन को मानने से इन्कार किया परन्तु जब चालकों ने कागज प्रस्तुत किया तो उन्होंने कहना शुरू किया कि वह आश्वासन उन पर सदा के लिये बन्द नहीं हो सकता। चालक अपने वेतन में बिना किसी वृद्धि के काम पर लौट आने के लिये तैयार हैं यदि उन्हें सरकारी सेवा में वापस ले लिया जाये। वह कलकता पत्तन आयुक्तों के अधीन काम नहीं करना चाहते। उनको सेवा में वापस ले लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। यदि ऐसा करने के लिये किसी नये विधान की आवश्यकता हो, तो वह पेश किया जा सकता है।

यदि उनकी हड़ताल जारी रही, तो जहाजों के चलने में बहुत बाधा होगी और यदि बिना अनुभव के लोगों को उन के काम पर लगाया गया, तो काम बिल्कुल रुक जायेगा। यदि नया विधान लागू करने में छ मास भी लग जायें, तो इस में कोई हानि नहीं है। वह इस विलम्ब को सहन कर लेंगे। यदि चालकों को पहले ही बता दिया गया होता कि वह आश्वासन कलकत्ता पत्तन आयुक्तों पर बाध्य नहीं होगा तो उन्हों ने उन के अधीन काम करना स्वीकार ही न किया होता

मैं समझता हूं कि स्थिति बहुत गम्भीर होती जा रही है और जो तरीके अब अपनाये जा रहे हैं, उनसे यह टूट न सकेगी।

यदि आप आश्वासन को पसन्द नहीं करते, तो स्पष्ट कहना चाहिये और चालकों को छोड़ जाने की अनुमति भी देनी चाहिये। किन्तु वे तो काम करना चाहते हैं। इसलिये तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हड़ताल के बारे में नवीनतम परिस्थिति क्या है ? किस प्रकार की बातचीत हुई है तथा चालकों की कौन सी शिकायतें सरकार के अनुसार स्वीकार्य नहीं है ?

†**श्री स० चं० सामन्त** (तामलूक) : इन चालकों की सेवाओं को सरकार के पास हस्तांतरित करने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री ब० कु० दास** (कंठाई) : क्या इस आश्वासन को सरकार के ध्यान में आरम्भ में लाया गया ? यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या फैसला था ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : क्या यह सच है कि चालकों की सेवा की शर्तों में अन्य समुद्री सेवाओं की सेवाओं की शर्तों के मुकाबले में १९५८ से खराब होती आई हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : श्री इन्द्रजीत ने गुप्त कहा है कि चालकों को केन्द्रीय सरकार की सेवा मे ले आना कोई कठिन बात नहीं, एक अधिनियम पारित किया जाये और यह हो सकता है, किन्तु यह इतना आसान नहीं है जितना उन्होंने समझा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने अपना तर्क उपसभापति श्री अय्यर द्वारा दिये गये आश्वासन पर आधारित किया है श्री इन्द्रजीत का यह खयाल है कि हम इस आश्वासन को जाली समझते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं किया ।

यह पत्तन आयुक्तों के तर्क का आधार नहीं है। वास्तव में उन्होंने जो कुछ कहा है, उस पर न्यायाधिपति श्री गुह राय पर पूरा विचार किया था। उस की रिपोर्ट के अनुसार १००० रुपये या इससे अधिक वेतन पाने वाले पदाधिकारियों की सेवा के मामले आयुक्त केन्द्रीय सरकार की अनुमति से तय कर सकते थे। इसी तरह सभापति को स्वयं सक्षम नहीं था । यह स्पष्ट है कि सभापति चालकों के प्रतिनिधियों के साथ सेवा की शर्तों के बारे में बातचीत कर रहा था। वास्तविक बैठक बाद में १५ और १६ मार्च को श्री सुखांकर के सभापतित्व में हुई थी। इस बैठक में निम्न उपस्थित थे श्री सुखांकर, श्री एन० एम० अय्यर और पत्तन के अन्य ऊंचे अधिकारी और १२ चालक पदाधिकारी जिनमें श्री बी० एस० पावरी भी थे और संघ का एक अधिकारी श्री वी० के० राजदान। सब शर्तें जिन पर उन्हें लिया जा रहा था, उन्हें बताई गई थीं और पिछली चर्चाएं भी उन्हें बताई गई थीं। इन सब १२ चालकों ने इन शर्तों को मान लिया था और श्री पावरी ने सब की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। यह उन्हें १५ को दिया गया था और उसे पढ़ कर उन्होंने १६ को वापस कर दिया था १६ को मजदूर अधिकारियों ने कहा कि वे शर्तें उन्हें मंजूर है और पत्तन आयुक्तों के अधीन काम करने के लिए तयार हैं। उन्होने कुछ मामूली बातें उठाई थीं, जिन पर श्री सुखतंकर ने विचार करने का वचन दिया था। श्री फारे ने लिखा है "मैं सहमत हूं कि उपर जो कुछ लिखा हुआ है, वह बैठक के निष्कर्षों का ठीक ठीक वर्णन है" ।

अतः उस आश्वासन को बहुत उछाला जा रहा है। यह सब संक्षिप्त वृतांत है जो कि अनौपचारिक बातचीत का नतीजा है ।

वेतन भत्तों आदि में भेद होने का प्रश्न ही है। यदि उस अनौपचारिक बैठक में आश्वासन का कोई प्रश्न होता, तो इसकी ओर अगले दिन निदेश किया गया होता। अब स्थिति क्या है। जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, उनमें से दो या तीन १९४८ से पहले समय के हैं। बाकी सब को पत्तन आयुक्तों ने नई शर्तों पर भर्ती किया है। उन्हें अधिक वेतन भत्ते आदि किस प्रकार दिये जा सकते हैं और उनके काम की तुलना सहायक हार्बर मास्टरों के काम से करना भी उचित है, यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा कठिन है और कौन सा आसान। सहायक हार्बर मास्टरों को जहाज नहर के उस हिस्से में लेजाने पड़ते हैं जहां उनकी भीड़ रहती है किन्तु चालक उन हिस्सों में जाते हैं जहां कम जहाज होते हैं। उन को काम कई घंटों का होता है। उस के लिए शक्ति और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उन का काम मशीन के काम की तरह है जिसमें हर एक पुर्जे का काम महत्वपूर्ण होता है। एक के खराब होने से दूसरा भी खराब हो जाता है। वेतन आदि में अन्तर तो तब पैदा होगा जब एक काम दूसरे से अधिक कठिन हो।

मैं अपने माननीय मित्रों को बताना चाहता हूं कि सहायक हार्बर मास्टरों को भी अपने अधिकारों और हितों का बहुत खयाल है। उन की राय में उन के साथ अच्छा व्यवपार नहीं हो रहा क्योंकि उन्हें भी इन लोगों के स्तर पर लाया जा रहा है। क्या इन लोगों की भावनाओं की उपेक्षा की जाये ? श्री गुहा राय ने सारे प्रश्न की जांच की है,

पहली आपत्ति उन्होंने १९५४-५५ में उठाई थी। उन को संतुष्ट करन के लिए श्री लोकड़ को नियुक्त किया गया था । उनसे वे संतुष्ट नहीं हुए। फिर श्री गुहा राय को नियुक्त किया गया । यह सब कुछ हुआ। मेरे विचार में अब आश्वासन के प्रश्न में पड़ना उचित नहीं होगा

श्री इन्द्रजीत ने 'स्टेट्समेन का हवाला देकर कहा है कि समझौते का दरवाजा बन्द कर दिया गया है। मैं पृष्ठभूमि बतलाता हूं। पहले वे मेरे पास आये थे और कहा था कि वे केन्द्र सरकार के अधीन जाना चाहेंगे। उन्हें अधिक वेतन आदि दिये जायें, नहीं तो वे बिना वेतन के काम करते रहेंगे। उनके वेतन आदि बढ़ाना लगभग असंभव था, क्योंकि जांच समिति ने इस प्रश्न की जांच कर ली थी। हमने ऐसा कहा। फिर उन की मांग थी कि उन्हें केन्द्रीय सरकार के अधीन लाया जाये। फिर मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने एक अपील जारी की कि वे देश की अर्थव्यवस्था के हित में काम पर वापस आयें। उन का उत्तर यह था कि वे काम पर जाने के लिए तैयार है इस शर्त पर कि १९४८ का आश्वासन क्रियान्वित किया जाये। अतः इस आश्वासन के बार में आप स्थिति जानते है। हमें अनुभव करना चाहिये कि इन परिस्थितियों में वेतन आदि बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना असंभव है। एक नया अधिनियम लागू करना भी संभव नहीं है क्योंकि बम्बई और मद्रास में चालक समुद्री सेवा में हैं। इन को पत्तन आयुक्त की समुद्री सेवा से अलग करने के क्या कारण हो सकते हैं। १९४८ में जो निर्णय संविधान सभा ने किया था, उसको बदलने के अब क्या कारण हो सकते हैं? हमारे पास कोई कारण नहीं है।

इन दो मूलभूत प्रश्नों को छोड़ कर यदि हम इन चालकों को संतुष्ट करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वह करने के लिये तैयार हैं। उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं है यदि उन के वेतन आदि में अन्तर किया जाये तो अन्य समुद्री सेवाएं असंतुष्ट होंगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा की बैठक सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दैनिक संक्षेपिका

शनिवार, १२ मई, १९६२

२२ वैशाख, १८८४ (शक)

विषय **पृष्ठ**

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . १९९८—२००१

(१) श्री सुबोध हंसदा ने पूर्व पाकिस्तान में हाल ही में हुए साम्प्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति के बारे में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायुक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया।

(२) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने दिनांक १० मई, १९६२ के "डान" की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया जिसमें पाकिस्तान में स्थिति विशेष संवाददाता श्री रावर्ट ट्रामबैल द्वारा लिखा गया और न्यूयार्क टाइम्स में प्रकाशित पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान में उपद्रव पीड़ित व्यक्तियों का हाल पुनः उद्धृत किया गया है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

अनुदानों की मांगें . . . . . १९९५—९८, २००१—४६

समदायिक विकास और सहकार मंत्रालय के लिये १९६२-६३ की अनुदानों की मांगों पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त हुई और मांग पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के लिये वर्ष १९६२-६३ की अनुदानों की मांगों पर चर्चा आरम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा . . . . . २०४६—४९

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने हुगली पोत चालकों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या २७२ और २८३ के ३० अप्रैल को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई।

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) ने चर्चा का उत्तर दिया।

सोमवार, १४ मई, १९६२/२४ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

वैदेशिक कार्य मंत्रालय के बारे में अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा

GMGIPND—LSIII—825 (Ai) LSD—13-7-62—150